महानगर नई दिल्ली मंगलवार 21 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

# जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

## रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह उद्बोधन

# फर्जी खबरों के खतरे से आगाह किया राष्ट्रपति ने

नई दिल्ली, 20 जनवरी (जनसत्ता)।

लोकतंत्र में बहस की भूमिका को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि व्यवस्था तभी 'अर्थपूर्ण' हो पाएगी जब नागरिक 'सुविज्ञ' हों। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट पत्रकारिता लोकतंत्र को उसके असली मायने प्रदान करती है। उन्होंने फर्जी खबरों के खतरों से भी आगाह किया।

राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 'उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका' पुरस्कार समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'वास्तविकता यह है कि सत्य की तलाश कहने में जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। लेकिन फिर भी इसकी तलाश जारी रहनी चाहिए। हमारे जैसे लोकतंत्र काफी हद तक तथ्यों को उजागर करने और उन पर बहस की उत्सुकता पर निर्भर हैं। लोकतंत्र तभी अर्थपूर्ण होगा जब नागरिक सुविज्ञ हों। इस अर्थ में पत्रकारिता में उत्कृष्टता लोकतंत्र को उसके सही मायने प्रदान करती है। कोविंद 2018 में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए –प्रिंट, प्रसारण व विशुद्ध डिजिटल– सहित 11 श्रेणियों में 23 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के बाद बोल रहे थे।

फर्जी खबरों और पेड न्यूज से उपजे खतरों के बारे में आगाह करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 'ब्रेकिंग न्यूज' के शोरशराबे ने मीडिया को लील लिया है, जिससे संयम और जिम्मेदारी के बुनियादी मूल्यों को काफी हद तक आघात पहुंचा है। फर्जी खबरें नए खतरे के रूप में सामने आई हैं, जिसका प्रसार करने वाले खुद को पत्रकार के रूप में पेश करते हैं और इस महान पेशे को कलंकित करते हैं। इस संदर्भ में कोविंद ने कहा कि पत्रकारिता को यदि प्रासंगिक बने रहना है तो उसे ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे बुनियादी मूल्यों को पुनः हासिल करना होगा। इसे नागरिकों से दिए इस वचन को 24 घंटे और सातों दिन सुदृढ़ करना होगा कि वह कभी झुकेगा नहीं, और नतीजे चाहे भी जो हों पर यह सत्य के लिए संघर्ष करता रहेगा, और वह बिना किसी भय या पक्षपात के सत्य उजागर करने की प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक ने काफी हद तक पत्रकारिता का स्वरूप बदल दिया है। इससे पत्रकारिता की एक नई प्रजाति का उदय हुआ है जिससे तथ्यों एवं विचारों और विश्वसनीयता बाकी पेज 8 पर

नई दिल्ली में सोमवार को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ (बाएं से) एक्सप्रेस समूह के सीइओ जार्ज वर्गीज, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विवेक गोयनका, कार्यकारी निदेशक अनंत गोयनका, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पुरस्कार विजेता। *प्रवीण खन्ना*

पेज 8 विजेताओं की सूची

TVS Presents Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards

Associate Partners: NABARD, NTPC, GatewayRail, Hiranandani, Joy, Signature Global
Associate Partners: Oriental Insurance, Sonalika
State Partners
Powered by
Event Partner: LIC
Banking Partner: Union Bank
Writing Instruments Partner: Parker

# शोपियां में हिज्बुल के तीन आतंकी ढेर

श्रीनगर, 20 जनवरी (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी मारे गए। इनमें पुलिस का एक भगोड़ा और शीर्ष दर्जे का एक आतंकी कमांडर शामिल है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले के वाची क्षेत्र में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि आंतकवादियों से आत्मसमर्पण करने को कहा गया लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई।

उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक आतंकवादी की पहचान आदिल अहमद के तौर पर हुई है। वह विशेष पुलिस अधिकारी था जो 2018 में बल छोड़कर वाची के तत्कालीन विधायक एजाज अहमद मीर के आधिकारिक आवास से सात एके रायफल और एक पिस्तौल लेकर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि शेष दो आतंकवादियों की पहचान वसीम वानी और जहांगीर के तौर पर की गई है।

*एक आतंकी* की पहचान आदिल अहमद के तौर पर हुई है। वह विशेष पुलिस अधिकारी था जो 2018 में बल छोड़कर वाची के तत्कालीन विधायक एजाज अहमद मीर के आधिकारिक आवास से सात एके रायफल और एक पिस्तौल लेकर फरार हो गया था।

तीनों आतंकियों के मारे जाने को बड़ी सफलता करार देते हुए पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि हिज्बुल मुजाहिदीन दक्षिण कश्मीर बाकी पेज 8 पर

# सीएए पर दिल्ली में भाजपा अकाली दल गठबंधन टूटा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर दिल्ली में भाजपा व शिरोमणि अकाली दल का चुनावी गठबंधन टूट गया है। सीएए में सभी धर्मों को शामिल करने तथा एनआरसी को नहीं लागू करने की आवाज बुलंद करते हुए अकाली दल ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।

शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार को कहा कि सीएए के मुद्दे पर भाजपा ने उससे रुख बदलने को कहा जिसको नामंजूर करते हुए पार्टी ने अगले महीने होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भाजपा के साथ चुनाव से संबंधित तीन बैठकों में उनकी पार्टी से सीएए पर उसके रुख पर विचार करने को कहा गया। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बन चुके सिरसा ने कहा कि भाजपा के साथ हमारी बैठक में हमसे सीएए पर रुख पर फिर से विचार करने को कहा गया लेकिन हमने ऐसा करने से मना कर दिया। शिरोमणि अकाली बाकी पेज 8 पर

*दिल्ली* शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हम दिल्ली में नहीं लड़ेंगे चुनाव

# मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर दोषी करार

*अदालत* ने मामले के एक आरोपी को बरी कर दिया और 18 अन्य को दोषी ठहराया। *सजा* पर दलीलों को सुनने के लिए 28 जनवरी की तारीख तय।

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को पॉक्सो कानून के तहत गुरुतर लैंगिक हमला और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया। अदालत ने मामले के एक आरोपी को बरी कर दिया। आरोपियों में 12 पुरुष और आठ महिलाएं शामिल थीं।

आश्रय गृह ठाकुर द्वारा चलाया जा रहा था। गौरतलब है कि ठाकुर ने 2000 में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी बाकी पेज 8 पर

*प्रधानमंत्री* मोदी, आडवाणी और गृह मंत्री शाह रहे मौजूद | *नए* अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार होगा : मोदी

# भाजपा के अध्यक्ष बने नड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

पूर्व केंद्रीय जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को भाजपा के निर्विरोध नए अध्यक्ष चुन लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बधाई दी और उनके सफल एवं यशस्वी कार्यकाल की कामना की। नड्डा के अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा के साथ ही बधाइयों का तांता लग गया।

भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के प्रभारी राधामोहन सिंह ने नड्डा के पार्टी के 11वें अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने की घोषणा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर मोदी, आडवाणी, शाह, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

मोदी ने नड्डा को भाजपा का नया अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह अध्यक्ष के तौर पर यशस्वी होंगे और उनके नेतृत्व में पार्टी का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नड्डा के साथ काम करने के अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए कि नड्डा जी बहुत पुराने साथी रहे हैं। कभी स्कूटर से चलते थे और काम करते थे। मैंने हिमाचल में लंबे समय तक काम किया। उनके साथ एक साथी के तौर पर काम किया।

उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता लगातार अपनी शक्ति, सामर्थ्य और अनुभव के साथ बाकी पेज 8 पर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

विश्वास के बंधन को मजबूत करते हुए

महा सुपर आवास ऋण
2 इएमआई मुफ्त
टॉप-अप प्राप्त करें
मिस कॉल दें : 8010 633 633

महा सुपर वाहन ऋण
ऑन-रोड प्राइस पर 90% तक ऋण
मिस कॉल दें : 8010 641 641

शून्य प्रोसेसिंग शुल्क के साथ आकर्षक ब्याज दर*
*नियम व शर्तें लागू

कासा 48%
एनआईआई (निवल ब्याज आय) 36%
एनआईएम (निवल ब्याज मार्जिन) 2.86%
पीसीआर 83%

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही/नौ माह की अवधि के लिए अलेखापरीक्षित (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | 31/12/2019 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित) | 31/12/2019 को समाप्त नौ माह की अवधि (पुनरीक्षित) | 31/12/2018 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित) |
|---|---|---|---|---|
| निवल एनपीए 5.46% | परिचालन से कुल आय (निवल) | 3459 | 9946 | 3056 |
| | सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) | 135 | 331 | (3764) |
| | अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात) | 135 | 331 | (3764) |
| जमाराशि की लागत 4.81% | ईक्विटी शेयर पूंजी | 5824 | 5824 | 2598 |
| | आरक्षितियां (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर) | 1613 | 1613 | 6216 |
| आय लागत अनुपात 48% | प्रति शेयर आय (असाधारण मदों से पूर्व) (₹ 10/- प्रत्येक के) मूल (₹ में) : | 0.23 | 0.57 | (14.31) |
| | डायल्यूटेड (₹ में): | 0.23 | 0.57 | (14.31) |
| | प्रति शेयर आय (असाधारण मदों के पश्चात) (₹ 10/- प्रत्येक के) मूल (₹ में) : | 0.23 | 0.57 | (14.31) |
| | डायल्यूटेड (₹ में): | 0.23 | 0.57 | (14.31) |

नोट : उक्त, सेबी (लिस्टिंग व अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्स्चेंज को प्रस्तुत तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्स्चेंज की वेबसाइट (BSE: www.bseindia.com और NSE: www.nseindia.com) तथा बैंक की वेबसाइट (www.bankofmaharashtra.in) पर उपलब्ध है।

स्थान : पुणे
दिनांक : 21/01/2020

वी. पी. श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी | हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक | ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक | ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

फॉलो करें @ mahabank:

तीन व्यक्तियों की मौत, वुहान में 136 नए मामले | सार्स जैसा वायरस | भारत ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया

# चीन में विषाणु का संक्रमण बढ़ा, अन्य देश भी चपेट में

बेजिंग, 20 जनवरी (एएफपी)।

चीन में रहस्यमयी सार्स जैसे विषाणु का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और इसकी चपेट में आने से तीसरे व्यक्ति की मौत हो गई है। चीन के आसपास भी रोग फैलना शुरू हो गया है। चीन की यात्रा करने कारण दक्षिण कोरिया का एक नागरिक, थाईलैंड के दो नागरिक और जापान का एक नागरिक संक्रमण की चपेट में आ गया है। प्राधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

फिलहाल चीन के वुहान शहर में इससे जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक करोड़ से अधिक की आबादी वाला वुहान एक प्रमुख परिवहन केंद्र है। इस सप्ताह के अंत में शुरू हो रही चीनी नववर्ष की वार्षिक छुट्टियों के लिए बड़ी संख्या में लोगों के चीन पहुंचने का अनुमान हैं। ज्यादातर लोग यहां से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।

*कोरोना* वायरस विषाणुओं का एक बड़ा समूह है लेकिन इनमें से केवल छह विषाणु ही लोगों को संक्रमित करते हैं। इसके सामान्य प्रभावों के चलते सर्दी-जुकाम होता है। लेकिन 'सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम' (सार्स) से इसके जुड़ाव ने खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसा इसलिए कि 2002-03 में चीन और हांगकांग में करीब 650 लोगों की मौत हो गई थी।

चीन में अभी तक इसकी चपेट में आने से तीन लोगों की जान जा चुकी है। वुहान में सप्ताहांत में इसके 136 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यहां मामलों की कुल संख्या 201 हो गई है।

इस बीच, दक्षिण कोरिया ने सोमवार को वुहान से वहां पहुंची 35 वर्षीय महिला के इस विषाणु से ग्रस्त होने की पुष्टि की। थाईलैंड दो और जापान एक व्यक्ति के इससे पीड़ित होने की पुष्टि कर चुका है, ये तीनों ही चीन यात्रा पर गए थे। विषाणु के एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की पुष्टि अभी नहीं हुई है लेकिन अधिकारियों ने पहले कहा था कि ऐसा होने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता।

भारत ने चीन के वुहान में निमोनिया के नए प्रकार के प्रकोप के चलते चीन जाने वाले अपने नागरिकों के लिए शुक्रवार को परामर्श जारी किया था। वुहान में करीब 500 भारतीय मेडिकल छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। भारत की ओर से जारी यात्रा परामर्श में कहा गया, 'चीन में नए कोरोना वायरस के संक्रमण का पता चला है। 11 जनवरी, 2020 तक 41 मामलों के बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

# जनसत्ता क्लासीफाइड

## व्यक्तिगत

**I,Jyoti** Rani W/o Punit Gupta R/o-Flat No-2103, Sanchar Vihar Apart, Plt No-15, Sec-4, Dwarka NSIT, New Delhi-110078 have changed my name from Jyoti Rani to Jyoti. 0040528239-1

**I,Naveen** Gupta S/o-late Ishwar Dayal Gupta,R/o-BH-507,East Shalimar-Bagh,Delhi-110088,have informed,that Navin Gupta and Naveen Gupta,both are name of,one and the,same person. 0040528274-2

**I,Devendra** Pal Singh S/o Chhatar Pal Singh R/o-123/13,Onkar Nagar-B, Tri Nagar,Delhi-110035,have changed my minor daughter name Kunika Singh to Krishnangi for,all future purposes. 0040528274-3

**I,** hitherto known as Zakir Ali Badri, S/o Late.Baqar Ali residing at.H.No.E-108, Gali.No-5, Chand-Bagh, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as Zakir Ali. 0040528259-7

**I,** Yoosuf Hamid R/o C 805, Ajnara Homes, Sector 16 B, Greater Noida West, Gautam Budh Nagar 201306 have changed my name to Yoosuf Hamid Hussain. 0070693576-1

**I,** Yamini Jain D/o Ashok Jain W/o Saransh Mittal R/O 6/210, Sunder Vihar, New Delhi, West Delhi–110087 Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known as Yamini Jain Mittal. 0070693579-1

**I,** Vinod s/o Jeet Singh R/o-C-35, Sanjay Nagar, Sector-23, Ghaziabad, U.P-201002 have changed my name to Vinod Kumar Permanently. 0040528284-7

**I,** Vineet Singh Tyagi S/o Sh.Udaiveer Singh Tyagi R/o Lt.22, 301, Paras-Tierea, Sec-137, Noida-201301, Uttar Pradesh have changed the name of my minor son Ranvijay Tyagi aged 04-years and 05-months to Ranvijay Singh Tyagi for all purposes. 0040528284-4

**I,** Vikrant Sareen S/o Rajendra Prasad Sareen R/o-WZ-258-A, UGF, Street No.4, Sri-Nagar Rani-Bagh Delhi-34, changed my name to Samarth Sareen permanently. 0040528259-10

**I,** Vikas Vashist R/o B-480 1st Floor Avantika Rohini Sec-1 New Delhi, have changed my name from Vikas Kumar Vashisht to Vikas Vashist for All Purposes 0040528298-2

**I,** Vikas Vashist R/o B-480 1st Floor Avantika Rohini Sec-1 New Delhi, have changed my name from Vikas Kumar Vashisht to Vikas Vashist for All Purposes 0040528298-1

**I,** Umesh S/o Sh. Chandrika ChaudharyR/o 145A, Deep Enclave, Vikas Nagar,Part-3, Uttam Nagar, New Delhi-59 havechanged my name to Umesh Chaudhary for all purposes. 0040528282-1

**I,** Tajinder Kaur Mehta W/o Inderjeet Singh R/o-E-66, F/F, Mansarover Garden, N.Delhi-110015 have changed my name to Tajinder Kaur. 0040528317-6

**I,** Tosheba Akhtar w/o Mohmad Mujahid, R/o-E-133, E-Block, Welcome Seelampur Delhi-110053, have changed my name to Toshiba Akhtar. 0040528284-6

**I,** Sushma Rani W/o Raj Kumar Arora R/o 104/1, Old Pinto Park, Airforce Station Palam, New Delhi-110010 have changed my name to Sushma Arora for all purposes. 0040528244-1

**I,** Sushil Kumar Goyal R/O Qp-74, III-Floor, Pitampura, Delhi-110034. Have Changed My Child Name Ourav Goyal To Orav Goyal. 0040528270-5

**I,** Sunil Mathur S/O Balbir Singh R/O 215, Parva Pana, Karala, Delhi-110081. Have Changed My Name To Sunil Kumar. 0040528270-7

**I,** Sumer Singh S/O Bhoop Singh R/O 72, Arvind Enclave, Nangloi, Delhi-110041. Have Changed My Name To Sumer Singh Gahlawat. 0040528270-9

**I,** Shashi Goyal W/o Vinod Aggarwal R/o 18/19 Third floor Pocket-B-6 Sector-11 Rohini Delhi-85 changed my name to Shashi. 0040528270-1

**I,** Shantra Devi W/O Sumer Singh Gahlawat R/O 72, Arvind Enclave, Nangloi, Delhi-110041. Changed My Name To Santra Devi Gahlawat. 0040528270-8

**I** Inder Pal S/o Uttam Chand Manchanda, R/o Ag-46a Shalimar Bagh Delhi-110088. Changed My Name To Inder Manchanda. 0040528284-8

**I** Harmandeep Singh Kohli R/O-G-169 Top-Floor Vikaspuri Delhi-110018. Has Changed My Minor Son Name Anjan Deep Singh To Anjan Deep Singh Kohli. 0040528284-5

**I** Brijesh Aggarwal S/O Gajanand Aggarwal R/O-D-134, Street No-7, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029. Have Changed my Name to Brijesh Kumar Aggarwal. 0040528259-6

## व्यक्तिगत

**I,** Pawan Kumar Ray S/o Sh. Banaras RayR/o H. No. 1, Gauri Appts 3/4, South End Lane, Nirman Bhawan Central, Delhi-110011have changed my name to Pawan Ray for all future purposes. 0040528264-1

**I,** Sham Sunder S/o Sohan Lal R/o WZ-H-66, SANT NAGAR EXTN, TILAK NAGAR WEST DELHI-110018, inform that Shyam Sunder Kataria, (S S Kataria ) and sham Sunder both name are same person. 0040528255-1

**I,** Savitha P W/o Manish Bhandari R/o-E-33, Mansarover Garden, N.Delhi-110015 have changed my name to Savita Manish Bhandari. 0040528317-5

**I,** Saurabh Sharma S/O Rajendra Dev R/O-D-7. Ground Floor, Vivek Vihar Phase-1 Delhi-110095. Changed My Name To Saurabh Kumar Sharma. 0040528307-7

**I,** Samsun Nahar Khatun W/O Md Emadul Haque H.No-22 Gali-1b, Lakhpat Colony Badarpur Delhi-110044. Changed My Name To Sahana. 0040528307-6

**I,** Sahana W/o Sheikh Islam H.No.675 Phase-3, J.J.Colony Madanpur Khadar New Delhi-110076, have changed my name Sahana to Sahana Bibi. 0040528284-3

**I,** Ritu Devi W/o Sh. Umesh Chaudhary R/o 145A, Deep Enclave, Vikas Nagar, Part-3, Uttam Nagar, New Delhi-59 have changed myname to Geeta Chaudhary for all purposes. 0040528279-1

**I,** Rekha Tiwari, W/o Bharat Bhushan, R/o WP-70-C, Pitam Pura Delhi-110034, after marriage have changed name Rekha for future. 0040528323-1

**I,** Reeta Rani D/o Sh.Ram Lal W/o Anil Kumar R/o House No – 1806 Stno 5 Near Biny Beauty Parlour Vishkarma Nagar Bagga Kalan Central Post Office Ludhiana Panjab - 141008, have changed my name and shall hereafter be known as Lisha Sharma. 0070693580-1

**I,** Reeta Malhotra, W/o Ashok Malhotra, R/o E-441, SFS-Flats, Mayur-Vihar Phase-II, Delhi-110091, have changed my name to Reeta Gosain. 0040528259-2

**I,** Ravinder Gupta S/o B.D.Gupta R/o-50A, 2nd-Floor, Old Gupta Colony, Model-Town, Delhi-110009. have changed my name to Ravinder Kumar Gupta. 0040528307-10

**I,** Ranjit Singh S/o Daljeet Singh R/o-5A/99B, Vishnu Garden, New Delhi-110018 have changed my name to Ranjeet Singh. 0040528317-1

**I,** Rajesh Kumar S/o Late.Jagmohan R/o-178/6B/10 Gali No.11, Near-Idgah, Bholanath-Nagar, Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Rajesh Kumar Miglani for all purposes. 0040528258-5

**I,** Pankaj Sharma S/o Late.Kewal Sharma R/o-F-7/9 Krishna-Nagar Delhi-110051, have changed my minor son name Ketan Sharma (12-Years) to Keatan Sharma for all purposes 0040528258-2

**I,** Nisha W/o Rajesh Kumar Miglani R/o-178/6B/10 Gali No.11, Near-Idgah, Bholanath-Nagar, Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Nisha Miglani for all purposes. 0040528258-4

**I,** Nisha Rani D/o Om Prakash Garg, R/o-WZ-1598/1, Nangal Raya, New Delhi-110046,have changed my name to Nisha Jindal. 0040528274-1

**I,** Nisha Rani D/o Om Prakash Garg, R/o-WZ-1598/1, Nangal Raya, New Delhi-110046,have changed my name to Nisha Jindal. 0040528274-1

**I,** Niraj Kumar S/o Vinod Singh R/o-60-B, Rajbagh Colony, Sahibabad, Ghaziabad have changed my name to Niraj Kumar Sisodia. 0040528317-8

**I,** Neeraj Mediratta S/o Sh. Ramesh chander Mediratta R/o I-132, Kirti Nagar, Ramesh Nagar, West Delhi-110015, have changed my name and shall hereafter be known as Neeraj Medirattaa. 0070693574-1

**I,** Navneet Kaur Gulban, D/O-Sohan Singh Gulban R/O-WZ-249, Virender-Nagar, Lane.No-5, NewDelhi-110058, Have Changed My Name To Navneet Kaur,For All,Future Puposes. 0040528323-3

**I,** Muzaffar Sultan S/o Hidayat Nabi R/o-V-98 St.No.22, Vijay-Park Delhi-110053, have changed my name to Muzaffar Sultan Siddiqui, for all purposes. 0040528258-6

**I,** Mohd. Saeed alias Guddu S/o-Abdul Malik R/o-1591 Sarai-Khaleel, Sadar-Nala Road, Sadar-Bazar Delhi-110006, have changed my name to Mohd.Saeed for all purposes. 0040528258-1

**I** Asma Mohammad Farooq D/O, Mohammad Farooq R/o F/b4 Flat No.101, G Floor, Taj Apartment, Shaheen Bagh, New Delhi-110025 have changed my name to Asma 0040528253-1

**I** Sayedda Tajwar Hasan W/O Syed Mohammad Sajid Hasan H.No-96a, Zakir-Bagh Maulana-Mohammed Ali Jouhar-Marg Delhi-110025. Changed My Name To Tajwar Hasan. 0040528307-8

**I,** Mohammad Hasim S/o Mohammad Kari, R/o 106, Kh.No.95, 2nd Pusta, Near Madarsa Talim Al Quran, New Usmanpur, Khanpur Dhani, Bhajanpura, Seelampur, Delhi-110053 Have Changed My Name to Mohammad Usman. 0040528235-2

**I,** Mohammad Hanif S/o Bashir Ahmad R/o-E-50 Behind Samrat-Cinema Shakurpur Delhi-34, inform that my Father's name wrongly written Mohmad Bassir in my passport but correct name Bashir Ahmad. 0040528259-8

**I,** Mohammad Ehasan S/o Mohammad Usman R/o A-738, Krishna Basti, Amarpuri, Nabi Karim, New Delhi-110055 Have Changed My Name to Mohd. Hasan. 0040528235-1

**I,** Mantavya S/o-Sh.Anil Bakshi R/o-Flat.No.593, Sector-19, Pkt-3, Akshardham-Apartment, Dwarka, New Delhi,have changed my name to Mantavya Sharma,for all future purpose. 0040528323-2

**I,** Maharaj Singh S/o Fhul Singh R/o-Nalkheda Berasia Bhopal M.P-462101, have Changed my Name to Maharaj Singh Meena for all purposes. 0040528317-7

**I,** Komal Talwar D/o Late Bobby Talwar R/o SH-7/104, New Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Navneet Talwar. 0040528241-1

**I,** Km. Doly Rani W/O Arjun Tyagi Add-Gm37 Gulmohar-Marg Dlf Phase-2 Gurgaon-122008, Haryana. Changed My Name To Doly Tyagi. 0040528259-1

**I,** Km Surjeet Kaur Bedi W/O Rajinder Singh R/O-17/30 Geeta Colony Delhi. Changed My Name To Surjeet Kaur. 0040528307-4

**I,** Jitender Kumar S/O Ramesh Kumar Sharma Hno.36/H-Block, Andha Mugal, Pratap Nagar-1, Delhi-110007. Changed my Name to Jitender Kumar Sharma. 0040528270-6

**I,** Rahisha Begum W/o Mohammad Hanif R/o E-50 Behind Samrat Cinema Shakurpur Delhi-34. changed my name to Rahisa Begum. 0040528259-9

**I,** Jeronimo Francisco Almeida S/O Wilfred Simon Almeida born on 23.11.70 residing at 410A Hamilton Court, DLF 4 Gurgaon, have changed my name to Jeroninio Francisco Almeida vide affidavit dated 14.01.20 at Gurgaon 0050161209-1

**I,** Jayapali W/o Lachhiram (Ex. Petty Officer P.No 104073-F) R/o N-114, Sector-25, Noida have changed my name to Jaipali Dhanker for all future purposes. 0040528261-1

**I,** Indu Sharma W/O Kanwar Kumar R/O-D-6/184, I-Floor, Sector-6, Rohini, Delhi-110085. Changed my Child Name Lavanaya Sharma To Lavanay Sharma. 0040528270-4

**I,** Inderjit Kaur W/o Daljeet Singh R/o-5A/99B, Vishnu Garden, New Delhi-110018 have changed my name to Inderjeet Kaur. 0040528317-2

**I,** Hitesh Seherawat, S/o Surinder Singh, R/o H.No.92, Type-3, B.S.A.Hospital, Sector-6, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Hitesh Sehrawat. 0040528259-3

**I,** Hema Chawla W/o Vijay Chawla R/o-3/6, Ramesh Nagar, New Delhi-110015 have changed my name to Veena Chawla. 0040528317-4

**I,** Harsh Wordhan alias Majeti Harsha Vardhan alias M Harsha Vardhan S/o Sh. Majeti Srinivas R/o 8-3-809/12 Priya Nivas, Near Hanuman Temple, Yellareddy Guda, Hyderabad, Andhra Pradesh,500073 have changed my name and shall hereafter be known as Harsh Wordhan. 0070693598-1

**I,** Gurasis Singh S/o Inderpal Singh R/o-H-18 Single Storey Vijay Nagar Delhi-110009 changed my name to Gurasees Singh. 0040528284-1

**I,** G. Ganesan S/o M Govindan R/o 29/84, Trilok Puri, Delhi-110091 have changed my name to Ganesan Govindan S/o Govindan Mooper, for all purposes. 0040528236-1

**I,** Daljit Singh S/o Udham Singh R/o-5A/99B, Vishnu Garden, New Delhi-110018 have changed my name to Daljeet Singh. 0040528317-3

**I,** Bushara Siddiquee, D/o-Abdul Quddus Siddiqui, W/o-Fahim Ahmad Khan, R/o-D-50, Abul-Fazal-Enclave-Part-2, Jamia-Nagar, ND-25,changed my name,from Bushara Siddiquee to Bushra Siddiqui,for all purpose. 0040528307-3

**I,** Bhagirath Prashad Verma S/O Mangu Ram Verma R/O-Rz-115 A Shiv-Mandir-Marg Gali No-4 Raj Nagar-I Palam-Colony N.Delhi-110077 Changed My Name To Bhagirath Prasad Verma. 0040528307-5

**I** Jai Kishan S/o Chander Bhan Verma R/o-B-198 Yadav Market Road Sawroop-Nagar Delhi-110042, Changed My Name To Jai Kishan Verma. 0040528284-11

**I** Meena alias Meena Chadha D/o Late Sh.Pran Nath W/o Sh.Swadesh Goswami R/o House No.WZ-422B 4/1, Nanak Pura, Hari Nagar, New Delhi-110064 have changed my name to Meena Goswami for all purposes. 0040528233-2

## व्यक्तिगत

सूचनाथ मैंने अपना नाम तुहिना वर्मा से बदलकर अब तुहिना रस्तोगी कर लिया है, मैं अब इसी नाम से जानी जाऊँगी। तुहिना रस्तोगी पत्नी स्व. राहुल वर्मा 215/32ग सुभाष मार्ग लखनऊ–226003

**I,** Ashwani Kumar S/O Shivkant Mishra R/O S-606, School-Block, Shakarpur, East Delhi-110092, have changed my name to Ashwani Mishra. 0040528259-4

**I,** Amarjeet Singh S/o Jagat Singh R/o 308, Mantola, Paharganj, Delhi-110055 have changed my name to Amarjit Singh. 0040528307-9

**I,** Ahmad S/o Mohd Qasim H.No-1392 Gali No-8A, Vijay Park Maujpur, North-East Delhi-110053, changed my name to Mohd Ahmed. 0040528284-2

**I,** Aanchal D/o Rajesh Kumar Miglani R/o-178/6B/10 Gali.No.11, Near-Idgah, Bholanath Nagar, Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Aanchal Miglani for all purposes 0040528258-3

**I** have changed my name from Gagandeep Singhto Gagan Deep Singh Gill as per Affidavit. 0070693565-1

**I** Nisha W/O, Anurag Jindal R/o A-97 Second Floor Kaushambi, Ghaziabad have changed my name to Nisha Aggarwal for all purposes. 0040528252-1

**I** Yogendra Singh S/O Ranbir Singh R/O-52-C, Rattan-Park, Nangloi, New Delhi-110041 have changed my name to Yogender Singh for all purposes. 0040528270-2

**I** Umer Mohammad S/o Kale Khan R/o-F-204/1, Shaheen Bag, Abul-Fazal-Enclave-2, Jamia Nagar, ND-25, have changed my name to Umar Mohammad 0040528307-1

**I** Sunita W/O, Chand Singh R/o Village Gijii, Tehsil Sampla, District Rohtak, Haryana have changed my name to Kamla Devi for all purposes. 0040528251-1

**I** Shubham S/O Suresh Goyal Add- V-22/27, Street No.27, Vijay Park, Maujpur, Delhi 110053. Changed My Name To Shubham Goyal. 0040528270-3

**I** Shahiba Parveen D/o Mohd. Abbas Ahmad R/o RZ-A-32 Upper First Floor Nihal Vihar New Delhi-41.I have changed my name from Shahiba Parveen to Shahiba Khan for all future purposes 0040528294-1

**I** Satinder Singh S/O, Ranjodh Singh Nanda R/o Gh-1/257 Paschim Vihar Delhi-110063 have changed my name to Satinder Singh Nanda for all purposes. 0040528287-1

**I** Sandhya Kumar Matta W/o-Tarun Matta R/o-D-59, Prashant Vihar, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Sandhya Matta for all purposes. 0040528285-1

**I** Ranjeet Kumar Shaw s/o Shankar Shaw Khasra no-582, Third floor, Flat no-401,Village devli,New delhi-110062 have changed my name to Ranjeet Shaw 0070693578-1

**I** Raj Bala W/o Naresh Kumar Goel H.No-15 Road No-10 East Punjabi-Bagh Delhi-110026, changed My Name To Raj Bala Goel. 0040528284-9

**I** Prashant Singh Chauhan S/O, Kayam Singh R/o F-3b, ground Floor, Krishan Vihar, pooth Kalan, North Delhi-110086 have changed my name to Prashant Singh for all purposes. 0040528245-1

**I** Pooja Bali W/O Prince Bali R/O-4590, Achievers-Villas, Kalindi-Hills Sector-49, Faridabad Haryana-121001 Have Changed My Name To Puja Bali. 0040528259-5

**I** Omprakash Keer D/O Dalu Ram Keer R/O Byawar Road Chungi Naka, Tehsil Asind, Asind Bhilwara Rajasthan – 311301, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Aditya Jain. 0070693600-1

**I** Neelima W/o Sh.Manish Sharma R/o 397, G/F, City Homes, Omaxe City, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana-124507 have changed my name to Neelima Sharma for all purposes. 0040528233-1

**I** Naresh Kumar Goel S/o-Gaini Ram Goel H.No-15 Road No-10 East Punjabi-Bagh Delhi-110026, changed My Name To Naresh Goel. 0040528284-10

**I** Mohd Kamaluddin S/o Mohd Asghar R/o-65, Okhla-Village, Jamia Nagar, ND-25 have changed my name to Kamaluddin for all purposes. 0040528307-2

**I** Manish Yadav S/O, Sher Singh Yadav R/o Vill-berli Khurd, Rewari, Haryana, 123401 have changed my name to Manesh Yadav for all purposes. 0040528243-1

**I,** JATINDER Singh S/o Harjinder Singh R/o BE- 351, Upper 1st Floor Street No-06, Hari Nagar, New Delhi-110064 have changed my name from Jatinder Singh to Jatindera Siingh for all future purpose. 0040527877-1

I Abdul Alim S/o Abdul Mannan R/o village Papardaha and P.o Ekpaharia. P.S. Burwan Dist. Murshidabad do hereby Solemnly affirm and declare that my wife's actual and correct name is olima khatun but in my service records my wife's name has been wrongly recorded as Alima khatun. that Olima khatun and Alima khatun is same, single, One and identical person

## खोया+पाया

**The** Original Allotment Letter No. Prop/BHS13/All/913 dated 11.02.2011 of property Flat No. 215, Block C, Sector XU-III, Greater Noida has been lost. I Vijitendra Kumar Kuril wants to take a Home Loan by mortgaging the said property from SBI RACPC Noida Code 14702. In case any party has any claim towards the said property the same should be lodged with SBI RACPC Plot No. C-03B, Sector – 55, Noida – 9968000081. 0040528296-1

**I,** ANNU D/o MAHESH SINGH H.NO-D-728, JHANGIRPURI, Delhi-33. have lost my original certificate class-10th year-2012 Rollno-8689242 CBSE Delhi. 0040528293-7

**I,** Anjali Kumari D/o Sanjay Kumar R/o-19/70, Dakshin puri, Ext., New Delhi. have lost my original Certificate and Marksheet of 10th-class Session-2017-2018, Roll No.8226876, Passout from CBSE. 0040528293-3

**I,** MAMTA Thakran D/o Amar singh h.no-235 baghipur-thakran Delhi-39 have lost my original certificate class-10th year-2008 Rollno-6126485 CBSE Delhi 0040528293-6

**I,** NEERAJ Kumar S/o Mahendra singh R/o A-3/318 Amar colony east gokalpur Delhi-94 have lost my original certificate class-10th year-2004 Rollno-6316751 CBSE Delhi. 0040528293-5

**I** have lost my 10th class mark sheet Roll No. 8648517 Year 2018. Chhavi Somani D/o S P Somani R/o 18/14 Shakti Nagar Delhi. 0040528290-1

**I,** Shivam Kumar S/o Sanjay Kumar R/o-19/70, Dakshin puri-Ext., New Delhi. have lost my original Certificate and Marksheet of class-10th, Session-2016-2017, Roll No.8227044, Passout from CBSE. 0040528293-4

**It** is notified for the information that my Original Certificate of,main Secondary Examination Year-2019 Roll.No.8707156, Issued by CBSE has been Lost DHARMENDER S/o Tinku R/o-435, Shahbad,Daulatpur Delhi-110042 Finder-9643192794. 0040528317-10

**It** is notified for the information that my Original Qualifying Examination Qualified of main Secondary Examination of Year-2006 and Roll.No-6120169 Year-2008 Roll.No-6216480 Respectively issue by CBSE has been actually lost name of Candidate-Sonali Chauhan R/o-E-7 Prem-Gali Babarpur-Shahdara Delhi-110032, Ph-9711351546 0040528230-1

**Lost** Conveyance Deed (NO-17519 Registered on-22-10-2012) of my flat no. D3/502 located at TulipPetals sector-89, Gurugram. Please provide me the same if anyone finds the same at the given No-00447473118111. Substantially rewarded. 0040528254-1

**Lost** original Lease Deed of Plot No.26/2, Block-B, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 belonging to M/s Vakil Chand Devender Kumar Jain. FIR lodged vide LR No.65937/2020 dated:18-1-2020. Founder inform at above address. 0040528231-1

**I,** Priti D/O Madan Choudhary R/O D-934 Nathupura gali no-4 Burari Delhi-110084, have lost my 10-marksheet, roll no.8678730, (CBSE) 0040528317-11

## रिक्त स्थान

**RAO MOHAR SINGH COLLEGE OF EDUCATION**
Jatauli, Gurugram.
**Tel. No. 9999648059**
E-Mail: rmscollege.gurgaon@gmail.com
Urgently Require Staff (Teaching & Non-Teaching) for D.El.Ed.
- Principal - 01
- Perspective in Education-03
- Pedagogy Subjects-09 (Science, Social Sci., Maths, Language)
- Fine Art-02 • Physical Education-01
- All Non-Teaching Staff

Note: Qualification & Salary as per State Government/NCTE/Haryana Education Board/SCERT.
Walk-In-Interview on 31/01/2020 at 9:30 am to 2:30 pm
Secretary

### PUBLIC NOTICE

Public at large is inform that my client Mr. Rudranshu Mukharji son of Smt. Lilli Mukharji is selling his property to Mr. Indraj Singh Vashisht son of Shri Balkishan (Aadhaar No. 9241 5259 7080) of the property number 228-B, First Floor, Kastoori Bhawan, Shatarwali Gali, Khanpur Village, New Delhi-110062. If anybody has any objection can claim in 15 days from the date of this notification. If no claim comes. It will be treated as no objection- no claim will be given in the future ever.

Sd/-
RAJ KUMAR
Advocate
Chamber No. 466,
Saket District Courts,
New Delhi-110017

### PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL THAT MY CLIENTS SH. KAILASH CHANDRA S/O LATE SH. MADHWA NAND CHANDRA AND HIS WIFE NAMELY SMT. SINDHU BUDAKOTI, R/O PLOT NO. 38 & 106, KH. NO. 220/22, GALI NO. 9, NEAR SANATAN DHARMA MANDIR, RANAJI ENCLAVE, PHASE-II, NAJAFGARH, DELHI, HAS DEBARRED AND DISINHERITED THEIR SON DEEPAK BUDAKOTI & HIS WIFE NAMELY SMT. RANJANA, FROM ALL THEIR PROPERTIES, BOTH MOVABLE AND IMMOVABLE. HOWEVER, GRANDSON OF MY CLIENTS NAMELY KAVIN BUDAKOTI (SON OF DEEPAK BUDAKOTI) SHALL HAVE ALL THE RIGHTS IN THE PROPERTIES OF MY CLIENTS. MY CLIENTS HAVE NO CONTROL OVER THEIR ABOVESAID SON AND HIS WIFE, WHO HAVE NO RESPECT AND REGARD FOR MY CLIENTS AND THEIR FAMILY. IF ANYBODY DEALS WITH THEM WILL DO SO AT HIS/HER/THEIR OWN RISK AND RESPONSIBILITY.

Sd/-
(RAHUL BANSAL)
ADVOCATE
CH.NO.176, PATIALA HOUSE COURTS,
NEW DELHI-110001

### सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला भगवान देवी पत्नी स्वर्गीय शंकर लाल निवासी ई 299 जहांगीर पुरी नजदीक प्रयास एनजी ओ दिल्ली 110033 ने अपने बेटी मिथलेश, शशी, स्वर्गीय भाई ओम प्रकाश की पत्नी संतोष एवं उसके बच्चे राहुल, पवन, रेनू राखी और दोनों बेटों बसंत कुमार एवं सुनील एवं उनके परिवार को अपने सगी चल एवं अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है।

नीतू सेठी, एडवोकेट
सीट नं 36 बार रूम नं-2 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

### सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री धर्मपाल अंतिल सुपुत्र श्री रतन सिंह निवासी C1/3 बी, राजीव नगर एक्सटेंशन, बेगमपुर दिल्ली 86 ने अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति में से अपने दोनों पुत्र विजय अंतिल और विशाल को तथा विजय अंतिल की धर्मपत्नी प्रीति और विशाल की धर्मपत्नी पूजा तोमर को उनके व्यवहार और परिवार के प्रति अनदेखी के कारण सभी प्रकार से बेदखल कर दिया है। वे लोग अलग रह रहे हैं और मेरे मुवक्किल का किसी भी प्रकार से अब उनसे कोई संबंध नहीं रहा है कोई भी व्यक्ति उनसे स्वयं से व्यवहार करेगा और मेरे क्लाइंट का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं रहेगा।

S.P. AGGARWAL
ADVOCATE
DELHI HIGH COURT

मेरे मुव्वकिल प्रमोद बल्व राधेश्याम निवासी सी–114 मंगोल पुरी दिल्ली, ने अपनी पूर्व पत्नी आरती एवं पुत्री मीनाक्षी को इनके चरित्र एवं दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल–अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है। अब इनसे कोई संबंध नही है। यदि कोई इनसे संबंध रखेगा तो वह स्वयं जिम्मेवार होगा।

S.L. Kashyap (Advocate)
Old seat No.154 C.B. No.1
Tis Hazari Court, Delhi

### PUBLIC NOTICE

Know by all that my client Shri M.L Sharma and his wife Smt. Pushpa Sharma R/o C-51, HPS Farma, Sector 135, NOIDA, U.P 201305 have severed all relationships with their son Vivek Sharma and his wife Anshu Kaushik and they shall have no claim over moveable and immoveable property of my clients. Anybody that deals with them in any manner shall do the same on his/her own and my clients shall not be responsible for that.

PRADEEP AHLAWAT
ADVOCATE
Chamber No,315, Lawyer's Chamber,
Rohini Distt. Courts, Sec-14,
Delhi-110085

**LOST AND FOUND**

I, Surinder Singh Sethi S/o Late Jaswant Singh R/o Wz-85,Ground Floor, Gali No. 27, Near Kandhari Chowk, Tilak Nagar New Delhi-110018 have lost original property documents i.e. General Power of Attorney, Agreement to Sell, Affidavit, Will, Possession Letter & Memorandum of understanding dated : 22-9-2019 at Chander Vihar of my undivided half share in built up upper third floor with Roof rights of property bearing No. 20, Land area measuring 53 Sq. Yds out of Khasra No. 41/12/2 situated in the area of Vill. Nilothi colony known as Guru Nanak Vihar Nilothi Extn. New Delhi-41 Executed by Smt. Jaspreet Kaur D/o Late Raghubir Singh R/o WZ-81 & 82, Gali No. 27, Sant Garh, Tilak Nagar, New Delhi-110018 in favour of Sh. Surinder Singh Sethi S/o Late Shri Jaswant Singh duly Notarised on 3-5-2017 by Notary Public, Delhi. FIR lodged vide LR No. 62768/2020 dated 17-1-2020. Founder inform at above address.

### PUBLIC NOTICE

My client Rani W/o Late Sh. Manesh Kumar R/o H-295, Mangol Puri, Delhi-110083 have debarred her son Gaurav Chauhan and his wife Manisha and children, son, Sourav and son Kunal, from movable and immovable properties and have severed all relations from them due to their misconduct, bad behaviour and bad intentions. Any person dealing with them shall be doing so at his/ her/ their own risk, cost and responsibilities. My Client will not be responsible for the same.

Sd/-
SANJEEV JAIN
(Advocate)
Enrl. No. D-226/91

### PUBLIC NOTICE

My client Sunita W/o Vijay Kumar R/o 201-A, Kewal Park, Azadpur, N.S. Mandi, Delhi-110033, have severed all her relations and disowned her son Ankush Budhiraja, daughter-in-law Sonam Gupta and Grandson Amoh Budhiraja all residents of 704 1C Michael Street Brunswick VIC 3056, Melbourne (Australia) from all her moveable and immoveable properties and assets with immediate effect.

Neetu Sethi (Advocate), Seat no.36, Bar room no.2, Tis Hazari Court Delhi

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to publiic at large that my clients Sh. Chandra Bhan Yadav son of Late Sh.Chhatar Singh & Smt. Jai Kaur Yadav wife of Sh. Chandra Bhan Yadav both R/o Dwarka, New Delhi have dishereited/ disowned their son Mr. Kamal Yadav, their daughter in law Mrs.Manisha Yadav wife of Mr. Kamal Yadav and their children from both their movable and immovable properties with immediate effect due to their misconduct and misbehavior with my clients.

Anybody dealing with them in any manner whatsoever will be doing so at his/her own risk, cost and responsibilities thereto and my clients shall be in no way responsible for any acts, deed and things done by them.

Sd/-KESHAV KUMAR WADHWA, ADVOCATE
D-1/21,Sector-23B,Pkt-8,Dwarka, N.Delhi-77

### PUBLIC NOTICE

Be known to all that my client Smt. Shobha Rani Sharma D/o Late Shri Naval Pratap Singh W/o LateShri Shashi Kumar Sharma (S.K. Sharma) married to Shri S.K. Sharma and her date of birth as recorded in Aadhar Card, PAN Card and Passport is 25.04.1951. Therefore, all are informed that her date of birth be taken as 25.04.1951 and not any other date of birth. She herself voluntarily not used and date of birth other than 25.04.1951.

S.C. Singhal (Advocate)
Office:-262, Lawyer's Chambers,
Delhi High Court, New Delhi-110003

### PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely **Mohammad Gyasuddin S/o Mohammad Ahsan and Mrs. Sunehra Begum W/o Mohammad Gyasuddin both R/o B-9/71C, DDA Flats, Inderlok, Delhi-110035**, wants to disown his/her son namely **Mohammad Faizan and his wife namely Mrs. Fara Naaz** from self acquired movable and immovable property for future all actions, and above said statements are true and correct in the best of my knowledge & belief.

Place: New Delhi
Date: 19.01.2020

Shama Rani (Advocate)
Enrolment No. D-843/1992

### PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that I, Attar Singh Solanki S/o Late Shri Rishal Singh, R/o BA-10, Shalimar Bagh (West), Delhi due to highly objectionable, exploitative, abusive and intolerable behaviour and attitude of my son Puneet Solanki hereby, disinherit him from my all moveable and immoveable properties/assets out of my free will and consent.

I have severed all my relations with my son Puneet Solanki, and his wife Ms. Neelu Solanki, who shall have no rights of inheritance in my all movable and immovable properties. I shall have no liability to any debt, claim, loan, encumbrances already created or which may be created, by Mr. Puneet Solanki in future or for any other act, commission or omission committed by him. Any one dealing with him will do so at his/her own risk, cost and peril.

Attar Singh Solanki

### PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my clients, namely, Mr. Rajpal S/o Sh. Ram Gopal, aged 60 years and Smt. Vandana W/o Mr. Rajpal, aged about 55 years, both R/o 2647, 3rd Floor, Punjabi Basti, Near Ghantaghar, Subzi Mandi, Malka Ganj, Delhi-110007, have disowned and severed all the relations with their son namely Mr. Vikas S/o Sh. Rajpal, aged 25 years, R/o House No. 9207, Gali Zameer Wali, Nawab Ganj, Azad Market, Delhi-110006. Hence for my aforesaid clients shall not be liable and responsible for any of the acts, deeds, financial as well as any other liability of their above- named son and shall not be liable to indemnify the same in any manner whatsoever.

Whosoever may deal with their above named son shall deal at their own risk and liability only.

Sd/-
(VINAY KUMAR ARORA)
ADVOCATE
Enrol. No. D-182/1984

### PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, **Pinkey Gupta** wife of Shri Vishnu Kant Gupta is the owner of DDA built-up LIG Flat no. 129-A, GF, Pkt-A-3, Kondli Gharoli, Mayur Vihar-III, Delhi-110096.

I have lost original documents of DDA i.e. demand cum allotment letter dated 31.05.1997 in favour of allottee Smt Krishna. An FIR dated 19.01.2020 has already been filed in this respect.

Any person(s) claiming any right, interest, having any objection in respect of above may write/contact with above named person at above address/phone no. 9953753183. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to Dy Director (LAB) H or Director (H)-1, D-Block, Third Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi

PINKEY GUPTA

### PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Ms. Vandana Malhotra Mehta D/o Late Krishna Vir Malhotra, resident of G-12, Anand Niketan, New Delhi-110021, has lost the Provisional Allotment Letter/ownership document of KPA 0030705, Jaypee Greens Kensignton Park Apartments, Sector 133, Noida, Uttar Pradesh - 201304. An Information Report in respect of the lost property document has already been registered on 17.01.2020 before the Crime Branch, Delhi Police.

Sd/-
Mani Chander (Advocate)
12/77 & 12/78 Lower Ground Floor Vikram Vihar,
Lajpat Nagar-IV
New Delhi- 110024
Phone: + 91 11 26442081

### PUBLIC NOTICE

This inform the general public that Karur Vysya Bank having its branch at Ramesh nagar, New Delhi. Branch intends to accept the under mentioned property standing in the name of M/s Ganga Buildmart Pvt. Ltd. As a security for a loan / credit facility represented by one of its customers.

In case anyone has got any right/title/ interest/claims over the under mentioned property, they are advised to approach the Bank within 7 days alongwith necessary proof to substantiate there claim.

If no response is received within 7days, it is presumed that the property is free of any charge/ claim/encumbrance and Bank shall proceed with the mortgage.

**Detail of property :**
**Property Bearing No. B-278 & B-279, Gali no.3, Entire First floor without roof rights & Entire Third floor with roof rights, area 62.5 Sq.yds Majlis Park

**मौसम**

| तापमान | नोएडा | गाजियाबाद | गुरुग्राम | फरीदाबाद |
|---|---|---|---|---|
| अधिकतम | 15.0 डि.से. | 15.0 डि.से. | 18.0 डि.से. | 17.0 डि.से. |
| न्यूनतम | 7.6 डि.से. | 7.6 डि.से. | 8.0 डि.से. | 8.0 डि.से. |



# मोदी सर की क्लास रहेगी याद

सुशील राघव
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

तालकटोरा स्टेडियम में सोमवार को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा 2020' कार्यक्रम में दो हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2.68 लाख विद्यार्थियों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस बार 50 दिव्यांग विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में एक हजार से अधिक विद्यार्थी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ व अन्य प्रदेशों से थे। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें मोदी सर की यह क्लास पूरी जिंदगी याद रहेगी।

नागपुर में केंद्रीय विद्यालय की छात्रा प्रशंसा ने बताया कि उन्होंने परीक्षा पे चर्चा निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसकी वजह से ही मुझे दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि वैसे तो हमारे अभिभावक भी हमें समय-समय पर पढ़ाई और तनाव को कम करने के बारे में बताते ही हैं लेकिन प्रधानमंत्री की बताई बातें हमें पूरे जीवन याद रहेंगी।

### दिन रात मेहनत कर किया खुद को तैयार

'परीक्षा पे चर्चा 2020' कार्यक्रम का संचालन इस बार केंद्रीय विद्यालयों के तीन विद्यार्थियों ने किया। इनमें केवी डीआरडीओ बंगलुरु की हृदया एस नायर, केवी रांची साहिल कुमार और केवी रायपुर के श्रेया सिंह शामिल थे। इन विद्यार्थियों के शानदार संचालन की प्रधानमंत्री ने भी खूब प्रशंसा की। ये तीन एक भारत, श्रेष्ठ भारत प्रतियोगिता में हिंदी और अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं। साहिल ने बताया कि इससे पहले हमने स्कूल के कार्यक्रमों में ही भाषण दिए हैं या कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने आकर कार्यक्रम का संचालन की बात तो हमने सोची ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में डर भी लगा लेकिन शिक्षकों की मदद से हमने यह कठिन कार्य पूरा कर ही लिया। हृदया और श्रेया ने भी कहा कि शुरुआत में प्रधानमंत्री के सामने थोड़ा डर लगा लेकिन प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि हम उन्हें अपना दोस्त समझें और इस तरह डर खत्म हो गया।

## कालिंदी कुंज मार्ग बंद होने का मामला एनएचआरसी पहुंचा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 20 जनवरी।

शाहीन बाग में चल रहे धरना और प्रदर्शन को लेकर पिछले एक महीने से दिल्ली- नोएडा को जोड़ने वाला कालिंदी कुंज मार्ग बंद है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हो रहे विरोध के चलते चंद मिनट की दूरी तय करने में घंटों का समय लग रहा है। इसे लेकर नोएडा सेक्टर- 49 के रहने वाले मयंक राज ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई है।

मयंक राज के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून समेत अन्य प्रावधानों के विरोध में किए जा रहे बंद को समाप्त करने में अपने आप को असहज महसूस कर रही है। जिसके चलते मानव अधिकार संहिता के अनुच्छेद- तीन, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व है और अनुच्छेद 13 में एक व्यक्ति को कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, का हनन हो रहा है। यह तथ्य सामने होने के बावजूद एक महीने से सरकार मूकदर्शक बनी है।


**RITA FINANCE AND LEASING LIMITED**
(Formerly known as Rita Holdings Limited)
Regd. Off.: 324 A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
E mail: ritaholdingsltd@gmail.com, website: www.ritaholdings.in, Tel: 011-27860681
CIN: L67120DL1981PLC011741

**Extracts of the Standalone Un-Audited Financial Results For the Quarter ended December 31, 2019**

(₹ in lacs)

| Sl. No. | Particulars | Quarter Ending 31/12/2019 (Un-Audited) | Year to date Figures for nine months ended 31/12/2019 (Un-Audited) | Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2018 (Un-Audited) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Total income from operations | 9.70 | 40.11 | 12.63 |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 6.19 | 6.27 | 8.71 |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 6.19 | 6.27 | 8.71 |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 4.58 | 4.64 | 6.45 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] | (4.15) | 7.71 | 13.89 |
| 6. | Equity Share Capital | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) | 176.5 | 176.50 | 165.23 |
| 8. | Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic : 2. Diluted : | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.18 0.18 |

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e. (www.ritaholdings.in) and website of the stock Exchange(s) (www.msei.in).
2. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 20th January, 2020.
3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act ,2013 read with Ind -as rules ( As amended)

For and on behalf of the Board of Directors of
RITA FINANCE AND LEASING LIMITED
(Formerly known as Rita Holdings Limited)
Sd/-
Kiran Mittal
(Director)
DIN: 00749457

Date : 20.01.2020
Place: New Delhi


## जेएनयू में विद्यार्थियों के बीच फिर झड़प

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

जेएनयू में सोमवार रात फिर से विद्यार्थियों के बीच झड़प की बात सामने आई है। मामला दोपहर के खाने के समय का है। विद्यार्थियों ने बताया कि झड़प के बाद नर्मदा छात्रावास के वार्डन को दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी गई थी। देर शाम सफदरजंग अस्पताल में एमए प्रथम वर्ष के छात्र रागिब अकरम को भर्ती कराया गया। रागिब के भाई गालिब ने बताया कि कुछ विद्यार्थियों ने उनके भाई को सीने में मारा।

## थप्पड़ मारने पर चचेरे भाई को गोली मारने का आरोप, फरार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 20 जनवरी।

दादरी इलाके के चिटहेरा गांव में शराब पीने के दौरान कहासुनी होने पर थप्पड़ का बदला लेने के लिए चचेरे भाई को गोली मार दी। घायल को गंभीर हालत में ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना दादरी में आरोपी के नामजद मामला दर्ज कराया गया है।

चिटहेरा में रविवार देर शाम चंद्रपाल के घर पर उसका ममेरा भाई सचिन आया हुआ था। शाम को सभी बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर चंद्रपाल के चचेरे भाई मोंटू ने सचिन को थप्पड़ मार दिया। उसी दौरान चंद्रपाल ने विरोध करते हुए मोंटू को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज होकर मोंटू अपने घर चला गया और तमंचा लेकर चंद्रपाल के घर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। जिसका विरोध करने पर मोंटू ने चंद्रपाल के पेट में गोली मार दी।

## प्रगतिशील लेखक संघ ने दी खगेंद्र ठाकुर को श्रद्धांजलि

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

प्रगतिशील लेखक संघ, दिल्ली इकाई की ओर से अजय भवन में कॉमरेड खगेंद्र ठाकुर की याद में शोकसभा संपन्न हुई। इस मौके पर खगेंद्र के करीबी मित्र-सहयोगी विश्वनाथ त्रिपाठी ने पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद करते हुए कहा कि पार्टी लाइन पर उसकी नीतियों पर मजबूती से खड़े रहे लेखन में भी वही प्रतिबद्धता देखी जा सकती है।


**रुचिरा पेपर्स लिमिटेड**
RUCHIRA PAPERS
पंजी. कार्यालयः त्रिलोकपुर रोड, कला अम्ब, जिला सिरमौर (एच.पी.)
CIN: L2101HP1980PLC004336,
www.ruchirapapers.com

**शेयरधारकों के लिए सूचना**
**निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में इक्विटी शेयरों का अंतरण**

आईईपीएफ (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, समय-समय पर यथा-संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुपालन में कम्पनी को ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करना है जिसके संदर्भ में लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभांश दावा-रहित तथा उसके परिणामस्वरूप अप्रदत्त रहा है।

उक्त नियमावली के अनुपालन में कम्पनी ने 20 जनवरी, 2020 को ऐसे सभी शेयरधारकों को उसका दावा करने का अनुरोध करते हुए व्यक्तिगत सूचना भेज दी है जिनके शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है तथा जिन्होंने वित्त वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले लगातार सात वर्षों में लाभांश का दावा नहीं किए हैं।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, के नाम तथा डीपीआईडी-क्लाइन्ट आईडी से शामिल विवरणों को अपनी वेबसाईट अर्थात **www.ruchirapapers.com** पर अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली शेयरों के विवरणों के लिए वेबसाईट देखें तथा उसकी जांच कर लें।

शेयरधारकों को पुनः सूचित किया जाता है कि अधिकतम 15 मार्च, 2020 तक वित्त वर्ष 2012-13 के बाद अप्रदत्त/ दावा-रहित लाभांश का दावा प्रस्तुत करें। उसका नगदीकरण करा लें ताकि उनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित न की जाए। कृपया यह ध्यान रहे कि यदि नियत तिथि को लाभांश दावा-रहित/ अप्रदत्त रहती है तो कम्पनी संशोधित नियमावली में निर्दिष्ट पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार आगे कोई भी सूचना दिए बिना ऐसे शेयरधारकों की शेयरों को आईईपीएफ में अंतरण की कार्रवाई शुरू करेगी।

संशोधित नियमों के अनुसार भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों तथा जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, कृपया यह ध्यान रखें कि कम्पनी डीमैट पद्धत्ति में रूपांतरण के लिये उनके द्वारा धारित मूल प्रमाण पत्र(त्रों) की जगह नया शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करेगी तथा उसके बाद आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में उसका अंतरण करेगी। इस निर्गम के बाद उनके नाम(मों) में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे अविचारणीय माना जायेगा। ऐसे शेयरधारक जो डीमैट पद्धत्ति में शेयर धारित करते हैं, के मामले में आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में शेयरों का अंतरण संबंधित डिपॉजिटरीज के माध्यम से कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई ऐसे शेयरधारकों की सूची के उपरोक्त सम्पूर्ण विवरणों को संशोधित नियमों के अनुसार आईईपीएफ की डीमैट खाता में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

ऐसे शेयरों पर आगे कोई भी लाभांश आईईपीएफ में क्रेडिट की जायेगी। दावा-रहित लाभांश तथा आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के संदर्भ में कम्पनी के प्रति कोई दावे नहीं की जा सकेगी आईईपीएफ में लाभांश तथा शेयरों के अंतरण पर शेयरधारक नियमावली के अनुसार प्रपत्र-5 में आईईपीएफ के पास आवेदन कर उसका दावा कर सकते हैं। उक्त प्रपत्र आईईपीएफ की वेबसाईट अर्थात् www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्त विषय पर किसी प्रकार की जिज्ञासा के लिये शेयरधारकों से अनुरोध है कि सचिवालयी विभाग, रुचिरा पेपर्स लिमिटेड, त्रिलोकपुर रोड, कला अम्ब, एचपी-173030, ईमेल-cs@ruchirapapers.com से सम्पर्क करें।

बोर्ड के आदेश से
रुचिरा पेपर्स लिमिटेड के लिये
विशाल सेठी
कम्पनी सचिव

स्थानः कला-अम्ब
तिथिः 20.01.2020



**पंजाब एण्ड सिंध बैंक**
(भारत सरकार का उपक्रम)
अंचल दिल्ली -I
2, सिद्धार्थ एन्क्लेव,
आश्रम चौक, नई दिल्ली -110014
दूरभाष: 011-26346434, 26342290
जहाँ सोच ही जीवन - शैली है

बैंक 15 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए लीज के आधार पर कारपेट एरिया निम्नलिखित के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर परिसर के लिए दो बोली प्रणाली (कुल किराए के भीतर ऑन-साइट एटीएम की स्थापना सहित) के तहत ऑफर आमंत्रित करता है।

| शहर में स्थान का नाम | कार्पेट एरिया (वर्ग फीट में) |
|---|---|
| 1. मौजूदा शाखा के पास साकेत, दिल्ली | 1. 1000-1200 वर्ग फीट |
| 2. पटपड़गंज एरिया में | 2. 1500-1800 वर्ग फीट |

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.psbindia.com पर जाएं।
आंचलिक प्रबंधक



**बैंक ऑफ़ बड़ौदा** Bank of Baroda
POWER OF 333
शाखा : वसुंधरा, गाजियाबाद

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8 (1))**

जैसा कि
वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित अगलगमेशन की योजना के अनुसरण में, वित्तीय सेवा विभाग ने जी.एस.आर. नं0 2(ई) दिनांक 02.01.2019 को, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 01.04.2019 से प्रभावी किया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्तावेजों के साथ-साथ विजया बैंक के पक्ष में सिक्योरिटी इन्टरेस्ट को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ स्थानांतरित और निहित किया जाता है।

प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी **बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक)** का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की उप धारा 13 (12) नियम 3 के साथ पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं)/जमानतदारों के नाम के सम्मुख उल्लिखित धनराशि (जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे उल्लखित है) के सम्बंध में सम्बंधित उधारकर्ता(ओं)/जमानतदारों से मांग की गयी थी कि वे मांग नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि चुकता कर दें। क्योंकि सम्बंधित उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋण राशि चुकता नहीं की गयी है इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ताओं/जमानतदारों के साथ -साथ जनता को भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के साथ नियम 8 के पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे लिखी सम्पत्ति का कब्जा नीचे उल्लेख तिथि को ले लिया गया है। एतदद्वारा विशेषतः उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार और सामान्य तौर पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी लेन-देन हेतु **बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक)** को देय धनराशि व उसपर देय ब्याज के अनुक्रम में बैंक का प्रभार नोट कर लें। **उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित संपत्तियों पर सांकेतिक कब्जा ले लिया है।**

| क्र0 सं0 | ऋणकर्ता व गारंटर नाम व पता | बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण | मांग नोटिस की तिथि | बकाया धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ऋणकर्ता: 1- श्री संदीप आर्य पुत्र श्री मदन लाल और सह-ऋणकर्ता 2. श्रीमती अवंतिका पत्नी श्री संदीप आर्य | साम्यिक बंधक संपत्ति स्थित फ्रीहोल्ड फ्लैट नंबर 10 सी/19 दूसरी मंजिल छत के साथ ब्लॉक-सी, सेक्टर-10 वसुंधरा, गाजियाबाद यू.पी.-201012 | 01.11.2019 सांकेतिक कब्जे की तिथि 15.01.2020 | रू. 34,45,189.30 (चौंतिस लाख पैंतालिस हजार एक सौ नवासी रुपये और तीस पैसे केवल) प्रभार्य ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.11.2019 से |

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / तृतीय पक्ष के बंधक की गिरवी हुई संपत्ति विवरण

दिनांक- 20.01.2020 स्थान-गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी



**ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली,**
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ.ए.नं. 87/2018
एचडीएफसी बैंक लि. .....आवेदक
बनाम
मै. जेसिका ज्वेल्स एंड फैशन प्रा. लि. .....प्रतिवादीगण
1. श्री अमित गुप्ता (प्रति. नं. 03) निवासी 31-मंदिर वाली गली, आजादपुर, नई दिल्ली
साथ ही: क्यू नं. 8, एससीसी, ओटीआर, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110007
2. श्री राकेश अरोड़ा (प्रति नं. 05)
निवासी: जे-3, 79बी, भू तल एवं प्रथम तल, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली
3. श्रीमती नीलम अरोड़ा (प्रति नं. 06) जे-3, 79बी, भू तल एवं प्रथम तल, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध रु. 234724168.51/- (रुपये तैईस करोड़ सैंतालिस लाख चौबीस हजार एक सौ अड़सठ एवं पैसे इक्यावन मात्र) की वसूली के लिये एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 6.2.2020 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 15 जनवरी, 2020 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार



**सनराइज एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड**
CIN: L01111DL1985PLC021268
पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं .211, अंतरीक्ष भवन, 22 के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001
ईमेल आईडी: sunriseagroproductsltd@gmail.com
वेबसाइट: www.sunriseagroproducts.in | टेलीफैक्स: +91-11-27132024
ईजीएम, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर के लिए नोटिस

सूचना यहाँ दी गई है कि कंपनी की **अतिरिक्त साधारण बैठक** शनिवार 15 फरवरी 2020 को दोपहर 12:30 बजे फ्लैट नं. 211, अंतरीक्ष भवन 22 के जी मार्ग, कनॉट प्लेस नई दिल्ली -110001 में आयोजित की जाएगी।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 और सेबी (सूचनिये दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के कंपनियों के विनियमन 42 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तक 6 फरवरी 2020 से 15 फरवरी 2020 (दोनों दिवस सहित) तक के साथ ईजीएम के उद्देश्य से बंद रहेगी।

ईजीएम नोटिस सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजा गया है। प्रेषण 21 जनवरी 2020 को पूरा हो गया है। नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 तथा संशोधन के नियम 20 तथा सेबी सूचनिये विनियमों के विनियमन 44 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की ई-वोटिंग सेवाओं (रिमोट- ई-वोटिंग) माध्यम से कंपनी के ईजीएम को बुलाने वाले नोटिस में निर्दिष्ट किसी भी व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करवा रही है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह ध्यान में रखें की ई-वोटिंग 12 फरवरी 2020 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होकर 14 फरवरी 2020 (शाम 5:00 बजे) तक बलेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त तिथि और समय से पर ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए कृपया http:/www.evotingindia.com पर जाएँ।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तारीख के अनुसार सदस्यों / लाभार्थियों के रजिस्टर में दिखाई देता है, जो 08 फरवरी 2020 तक केवल दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ बैठक में मतदान करने के लिए हकदार होगा।

कंपनी ने श्री आशीष कुमार चौरसिया एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ईजीएम पर दूरस्थ ई-मतदान और मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनीज़र के रूप में नियुक्त किया है।

कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ डेट पर शेयरों को होल्ड करता है, वे sunriseagroproductsltd@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर USER आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ईजीएम वेन्यू पर मतदान प्रक्रिया भौतिक मतदानपत्रों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या शिकायत के लिए आप, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी एम/एस बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, 99 मदनगीर, नई दिल्ली -110062, संपर्क व्यक्ति का नाम श्री पुनीत मित्तल, (महाप्रबंधक) ई-मेल आईडी: Beetalrta@gmail.com, फोन: 011 29961282, फैक्स नंबर 011 29961284 से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का भी उल्लेख कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई मेल लिख सकतेहैं।

सनराइज एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता / -
कंवर पाल
प्रबंध संचालक
DIN: 08460184

स्थान: दिल्ली
दिनांक : 18.01.2020



IndiGo
**इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड**
सीआईएनः एल62100डीएल2004पीएलसी129768
पंजीकृत कार्यालयः सेन्ट्रल विंग, ग्राऊंड फ्लोर, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली - 110001, भारत
टेलीफोनः +91 9650098905; फैक्सः +91 11 43513200
ई-मेलः investors@goindigo.in, वेबसाइटः www.goindigo.in

**सूचना**

एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, अन्य तथ्यों के साथ 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्वसंपूर्ण एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति हेतु जो वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा पर निर्भर है, सोमवार, 27 जनवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त बैठक से सम्बंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट **www.goindigo.in** तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट **www.nseindia.com** तथा **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

वास्ते इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड
हस्ता/-
संजय गुप्ता
कंपनी सचिव तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुड़गाँव
दिनांक : 20 जनवरी, 2020



**अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड**
सीआईएन सं. : L74900DL1983PLC014972
पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोबिन्द एन्कलेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
कॉर्पोरेट कार्यालय : 36, कौशाम्बी, निकट आनन्द विहार टर्मिनल, वेव सिनेमा के पीछे, गाजियाबाद-201010
वेबसाइट : www.apollotricoat.com, ई-मेल : info@apollotricoat.com, दूरभाष : 0120-4041400

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश
(ईपीएस को छोड़कर राशि लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही 31.12.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2019 | समाप्त नौमाही 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रचालनों से कुल आय | 22,898.59 | 54.00 | 15365.13 | 43,436.12 | 421.96 |
| 2 | ईआईडीटीए | 2,844.89 | 57.70 | 1,571.04 | 5,047.00 | 334.59 |
| 3 | अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें) | 2,352.51 | 52.07 | 1,299.39 | 4,158.39 | 318.88 |
| 4 | अवधि हेतु कर पूर्व लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/असाधारण मदों के पश्चात) | 2,352.51 | 52.07 | 1,299.39 | 4,158.39 | 318.88 |
| 5 | कर पश्चात अवधि हेतु कुल लाभ/(हानि) | 1,801.78 | 46.73 | 942.39 | 3,113.10 | 247.45 |
| 6 | अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित] | 1,801.78 | 46.73 | 942.39 | 3,113.10 | 247.45 |
| 7 | इक्विटी शेयर पूँजी | 608.00 | 514.00 | 608.00 | 608.00 | 514.00 |
| 8 | प्रति शेयर आय (रु. 2/- का फेस वैल्यू वार्षिकीकृत नहीं) मूल : डाइल्यूटेड : | 5.93 5.93 | 0.18 0.15 | 3.35 3.10 | 10.35 10.35 | 0.96 0.87 |

नोट :
1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है।
2. 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट "www.apollotricoat.com" पर उपलब्ध है।

कृते अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड
ह./-
राहुल गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07151792

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 20 जनवरी, 2020



**एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)**
[(परिशिष्ट-IV) नियम 8(1) देखें]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** ने लेखाओं के अधीन वर्णित राशि की कथित सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कथित कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहें इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम-9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार और उस पर आगे ब्याज के भुगतान के अधीन होगा। जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है उसका विवरण निम्नानुसार है:

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

| क्र. सं. | लोन खाता नं., कर्जदार एवं गारंटर का नाम | बंधक/चार्ज्ड संपत्तियों का विवरण | मांग सूचना की तिथि | कब्जा की तिथि | 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ऋण खाता सं. 14011098211 ऋणधारकः श्री घनश्याम नरूला (आवेदक), सुश्री विमला नरूला (सह-आवेदक) श्री ब्रहम नरूला (सह-आवेदक) श्री निखिल नरूला (सह-आवेदक) एवं श्री संजय गोयल (गारन्टर) | ग्राम राजपुरा, छावनी, पुराना

## ऐ भाई...

राजधानी में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। एक महिला पार्टी का पोस्टर और झाड़ू लेकर जाती दिखी।

### अमरीश और भीष्म की वापसी, टिकट मिला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

कांग्रेस कमेटी ने सोमवार देर रात दिल्ली की सात विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इनमें अमरीश गौतम और भीष्म शर्मा को पार्टी में वापसी के बाद टिकट दिया गया है। अमरीश को पार्टी ने कोंडली और भीष्म को घोंडा से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए रोमेश सब्बरवाल को मैदान उतारा गया है। इसके अलावा पार्टी ने तिलक नगर सीट से एस रमिंदर सिंह बमराह, राजेंद्र नगर से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रॉकी तुसीद, बदरपुर से प्रमोद कुमार यादव और करावल नगर से अरबिंद सिंह को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने चार सीटें राष्ट्रीय जनता दल को दी हैं। नामांकन करने की मंगलवार को अंतिम तिथि है।

### उम्मीदवार जितेंद्र के खिलाफ आयोग में शिकायत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

भाजपा दिल्ली प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर त्रिनगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी टिकट मिलने के मुद्दे पर उनका नामांकन रद्द करने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद विजय गोयल सहित अन्य लोग शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 17 जनवरी को अपने निर्णय में हाई कोर्ट ने जितेंद्र सिंह तोमर को अपनी शिक्षा को लेकर झूठी जानकारी देने का दोषी माना था। अब वोट बैंक की लालच में आम आदमी पार्टी ने फर्जी डिग्री मामले में 2015 में गिरफ्तार हो चुके जितेंद्र सिंह तोमर को फिर से टिकट देकर निम्न स्तरीय राजनीति की भी पराकाष्ठा पार कर दी है। 'आप' में एक नहीं बल्कि ऐसे 15 लोग हैं जिनपर गंभीर आरोप हैं जो साबित भी हुए हैं लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी दिया गया है। ऐसा कर के 'आप' ने जनता के भरोसे का मजाक बनाया है। राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने कहा कि जितेंद्र सिंह तोमर को 2015 में दिल्ली सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था लेकिन जुलाई उन्हें दिल्ली पुलिस ने फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया था। यही वजह थी कि कानून मंत्री के पद से जितेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा देना पड़ा था। ये सब जानते हुए भी आम आदमी पार्टी ने जितेंद्र तोमर को फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकर देकर साबित कर दिया है कि 'आप' भ्रष्ट विधायकों वाली पार्टी है।

### 'आप' के पार्षद ने कांग्रेस का थामा हाथ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

आम आदमी पार्टी के अजमेरी गेट वार्ड से निगम पार्षद राकेश कुमार सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि बीते कुछ दिनों से 'आप' के कई नेता और कार्यकर्ता संपर्क साध रहे हैं और पार्टी में शामिल होने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बीते दिनों द्वारका से विधायक और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री भी 'आप' से कांग्रेस में शामिल हुए थे। चोपड़ा ने कहा कि जामिया के छात्रों के साथ हुए अत्याचार पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी यह साबित करती है कि उनकी भाजपा के साथ मिलीभगत है।

## दोपहर 12 बजे निकले थे मुख्यमंत्री

# रोड शो में फंसे केजरीवाल नहीं कर पाए नामांकन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र नहीं दाखिल कर पाए। रोड शो के आयोजन में फंसने की वजह से वह समय पर नामांकन के लिए नहीं पहुंच पाए। अब वह मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रैली में केजरीवाल के कई समर्थक चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ शामिल हुए। 'अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल' के नारों के बीच केजरीवाल ने समर्थकों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री के साथ उनका परिवार भी था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 'आप' नेता संजय सिंह भी उनके साथ थे। केजरीवाल ने पीले रंग की खुली जीप से अपने समर्थकों की तरफ हाथ लहराया और उनका अभिवादन किया।

केजरीवाल सोमवार को करीब 12 बजे नामांकन के लिए घर से निकले थे। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि मंदिर से पटेल चौक तक रोड शो निकाला। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि भारी संख्या में मेरे समर्थक आ गए थे और हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे। ऐसे में अब हमने कल नामांकन दाखिल करने का फैसला लिया है। उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का मंगलवार को आखिरी दिन है।

नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल तीसरी बार चुनावी समर में उतरने वाले हैं। केजरीवाल ने वर्ष 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नई दिल्ली क्षेत्र से तत्कालीन मुख्यमंत्री दीक्षित को करारी मात दी। उस चुनाव में शायद ही किसी को यकीन था कि केजरीवाल दीक्षित जैसी कद्दावर नेता को हराकर राजनीति में अपना पहला कदम रखेंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बहुमत वाले इस क्षेत्र ने दीक्षित को चलता करने में जरा भी संकोच नहीं किया और फिर 2015 के चुनाव में भी केजरीवाल को इस क्षेत्र से दोबारा चुन दिया।

'मुझे आज अपना नामांकन दाखिल करना था लेकिन कार्यालय अपराह्न तीन बजे बंद हो गया। मुझे बीच में जाने और नामांकन दाखिल करने को कहा गया लेकिन मैंने कहा कि मैं रोड शो में लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मैं अपने परिवार के साथ कल नामांकन पत्र दाखिल करने जाऊंगा।'

-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

### दिल्ली में रेंगते रहे वाहन

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वीआइपी आवागमन, विरोध प्रदर्शन और गणतंत्र दिवस रिहर्सल के चलते कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोल मार्केट के पास स्थित वाल्मीकि मंदिर से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन तक एक रोड शो निकाला जिससे कनॉट प्लेस और पंचकुइयां रोड पर यातायात जाम हुआ। नागरिकता कानून के विरोध में मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक एक मार्च निकाला। गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल के चलते विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात के लिए बंद रहा। इस दौरान रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड यातायात के लिए बंद रहा। रिहर्सल मंगलवार को भी होगी।

# स्थायी नौकरी को चुनाव में मुद्दा बनाएंगे सफाईकर्मी

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

दिल्ली के तीनों नगर निगमों में 23 हजार सफाई कर्मचारियों के स्थायीकरण का मुद्दा इस चुनाव में अहम होने वाला है। अपनी नौकरी के स्थायीकरण के लिए धरना, प्रदर्शन और मुख्यमंत्री का घेराव कर चुके इन सफाई कर्मचारियों ने इस बार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए चुनाव के मध्य महापंचायत कर वोट देने के फैसले लेंगे। सफाईकर्मियों का कहना है कि भले ही वे 23 हजार कर्मचारी हैं लेकिन उनके बच्चे और अन्य परिजनों को शामिल कर यह वोट देने की संख्या चार लाख से ज्यादा हो जाती है। यह चार लाख वोट इस चुनाव में उसे पड़ेगा जो सफाईकर्मियों के बारे में सोचेगा।

दिल्ली नगर निगम में इस समय 80 हजार सफाई कर्मचारी तैनात हैं। बंटवारे से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल तक अपनी मांगें रख चुके हैं। इनकी मांग दिल्ली के लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव में हमेशा एक मुद्दा रहा है।

**ताल ठोक के**

*दिल्ली* के तीनों नगर निगमों में 23 हजार सफाई कर्मचारी हैं। वे आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए चुनाव के मध्य महापंचायत कर वोट देने के फैसले लेंगे।

इस मुद्दे पर भाजपा सहित अन्य सभी पार्टियों रोटी सेकती रही है। बीते निगम चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने घोषणा पत्र में इस बात को लिखने का आश्वासन देकर सफाई कर्मचारियों को अपनी पार्टी को वोट देने के लिए कहा था। ये सभी कर्मचारी साल 1995 से स्थाई नहीं हो पाए और कुछ कर्मचारी तो बिना स्थाई हुए ही रिटायर भी हो गए हैं। इस दौरान उन्हें सेवानिवृत्त के बाद भी वे सभी सुविधाएं और लाभ नहीं मिल पाया जिसके वे खुद को हकदार बताते हुए नौकरी से रिटायर हो गए। दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष संजय गहलोत बताते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने और 2017 से पहले लगे कर्मचारियों को स्थाई करने का आश्वासन सदन में भी दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि निगम के सीवर सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए निगम दो सौ सीवर सफाई की मशीन मंगा रही है जिसे उनके आश्रितों को जीविका के बाबत दिया जा सकता है। लेकिन यह मशीन निगम में नहीं देकर दिल्ली जल बोर्ड को दे दिया गया जिससे सफाई कर्मचारियों की स्थिति जस की तस रह गई।

मजदूर संघ के महासचिव जोगेंद्र ढ़िगिया का कहना है कि निशुल्क चीजों की आदत लगाने से अच्छा वे रोजगार और स्वाबलंबन की दिशा में कोई ठोस पहल करते। कुछ कर्मचारियों को स्थायी कर निगम में बैठे नेता चुनावी रोटी सेंकने की कोशिश में थे लेकिन यह उन्हीं के लिए सिरदर्द है। संजय गहलोत ने बताया कि 22 अक्तूबर से लगातार मांगों को लेकर सिविक सेंटर पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा, कोई ठोस परिणाम नही निकलने से कर्मचारियो में भयंकर रोष व्याप्त पैदा हुआ।

## रोड शो

रोड शो के साथ नामांकन दाखिल करने जाते मुख्यमंत्री केजरीवाल साथ में 'आप' नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। फोटो : अरुष चोपड़ा

# पैदल तो कोई सादगी से पहुंचा परचा भरने

## कांग्रेस के दिग्गजों का रहा दिन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को कांग्रेस के कई दिग्गजों ने नामांकन किया। कांग्रेस नेताओं में पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, अरविंदर सिंह लवली, 'आप' से आईं अलका लांबा, पूनम आजाद और सोनिया सिंह समेत कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया। उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। गांधी नगर विधानसभा सीट से अरविंदर सिंह लवली को उत्साहित उनके समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया और नामांकन केंद्र तक लेकर गए। वह कई बार विधायक रह चुके हैं। हारून यूसुफ बल्लीमारान से एसडीएम दफ्तर पहुंच कर नामांकन दाखिल किया। इस सीट से वह पांच बार विधायक रह चुके हैं। अलका लांबा ने चांदनी चौक से नामांकन दाखिल किया। अलका लांबा सादगी से नामांकन दाखिल करने के लिए आईं। दिल्ली कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद ने संगम विहार से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कीर्ति आजाद भी मौजदू रहे। आरके पुरम सीट से सोनिया सिंह ने नामांकन दाखिल किया।

**नामांकन का दिन**

उनके साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शमिष्ठा मुखर्जी, दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री किरण वालिया समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता मौजूद थीं।

## भाजपा के 40 उम्मीदवार पहुंचे नामांकन करने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

विधानसभा चुनाव में सोमवार को भाजपा के 40 से अधिक उम्मीदवारों ने सोमवार को दल-बल के साथ नामांकन दाखिल किया। इनमें राष्ट्रीय मंत्री सरदार आरपी सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, विधायक ओपी शर्मा, जगदीश प्रधान व प्रदेश महामंत्री रविंद्र गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल हैं। भाजपा से निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश जेपी, पूर्व प्रदेश महामंत्री रेखा गुप्ता, आशीष सूद, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शिखा राय, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, अनिल झा, अजीत खरखरी, महेंद्र नागपाल, पूर्व विधायक और पूर्व निगम के मेयर रहे राजेश गहलोत, ब्रह्म सिंह तंवर, मोहन सिंह बिष्ट, नरेश गौड़ और प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार भाटिया, जिलाध्यक्ष विजय पंडित, अजय महावर सहित अन्य प्रमुख प्रत्याशियों ने परचा दाखिल किया। नरेला विधानसभा सीट से नीलदमन खत्री अपनी पत्नी संग नामांकन कराने पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी थे। रोहताश नगर क्षेत्र से उम्मीदवार जीतेंद्र महाजन के साथ क्षेत्र में पदयात्रा करते हुए एसडीएम दफ्तर तक गए। इस जुलूस में महाजन के साथ क्षेत्रीय पार्षद प्रवेश शर्मा, रीना महेश्वरी, आलोक शर्मा वह रोहतास नगर के भाजपा जिला अध्यक्ष कैलाश जैन तथा स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन संजय सुर्जन आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस के आदर्शनगर के मुकेश गोयल और पूर्वी निगम के रोहित कुमार मेहरोलिया व कुलदीप कुमार मोनू ने भी नामांकन दाखिल किया।

# 18 सीटों पर मिलकर उम्मीदवार उतारेंगे वाम दल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में वामपंथी दल कम से कम 18 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। इनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआइ), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम), सीपीआइ (एमएल), फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) और नेशनल पावर पार्टी (एनपीपी) शामिल हैं।

सीपीआइ के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी पार्टी तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें पालम से दिलीप कुमार, तिमारपुर से संजीव कुमार राणा और बवाना से अभीप्सा चौहान शामिल हैं। दिलीप कुमार ने सोमवार को नामांकन कर दिया है जबकि दो अन्य उम्मीदवार मंगलवार को नामांकन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीपीएम करावलनगर, वजीरपुर और बदरपुर से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इसके अलावा सीपीआइ (एमएल) दो, फॉरवर्ड ब्लॉक तीन, आरएसपी एक और एनपीपी छह उम्मीदवार मैदान में उतारेगी।

**दिखाया जोश**

सीपीआइ के एक अधिकारी ने बताया कि इन 18 सीटों के अलावा बाकी सीटों पर हम भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवार को समर्थन देंगे। बुधवार को एलान करेंगे कि वामपंथी दल किस पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देंगे।

### राजद भी मैदान में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भी सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए चार सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बुराड़ी विधानसभा सीट से प्रमोद त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। किराड़ी से मोहम्मद रियाजुद्दीन खान पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। उत्तम नगर सीट से शक्ति कुमार बिश्नाई को पालम सीट से निर्मल कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। राजद ने दिल्ली में कांग्रेस से अपना गठबंधन किया है। इसी गठबंधन के तहत पार्टी ने चार सीटें राजद को दी हैं। झारंखड में हुए विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन के तहत कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी।

## जनसमस्या

# डीटीसी की रात्रि सेवा बंद होने के कगार पर

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए 'गारंटी कार्ड' जारी कर भले ही दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि बीते वर्षों में राजधानी की परिवहन व्यवस्था चौपट हो गई है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की रात्रि सेवा पूरी तरह बंद होने के कगार पर है। मौजूदा समय में कुछ ही रूटों पर गिनती की बसें चल रही हैं। इनकी संख्या दस से भी कम है। दिल्ली में डीटीसी की रात्री सेवा करीब-करीब पूरी दिल्ली में चलती थी। डीटीसी ने देर रात सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए चलाई जाने वाली बस सेवा बंद करने के साथ बेहद फायदेमंद मानी जाने वाली लिमिटेड (एलटीडी) बस सेवा बंद कर दी गई है। इसके साथ ही अंतरराज्जीय बस सेवा को भी बंद कर दिया गया है। डीटीसी के कर्मचारी बताते हैं कि डीटीसी लगातार घाटे में हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने बताया कि फरवरी, 2015 के बाद कुछ महीने के लिए ही डीटीसी की रात्री सेवा छह जुलाई, 2015 को बंद कर दी गई। इसके कुछ महीने बाद ही लिमिटेड (एलटीडी) बस सेवा भी बंद कर दी गई। यही नहीं दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के बड़े शहरों के बीच चलने वाली अंतरराज्यीय बस सेवा का संचालन भी बंद कर दिया गया। मलिक का कहना है कि अंतरराज्यीय बस सेवा एक मात्र ऐसी सेवा थी, जिससे डीटीसी को फायदा होता था। 'आप' सरकार के डीटीसी के प्रति उदासीन रवैया का ही देन है कि डीटीसी की बसें लगातार कम होती जा रही है। मामले पर जानकारी के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को फोन मिलाया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

**जनता की समस्या**

**यात्रियों पर पड़ रहा है बस का बोझ**

### 'दिलचस्पी न होने से बंद करने की नौबत'

दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री किरण वालिया का कहना है कि डीटीसी की बसें कम होने का नतीजा है कि आज दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गई है। 'आप' सरकार ने बसों की संख्या बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई होती तो रात्री सेवा बंद करने की नौबत नहीं आती। रात्री बसों में महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करती थीं। शीला दीक्षित के शासनकाल में बसों की संख्या करीब 5500 तक पहुंच गई थीं, लेकिन अब बसें घटती जा रही हैं।

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि बसों का संचालन बंद कर यात्रियों पर बोझ डाला गया है और डीटीसी को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुरक्षित और सस्ता साधन माना जाता है, लेकिन 'आप' की नीति से बसें घटती गई और रूट बंद होते गए। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने गारंटी कार्ड में झूठा दावा किया है।

### वेबसाइट भी अपडेट नहीं

*डीटीसी* के जानकार बताते हैं कि दिल्ली में रात्री बस सेवा करीब 25 रूटों पर संचालित की जाती थीं। ये बसें 12 बजे रात से सुबह चार बजे तक चला करती थी। इन बसों का रूट लंबा होता था। इसका फायदा यह था कि यह दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद भी जाया करती थीं। इन बसों की पहचान यह थी कि रूट नंबर से पहले जीरो 012, 0114, 0604, 0740, 091, 092 नंबर लिखा होता था। डीटीसी की अधिकारिक वेबसाइट पर जिक्र है कि किन 25 रूटों पर बसों का संचालन होता था, लेकिन वेबसाइट 26 मार्च, 2018 के अपडेट नहीं की गई है।

www.readwhere.com

# मौत की सजा पाए पवन का नाबालिग होने का दावा खारिज

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले चारों मुजरिमों में से एक पवन कुमार गुप्ता का यह दावा सोमवार को अस्वीकार कर दिया कि 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था। पवन ने इस याचिका में खुद के नाबालिग होने का दावा ठुकराने के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के पीठ ने पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है जिसमें पवन की याचिका अस्वीकार की गई। पीठ ने कहा कि निचली अदालत

**निर्भया मामला**

**पवन ने नाबालिग होने का दावा ठुकराने के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी।**

और हाई कोर्ट ने उसके इस दावे को एकदम सही ठुकराया है।

पवन की ओर से अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अपराध के समय वह नाबालिग था और निचली अदालत तथा हाई कोर्ट सहित किसी भी अदालत ने उसके इन दस्तावेज पर विचार ही नहीं किया। दिल्ली पुलिस की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पवन के नाबालिग होने का उसके दावे का प्रत्येक न्यायिक मंच पर विचार किया गया और यह न्याय का मखौल होगा यदि एक दोषी को बार-बार अपने नाबालिग होने का मुद्दा उठाने की अनुमति दी जाए।

मेहता ने कहा कि अपराध के समय दोषी 19 साल का था और इस संबंध में उसका जन्म प्रमाण पत्र तथा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र है, जिसे प्रत्येक न्यायिक मंच पर रिकार्ड में लाया गया। पवन ने उसके नाबालिग होने का दावा ठुकराने के हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

## यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ लेने के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी विवादों में उलझी यूनिटेक लिमिटेड का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के केन्द्र के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ ने यूनिटेक के नए बोर्ड को कंपनी की समाधान रूपरेखा तैयार करने और इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए दो महीने का वक्त दिया है।

पीठ ने यूनिटेक के नए बोर्ड को कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्यवाही से दो महीने की छूट भी प्रदान की है। न्यायालय ने कहा कि बोर्ड द्वारा समाधान रूपरेखा की तैयारी की निगरानी के लिए वह शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। केंद्र ने शनिवार को शीर्ष अदालत से कहा था कि वह करीब 12,000 परेशान मकान खरीदारों को राहत प्रदान करने के लिए यूनिटेक की अधर में लटकी परियोजनाओं को पूरा करने और यूनिटेक लिमिटेड का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के 2017 के प्रस्ताव पर फिर से विचार के लिए तैयार है।

## दोषी के याचिका दायर करने की सीमा तय हो : निर्भया के पिता

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

निर्भया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से एक दोषी द्वारा दायर की जाने वाली याचिकाओं की संख्या को सीमित करने को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करने की सोमवार को अपील की ताकि महिलाओं को समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके।

उनकी यह टिप्पणी उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले चार में से एक दोषी पवन गुप्ता की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। निर्भया के पिता ने कहा, 'यह खुशी की बात है कि अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन जब भी हमारे मामले से जुड़ी कोई याचिका अदालत में आती है, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंत में हमें सुखद समाचार ही मिलता है।' चारों दोषियों पर याचिका दायर कर सजा में देरी के लिए चाल चलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत से दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा ताकि पीड़िताओं को समय से न्याय मिल सके।


**ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, चंडीगढ़**
एससीओ नं. 33-34-35, प्रथम तल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़

आर्टी. नं. 1355/2017 डायरी नं. 8603

सिडबी ...प्रमाणपत्र धारक

बनाम

सुश्री फ्रांसिस्टिकल लि. ...प्रमाणपत्र ऋणधारक

(प्रकाशन)

(प्रभारी निदेशक (सार्टा))

(निदेशक (सार्टा))

(वसूली अधिकारी-I)
डीआरटी-II, चंडीगढ़।

**LML**
**NOTICE FOR SALE OF ASSETS**
**LML LIMITED (In Liquidation)**
**(Sale under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)**

| Location | Asset/Area | Block No. | Reserve Price (Rs. Crore) |
|---|---|---|---|
| Kanpur | Land & Building at C-10, Site-II&A-1,Site- III, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 67.56 acres) | 1 | 245.00 |
| Kanpur | Land & Building at C-10, Site-II, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 15.21 acres) | 2 | 55.00 |
| Kanpur | Land & Building at A-1, Site-III, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 52.35 acres) | 3 | 190.00 |

**Last Date to apply:** Tuesday,February 18, 2020, **Date of E-Auction:** Wednesday, February 19, 2020
**For Details:** Visit www.lmlworld.in and https://ncltauction.auctiontiger.net
**Contact:** CA. Anil Bhatia, Tel No. 011-41066313, Mob No.+91 9899224476
**Email id:** lml.auction@gmail.com

Sd/-
**Arun Gupta, Liquidator**
IBBI Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-17/10095
**Regd. Address:** A-57, Sector 30, Noida-201301, UP, India
**Regd. Email:** arungupta2211@gmail.com
**Date :** 21.01.2020
**Place:** New Delhi

Bank of India BOI
**दिलशाद गार्डन शाखा, एफ-9, न्यू सीमा पुरी रोड, दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली -110095**

**कब्जा सूचना**
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नं. 3) बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार मैसर्स भारत इंटरप्राईजेज, प्रोपराईटर : श्री अतुल सिंघल को मांग सूचना दिनांकित 24.06.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 35,70,928/- (रुपये पैंतीस लाख सत्तर हजार नौ सौ अट्ठाईस मात्र) दिनांक 24.06.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर (सुश्री संतोष सिंघल) राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2020 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, दिलशाद गार्डन शाखा, दिल्ली के प्रभार वास्ते रु. 35,70,928/- (रुपये पैंतीस लाख सत्तर हजार नौ सौ अट्ठाईस मात्र) दिनांक 24.06.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

**अचल संपत्ति का विवरण**

1. रूई, डस्टर इत्यादि जैसे हथकरघा वस्तुओं के स्टॉक और बुक डेब्ट्स का हाइपोथिकेशन
2. साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि बेसमेंट तल का समाने का हिस्सा, (वैस्ट साईड कार्नर), एफ-196, खसरा नं. 1076/5/2/715, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, नई दिल्ली-110095 में स्थित, विस्तारित क्षेत्रफल 58.95 वर्ग मी., यह सम्पत्ति सुश्री संतोष सिंघल के नाम पर सब- रजिस्ट्रार में पंजीकृत, सरफासी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत, चौहद्दी : उत्तर में – एफ-197, दक्षिण में – सम्पत्ति नं. एफ-196 का हिस्सा, पूरब में – सम्पत्ति नं. एफ-196 का हिस्सा, पश्चिम में – सर्विस लेन

दिनांक : 17-01-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

**प्ररूप ए**
**सार्वजनिक घोषणा**
(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

**मप्पा मैडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्पोरेट व्यक्ति का नाम | मप्पा मैडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि | 26/04/2013 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन |
| 4. | कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान कार्पोरेट लोगों की संख्या | सीआईएन:U93000DL2013FTC251168 |
| 5. | कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता | पंजीकृत कार्यालय: एस-3, दूसरी मंजिल, लंकल शॉपिंग सेंटर, मयूर विहार, फेस- I, नई दिल्ली -110091 |
| 6. | कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि | 16 जनवरी, 2020 को हुई असाधारण आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित |
| 7. | परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या | नाम: मुनीश कुमार शर्मा<br>पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00050/2016-2017/10094<br>पता : एएएफ-14, शिव कृष्ण एन्क्लेव, लोनी, गाजियाबाद-201012, यूपी<br>ईमेल : munish@mksadvisors.com<br>संपर्क : 0120-4165725, 98185-67143 |
| 8. | दावे जमा करने की अन्तिम तिथि | 15/02/2020 |

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **मप्पा मैडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ने **16 जनवरी 2020** को स्वैच्छिक परिसमापन आरम्भ किया है।

**मप्पा मैडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के हितधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि परिसमापक के पास **15 फरवरी 2020** को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

**दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।**

हस्ता/-
दिनांक : 20.01.2020
स्थान : नई दिल्ली
परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर – **मुनीश कुमार शर्मा**
**पंजीकरण सं.** : BBI/IPA-002/IP-N00050/2016-2017/10094

**ICRA Limited**
**Corporate Identity Number (CIN):** L74999DL1991PLC042749
**Registered Office:** 1105, Kailash Building, 11th Floor 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
**Telephone No.:** +91.11.23357940-45
**Website:** www.icra.in **Email ID:** investors@icraindia.com

**NOTICE**

Notice is hereby given, pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of ICRA Limited (the "**Company**") is scheduled to be held on Thursday, February 6, 2020, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results (standalone & consolidated) of the Company for the third quarter and nine months ended December 31, 2019. The above information is available on the websites of the Company (www.icra.in), the BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

**For ICRA Limited**
(S. Shakeb Rehman)
Company Secretary & Compliance Officer
Place : Gurugram
Date : January 20, 2020

**किरोड़ीमल कॉलेज**
**(दिल्ली विश्वविद्यालय)**
नार्थ कैम्पस, दिल्ली-110007 दूरभाष: 011-27667881
वेबसाइट : www.kmcollege.ac.in

**शुद्धिपत्र**

कॉलेज में विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर पद हेतु दिनांक 18.01.2020 को जनसत्ता में जो विज्ञापन दिया गया है उसको इस प्रकार पढ़ा जाए :-

| क्र. सं. | विषय का नाम | सहायक प्रोफेसर | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यू.आर. | एस.सी. | एस.टी. | ओ.बी.सी. | पी.डब्ल्यू.बी.डी. | ई.डब्ल्यू.एस. |

सही विवरण की जानकारी कॉलेज की वेबसाइट **www.kmcollege.ac.in** पर उपलब्ध है। अन्य सभी विवरण ठीक है।

**प्रो. विभा सिंह चौहान**
**प्राचार्या**

**एम एस टी सी लिमिटेड** MSTC LIMITED
जीवन विकास बिल्डिंग, 30/31ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोन नं.: 23214201, 23213945, फैक्स: 23216713

**ई-नीलामी कार्यक्रम**

एमएमटीसी द्वारा इंडस टावर्स की ओर से विभिन्न स्थानों के लिए नीलामी संख्या दिल्ली-33563, रायपुर-33564 एवं लखनऊ-33565 के माध्यम से एसी-0.9 टोअर, एसी एनर्जी मीटर, टीएक्स रेक, टॉवर, पीआईयू, डीजी (10 केवीए, 15 केवीए, 25 केवीए, 40 केवीएए), एलसीयू (एएल), कॉपर स्क्रैप, एम एप्पा स्क्रैप, सोलर पैनल, बेटरी सेल्स (400 एएच, 600 एएच), डीजी-डीजी कनवर्टर, पीआईयू बेटरी चार्जर, बॉक्स के साथ एसीसीबी, डीसीडीबी, सीसी चार्जर, एसीडीबी आईडी/ओडी, अर्थल कोटिंग, अरिन शानक, पेपर स्क्रैप (सिग्नेज वोर्ड) आदि के निपटान के लिए 22.01.2020 को ई-नीलामी आयोजित की जायगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.mstcecommerce.com या www.mstcindia.co.in पर लॉग ऑन करें।

**इलाहाबाद बैंक** **ALLAHABAD BANK**
किफायत की परंपरा — A tradition of trust
**प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001**
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधान कार्यालय

**निविदा सूचना**

आरएफपी संदर्भ सं. : प्रका/डीआईटी/नेटवर्क/एसडी वैन/2019-20/152 दिनांक: 20.01.2020
कैपेक्स मॉडल के तहत एसडी वैन (सॉफ्टवेयर डिफाईंड वाइड एरिया नेटवर्क) साल्यूशन और एसडी वैन सक्षम शाखा नेटवर्क राउटर और स्विचेज की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, कंफ्यूरेशन, कमिशनिंग, वारंटी सपोर्ट और रखरखाव हेतु अनुरोध प्रस्ताव।
आरएफपी विक्रय : 20.01.2020. पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
अतिरिक्त विवरण हेतु कृपया बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadbank.in देखें।
इस आरएफपी के परिशिष्ट यदि कोई हो, के लिए कृपया कपर उल्लिखित वेबसाइट देखें।
मुख्य प्रबंधक (सूची)

**आन्ध्रा बैंक**
(भारत सरकार का उपक्रम)
ई-46, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028
टेली. नं. 011-25799444

**कब्जा सूचना**
{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1)}
(अचल सम्पत्ति के लिये)

**जैसा कि,** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.10.2019 जारी कर ऋणधारक श्रीमती रीनू मिश्रा, कणक कुमारी मिश्रा को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 12,57,762/- (रुपए बारह लाख सत्तावन हजार सात सौ बासठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 16 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारक(कों) पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

**अचल संपत्ति का विवरण**

**अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा:**
आवासीय फ्लैट, माप लगभग 226 वर्ग फीट जो फ्लैट नं. 331, 2रा तल, डीडीए जनता फ्लैट, कैटगरी सी, पॉकेट 7, नसीरपुर, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110045 में स्थित है तथा चौहद्दी: पूर्वः पार्क, पश्चिमः अन्य फ्लैट, उत्तरः 20 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः पार्क

तिथि: 16.01.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली — आन्ध्रा बैंक

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**
**Central Bank of India**
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
**शाखा कार्यालय: रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली**
**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)**
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

**जैसा कि,** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 के अध्या. 3) के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.10.2019 जारी कर ऋणधारक मै. गिरधर दाल मिल, प्रॉप. श्री कृष्ण कुमार, पुत्र स्व. श्री तारा चंद, निवासी एच.एन. 463, गनौर मंडी, जिला सोनीपत, हरियाणा-131101 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 82,90,106/- (रुपये बयासी लाख नब्बे हजार एक सौ छः मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 15.01.2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 82,90,106/- (रुपये बयासी लाख नब्बे हजार एक सौ छः मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आर.टी. नगर, नई दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

तीन बिक्री प्रलेखों में शामिल ग्राम-सनोथ, नरेला, दिल्ली-110040 के 1908-1909 के लाल डोरा के भीतर निर्मित सम्पत्ति खसरा नं. 91 के भाग में श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री तारा चंद के नाम में सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

1) **बिक्री प्रलेख तिथि: 13.12.1997, माप 170 वर्ग यार्ड्स।**
चौहद्दी: उत्तरः कृष्ण कुमार की सम्पत्ति दक्षिणः श्री दया नंद की सम्पत्ति, पूर्वः श्री भीम सिंह की सम्पत्ति, अब, श्री कृष्ण कुमार एवं गिरधर आनंद के स्वामित्व में, पश्चिमः रास्ता।

2) **बिक्री प्रलेख तिथि 26.12.1986, माप 90 वर्ग यार्ड्स।**
चौहद्दी: उत्तरः मान सिंह की सम्पत्ति, दक्षिणः श्री दयानंद की सम्पत्ति पूर्वः श्री भीम सिंह की सम्पत्ति, अब श्री कृष्ण कुमार एंव गिरधर आनंद के स्वामित्व में, पश्चिमः रोड

3) **बिक्री प्रलेख तिथि 19.07.1989, माप 400 वर्ग यार्ड्स**
चौहद्दी: उत्तरः मान सिंह की सम्पत्ति
दक्षिणः श्री नरेन्दर कुमार की सम्पत्ति
पूर्वः श्री सूरज भान की सम्पत्ति (प्लॉट)
पश्चिमः रास्ता एवं दयानंद की सम्पत्ति

स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 15.01.2020 — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

**नियुक्तियां**

**राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड**
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
कॉरपोरेट कार्यालय: तीसरा तल, पीटीआई बिल्डिंग, 4 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

**भू-राजस्व अधिकारियों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाना**

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से सेवानिवृत्त भू-राजस्व अधिकारियों से एनएचआईडीसीएल में भूमि-अर्जन परामर्शदाताओं के रूप में संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने हेतु अपनी वेबसाइट https://nhidcl.com/ पर विज्ञापन जारी किया है, जो इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि-अर्जन से संबंधित विभिन्न मामलों का निपटान करेंगे। आवेदन-पत्र की अंतिम तारीख को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होनी चाहिए। विस्तृत निबन्धन एवं शर्तों के लिए अभ्यर्थी उपर्युक्त वेबसाइट को देख सकते हैं।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित संरूप (फॉर्मेट) में आवेदन करते हुए अपना आवेदन-पत्र समाचार-पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर महाप्रबंधक (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, कॉरपोरेट कार्यालय, तृतीय तल, पी.टी.आई. बिल्डिंग, 4 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ईमेल आईडी- gmla@nhidcl.com) को दि. 05.02.2020 को अपराह्न 6.00 बजे तक भेज सकते हैं। अंतिम तारीख यथा 05.02.2020 के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

**अवसंरचना का निर्माण, देश का निर्माण**

**INDRA GANDHI INSTITUTE OF DEVELOPMENT RESEARCH, MUMBAI**
(Deemed to be University)
Gen.A.K.VaidyaMarg, Filmcity Road, Santosh Nagar, Goregaon(E), Mumbai : 400 065

**ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF NON-TEACHING STAFF POSITION**
Advt No. IGIDR/NA/2020 — Date: 17.01.2020
IGIDR invites applications from the Indian Nationals for filling up Non-Teaching Staff position on tenure basis as follows:-

| Sr. No. | Name of the post | No. Vacancy | Pay Level (7th CPC) | Age | Tenure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finance Officer | 01 | Level-14 | Below 55 Yrs | 05 Yrs. |

The candidates may download the Essentials & Desirable Qualifications /Experience, General Details and Application Form, from the Institute website: http://www.igidr.ac.in/careers/. The completely filled Application along with relevant supporting documents duly self-attested should be should be sent by registered post/speed post to **The Registrar, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai so as to reach by 21st February 2020.** Registrar

**SHILPI CABLE TECHNOLOGIES LIMITED - In LIQUIDATION**
**CIN No. L64201DL2006PLC150753**
**E-AUCTION SALE NOTICE**
**Sale of Assets**

1. State-of-the-art Cable manufacturing unit including land & building, plant & machinery, inventory and all other movable assets at Chaupanki, Dist. Alwar, Rajasthan.
2. All movable assets of auto-cable assembly unit including plant & machinery, inventory and all other movable assets at Bhiwadi, Dist. Alwar, Rajasthan.

E-Auction on 6th February 2020 from 11 AM to 1 PM at web portal of: https://ncltauction.auctiontiger.net
Call at +91 22 6610 0922/21 or Email at sctl.lg@gmail.com for more information. Detailed Sale notice uploaded on the website: https://ncltauction.auctiontiger.net

For Shilpi Cable Technologies Limited – In Liquidation
Huzefa Fakhri Sitabkhan
IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115
Date : 21st January, 2020
Place : Mumbai

**प्रपत्र क**
**सार्वजनिक घोषणा**
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

**क्रेडो ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ**

| | सुसंगत विशिष्टियां | |
|---|---|---|
| 1. | कार्पोरेट देनदार का नाम | क्रेडो ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 02.08.2017 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली |
| 4. | कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या | U74999DL2017PTC321649 |
| 5. | कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता | पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट सं. 105, एफ/एफ साउथ एक्स-प्लाजा-II, प्लॉट नं. 209, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली-110049 |
| 6. | कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभ की तिथि | 16.01.2020 (आदेश की तिथि)<br>17.01.2020 ई-मेल के माध्यम से (आदेश के प्राप्ति की तिथि) |
| 7. | ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि | 14.07.2020 (ऋण शोध समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन) |
| 8. | अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर | **रवि बंसल**<br>**पंजीकरण संख्या** : IBBI/IPA-001/1P-P00162/2017-18/10331 |
| 9. | अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है। | **रवि बंसल**<br>**पता** : 308, आदर्श कॉम्पलेक्स, 03, कम्युनिटी सेंटर, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052<br>**ई-मेल आईडी** : ravibansalca@yahoo.com |
| 10. | अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल | **रवि बंसल**<br>**पता** : 308, आदर्श कॉम्पलेक्स, 03, कम्युनिटी सेंटर, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052<br>**ई-मेल आईडी** : drp.kredobeauty@gamil.com, rav-ibansalca@yahoo.com |
| 11. | दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि | 03.02.2020 |
| 12. | अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो | अप्रयोज्य |
| 13. | किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) | अप्रयोज्य |
| 14. | (क) सम्बन्धित प्रपत्र और<br>(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है : | वेबलिंक : www.ibbi.gov.in/home/downloads<br>**भौतिक पता** : 308, आदर्श कॉम्पलेक्स, 03, कम्युनिटी सेंटर, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052 |

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, पीठ-II, नई दिल्ली ने आदेश सीपी सं. (आईबी)1164(एनडी)2019 के माध्यम से दिनांक 14.01.2020 को **क्रेडो ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

**क्रेडो ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 03.02.2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते

जनसत्ता

21 जनवरी, 2020

# ताज और चुनौतियां

पिछले साल जुलाई में जगत प्रकाश नड्डा को जब भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तभी यह साफ हो गया था कि वे ही भाजपा के अगले अध्यक्ष होंगे। सोमवार को औपचारिक रूप से भाजपा अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई और नड्डा के सामने कोई उम्मीदवार नहीं होने के बाद उन्हें पार्टी का अगला अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। पर अब अध्यक्ष बनते ही नड्डा की जिम्मेदारियां और चुनौतियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी तक तो भाजपा संगठन में सारे फैसले अमित शाह ही लेते रहे थे, बिना उनके पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता था। अब यह काम नड्डा को करना होगा। ऐसे में जो कुछ अमित शाह छोड़ कर जा रहे हैं, उसे बनाए रखते हुए नड्डा को पार्टी को और तेजी से आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री (पूर्व भाजपा अध्यक्ष) ने उम्मीद भी यही जताई है कि नए अध्यक्ष पार्टी को और ज्यादा मजबूत व व्यापक बनाएंगे। इसलिए नड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे पार्टी संगठन से ज्यादा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उम्मीदों को पूरा करें।

नड्डा भाजपा के पुराने मंजे हुए नेता हैं। छात्र संघ से लेकर संगठन तक की राजनीति उन्होंने की है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की राजनीति का उन्हें गहरा तजुर्बा है। नड्डा ने उपेक्षित से समझे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में पार्टी की जड़ें मजबूत करते हुए इसे भाजपा का गढ़ बना डाला। इसलिए भाजपा को आगे बढ़ाने का अमित शाह जैसा कौशल नड्डा में भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि नए अध्यक्ष के लिए यह चुनौती भरा काम होगा। नड्डा का कार्यकाल तीन साल का है और इन तीन सालों में ही उन्हें काफी कुछ करके दिखाना होगा। ऐसा इसलिए भी है कि हर कोई नड्डा की सफलताओं-विफलताओं की तुलना पूर्व अध्यक्ष से करेगा। अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए देश के कई राज्यों में भाजपा का न सिर्फ आधार बढ़ा है, बल्कि कई राज्यों में भाजपा सत्ता में आई। खासतौर से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की जोरदार जीत और 2017 में विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना अमित शाह की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसी तरह असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भाजपा की जीत का जो परचम फहरा, उसका श्रेय शाह को ही जाता है। अब जीत का यही सिलसिला नड्डा को आगे बढ़ाना है।

नड्डा ने पार्टी की कमान ऐसे वक्त में संभाली है जब कुछ दिन बाद ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। 2014 में केंद्र में धमाकेदार जीत के बाद भी 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात्र तीन सीटें मिली थीं। इसलिए अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव नड्डा की पहली परीक्षा होगा। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित जिन राज्यों में चुनाव हैं, उनकी दिशा तय करने में बिहार विधानसभा चुनाव महत्त्वपूर्ण होंगे। नड्डा के लिए उन सारे राज्यों को, जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, संभालना दुष्कर इसलिए भी है कि सभी राज्यों में नागरिकता कानून को लेकर केंद्र के कदम का जोरदार विरोध हो रहा है और लोग सड़कों पर हैं। तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ भाजपा पहले ही खो चुकी है। हाल में महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों ने भी ये साबित कर दिया है कि भाजपा का ग्राफ उतार पर है। कश्मीर के राजनीतिक घटनाक्रम भी भाजपा के लिए मामूली नहीं हैं। ऐसे में पार्टी में नया दमखम भरते हुए कैसे राज्यों को फतह किया जाएगा, ये नड्डा को सोचना होगा।

# वोट के लिए

सत्ता पाने के मकसद से होने वाली चुनावी लड़ाइयों में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से लुभावने वादे करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि चुनावी मौसम में वोट पाने के लिए किए गए ऐसे ज्यादातर वादे किसी अंजाम तक पहुंचने का इंतजार ही करते रह जाते हैं। इसके बरक्स एक हकीकत यह भी है कि कई राजनीतिक पार्टियां चुनावों में हर हाल में जीत के लिए मतदाताओं के सामने ऐसे वादे भी कर देती हैं, जो दिखने में तो आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनका आर्थिक बोझ दूसरे पहलुओं पर असर डालता है। राजधानी दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है तो उसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अभी से कवायद में लग गए हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी इसी मकसद से सक्रिय दिख रही है। हालांकि अभी पार्टी का घोषणा-पत्र सामने नहीं आया है, लेकिन रविवार को जारी 'गारंटी कार्ड' के तहत जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, उनसे यही लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी ने लोगों के सामने वोट के बदले आकर्षक प्रस्ताव रखे हैं।

इसमें मौजूदा कार्यकाल के बिजली और पानी के बिल को मुद्दा बनाने के अलावा पार्टी ने शिक्षा, चिकित्सा, प्रदूषण से लेकर झुग्गी बस्तियों के लोगों को पक्के मकान की गारंटी जैसे कई अन्य आकर्षक प्रस्ताव दिए हैं। लेकिन यह देखने की बात होगी कि इन पर ठोस पहलकदमी का स्तर क्या होता है। पार्टी ने जिस तरह विश्वस्तरीय यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है, उसने एक बार फिर सत्ता के लिए उसके लोकप्रियतावाद का सहारा लेने की प्रवृत्ति की पुष्टि की है। यों इस तरह के लुभावने वादे सभी पार्टियां करती रही हैं, लेकिन इस प्रवृत्ति से एक सवाल यह भी उठता है कि जनता को कोई सुविधा मुफ्त मुहैया कराने से सरकार के कोष पर जो बोझ पड़ता है, क्या उसकी भरपाई जनता से ही नहीं की जाती है! आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाल ही में दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के तहत चलने वाली बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर की शुरुआत की। अब ताजा गारंटी कार्ड में विद्यार्थियों को भी यह सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है। सवाल है कि कार्यकाल के अंतिम दौर में महिलाओं के लिए और अब अगले चुनाव को ध्यान में रख कर विद्यार्थियों के लिए मुफ्त सफर के वादे को क्या लोभ की राजनीति नहीं माना जाएगा?

दरअसल, राजनीतिक दलों के आकर्षक माने जाने वाले वादे नागरिकों के आम अधिकार ही होते हैं। सही है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लीनिक जैसे कुछ कामों को 'आप' सरकार अपनी उपलब्धि बता सकती है। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के अधिकार को सरकार की ओर से अपनी उपलब्धि बताने को कैसे देखा जाए? गुणवत्ता से लैस सस्ती चिकित्सा और शिक्षा, यातायात सुविधा जनता को मिलने वाले एक सहज अधिकार होने चाहिए। समाज के किसी हिस्से के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था के समांतर जरूरी यह भी है कि सार्वजनिक परिवहन के स्तर को उन्नत बनाया जाए। लेकिन दिल्ली में विश्वस्तरीय यातायात व्यवस्था की गारंटी परोसने के बरक्स पिछले पांच साल में दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कितनी बसें जुड़ीं, यह किसी से छिपा नहीं है। इस मामले में सरकार का ज्यादा ध्यान क्लस्टर बसों का विस्तार करने पर रहा। पानी-बिजली के बिल में सुविधा या सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त सफर के वादे से ज्यादा जरूरी यह है कि जनता के बुनियादी अधिकारों को लोभ का मुद्दा न बना कर उसे सरकार के दायित्वों के रूप में देखा जाए।

## कल्पमेधा

तुम यहां मेहमान हो। इस पृथ्वी को कुछ अधिक सुंदर छोड़ कर जाओ; अधिक इंसानियत से भरी, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक सुगंधयुक्त, उन मेहमानों के लिए जो तुम्हारे बाद आएंगे।

-ओशो

# भूजल संकट की गंभीरता

सुविज्ञा जैन

**पिछले कुछ समय में जिस रफ्तार से जमीन से पानी निकाला जा रहा है, वह पुनर्भरण की रफ्तार से तेज है। जाहिर है, भूजल घटता जा रहा है। देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां भूजल खत्म होने को है या पहुंच से काफी नीचे चला गया है। इसके लिए अगर पूरी ताकत लगा दें, फिर भी इसके पुनर्भरण में कई साल लग जाएंगे।**

घटते भूजल की चिंता बढ़ती जा रही है। हाल में दुनिया के चौरानवे देशों के एक हजार से ज्यादा वैज्ञानिकों, जल विशेषज्ञों और संबंधित जानकारों ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए दुनियाभर की सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के नाम एक बयान जारी किया है। यह मसला हाल फिलहाल उतना बड़ा जरूर न दिख रहा हो, लेकिन साल दर साल जिस तरह भूजल संकट बड़ा बनता जा रहा है, उसके मद्देनजर फौरन ही चेत जाना चाहिए।

पिछली सदी के अस्सी के दशक से आज तक दुनिया में पानी की खपत हर साल कम से कम एक फीसद बढ़ रही है। इस हिसाब से यह अंदाजा भी लग गया है कि कितनी भी किफायत बरत लें, आज की तुलना में 2050 तक दुनिया को कम से कम तीस प्रतिशत अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पिछले हफ्ते जारी वैज्ञानिकों का बयान चेता रहा है कि इसे दूर की बात न मानें बल्कि निकट भविष्य में भी खतरे की घंटी बजने को है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जल संकट कोई नई चिंता है। पिछले तीन दशक से इसे जताया जा रहा है। ये अलग बात है कि इस बीच कोई बड़ा हादसा हुआ दिखाई नहीं दिया। सवाल उठना स्वाभाविक है कि बढ़ती मांग के बावजूद पानी का इंतजाम हो कहां से रहा है। जवाब है कि सतही जल कम पड़ने के बाद पूरी दुनिया में जमीन के नीचे आरक्षित भूजल का दोहन बढ़ता गया। दुनिया की जो हालत है, वह तो फिर भी उतनी खराब नहीं है जितनी कि अपने देश की है। इसका सीधा-सा कारण है कि दुनिया में इस समय जितना भूजल दोहन हो रहा है, उसका एक चौथाई सिर्फ भारत में जमीन से उलीचा जा रहा है। जबकि भौगोलिक तथ्य यह है कि दुनिया में जितनी जमीन है, उसकी तुलना में भारत की भूमि का क्षेत्रफल सिर्फ ढाई फीसद है। इस हिसाब से देखें, तो हम विश्व के मुकाबले कोई दस गुना भूजल दोहन कर रहे हैं, यानी घटते भूजल से होने वाला खतरा सबसे ज्यादा हमारे सामने ही है।

इसे ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं कि बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और अतिदोहन से घटते भूजल के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पिछले दशकों के मुकाबले तेजी से घट गई है। कहा जा सकता है कि सिर्फ हम नहीं, बल्कि दुनिया के कई इलाके पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 'वर्ल्ड वाटर डवलपमेंट' रिपोर्ट के मुताबिक करीब चार सौ करोड़ लोग यानी दुनिया की दो तिहाई आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है, जहां साल के कई महीनों में पानी की भारी किल्लत रहती है और इनमें से दो सौ करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे साल ही पूर्ण रूप से पानी का संकट झेल रहे हैं। इन क्षेत्रों को 'वाटर स्ट्रेस्ड' क्षेत्र कहा जाता है। गंभीर बात यह है कि पानी की बेहद कमी वाले इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां बारिश से पर्याप्त जल मिलता है। पर्याप्त वर्षा के बावजूद जल संकट का मुख्य कारण वहां बारिश के पानी का सीमित भंडारण है। बारिश से मिलने वाले पानी को पूरा-पूरा रोक कर रखने में ज्यादातर छोटे और विकासशील देश आज भी असमर्थ हैं। दरअसल, वर्षा जल भंडारण एक खर्चीला काम है। जिन गरीब और विकासशील देशों को अपने विकास में पानी का महत्त्व समझ में आ रहा है, वे इस ओर ध्यान तो देना चाहते हैं, लेकिन इसमें उनकी माली हालत आड़े आ जाती है। हालांकि यह सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज पानी के इंतजाम के लिए क्या आर्थिक संसाधन का तर्क दिया जा सकता है?

भारत की बात करें तो क्या इस स्थिति पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि बारिश के महीनों में जो क्षेत्र बाढ़ से जूझते हैं, वे इलाके बाकी के महीनों में पानी की किल्लत में रहने लगे हैं। अभी तक तो किल्लत वाले इलाकों में कामकाज किसी तरह चल रहा था। इसका कारण था भूजल की पर्याप्त उपलब्धता, यानी भूजल को उलीच कर काम चल रहा है। लेकिन अब चेत जाना चाहिए, क्योंकि भूजल चुकने लगा है। भूजल चुकने का कारण भी साफ है। बारिश से ही सतही जल और भूजल दोनों का पुनर्भरण होता है। लेकिन भूजल के पुनर्भरण की एक गति है। पिछले कुछ समय में जिस रफ्तार से जमीन से पानी निकाला जा रहा है, वह पुनर्भरण की रफ्तार से तेज

है। जाहिर है, भूजल घटता जा रहा है। देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां भूजल खत्म होने को है या पहुंच से काफी नीचे चला गया है। इसके लिए अगर पूरी ताकत लगा दें, फिर भी इसके पुनर्भरण में कई साल लग जाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिकों और जल विशेषज्ञों ने पिछले महीने जो बयान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि भूजल पर ज्यादा सोचने के लिए अब बिल्कुल समय नहीं बचा है।

भूजल संकट की बात को अगर और पुख्ता करना चाहें तो संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट पर नजर डाल लेनी चाहिए। इसके मुताबिक इस समय दुनिया में दो अरब लोग पीने के पानी के लिए भूजल पर आश्रित हैं। यही नहीं, खेती के लिए भी चालीस फीसद पानी जमीन से लिया जा रहा है। यहां तक कि कई नदी-तालाबों का स्रोत भी भूजल ही है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के 'वॉटर रिस्क एटलस' के मुताबिक एक सौ चौरासी में से करीब सत्रह देश ऐसे हैं जो जल संकट की 'अति गंभीर' श्रेणी में आ चुके हैं। ये वे देश हैं जहां कहा जाता है कि डे जीरो अब दूर नहीं। डे जीरो यानी वह दिन जब सभी नल सूख जाएंगे। इन देशों में कतर, इजराइल, लीबिया, जॉर्डन, ईरान, कुवैत, ओमान जैसे देश शामिल हैं। भारत भी इन्हीं में एक है। इस सूची में भारत का होना समस्या की गंभीरता समझने के लिए काफी माना जाना चाहिए।

ऐसा भी नहीं है कि भूजल संकट को लेकर भारत में समय-समय पर चिंताएं न जताई गई हों। पिछले साल ही नीति आयोग ने 'वाटर कंपोजिट इंडेक्स' रिपोर्ट में बताया था कि आने वाले एक साल में इक्कीस भारतीय शहरों में भूजल लगभग खत्म होने जा रहा है। भारत में आज बयासी करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं, जहां प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता सिर्फ एक हजार घनमीटर या उससे कम है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानदंड के मुताबिक प्रति व्यक्ति सालाना कम से कम एक हजार सात सौ घनमीटर पानी से ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए।

भूजल के आसन्न संकट के सुविधाजनक समाधानों की सूची लंबी होती जा रही है। इन समाधानों में पानी का किफायत से इस्तेमाल का नारा प्रमुख है। जल संरक्षण में नागरिकों की भूमिका भी जोर-शोर से प्रचारित की जा रही है। वक्त-वक्त पर भूजल दोहन को कानूनी डंडे से रोकने के समाधान भी बताए जाते हैं। लेकिन जिस एक प्रमुख कारण की चर्चा कम होती है, वह है भूजल का अंधाधुंध दोहन। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि वर्षा जल को रोक कर रखने का पर्याप्त प्रबंध हमारे पास नहीं है। हमें हर साल चार हजार अरब घनमीटर पानी प्रकृति से मिलता है, जिसमें से सिर्फ दो सौ सत्तावन अरब घनमीटर पानी हम बांधों, जलाशयों में रोक पाते हैं। जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि बारिश के दौरान हमें छह सौ नब्बे अरब घनमीटर वह सतही जल आसानी से उपलब्ध है जिसे गैर बारिश वाले आठ महीनों के लिए रोककर रखा जा सकता है। यदि यह पानी भंडारित हो तो भूजल पर निर्भरता अपने आप ही कम हो सकती है।

# सच पर परदा

योगिता यादव

**दुनिया मेरे आगे**

जब कोई व्यक्ति चोरी करता पकड़ा जाता है, तो क्या आप उसे बाबा भारती और खड़ग सिंह की कहानी 'हार की जीत' सुनाते हैं? नहीं न! तब फिर स्त्रियों से संबंधित अपराध होने पर हमारे देश का कोई नेता और उन जैसे लोग श्लोक, मंत्र और पंचतंत्र की कथाएं क्यों सुनाने की सलाह देने लगते हैं? दरअसल, वे जानते हैं कि छोटे से दिमाग को उलझाए रख कर जेंडर या सामाजिक लिंग के एक बड़े प्रश्न को बेदखल किया जा सकता है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, आधुनिक बनाम पारंपरिक की लड़ाई के बीच जेंडर की अस्मिता और संरक्षा के मुद्दे को बहुत शातिराना तरीके से उलझाया जा सकता है, जिसे इसके खैरख्वाहों ने ही यथासंभव उलझाया है।

भूख एक नैसर्गिक क्रिया है, लेकिन भूख के लिए किसी का अन्न, औषधि या सामान चुराना अपराध है और उसके लिए सजा निर्धारित है। भूख की मजबूरी से आप चोरी को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकते। पर यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में इन दोनों को भरसक उलझाया जाता है। दोनों ही जघन्य अपराधों को मनुष्य की स्वाभाविक सहवास की आवश्यकता बता कर सही ठहराने की कोशिश की जाती है। फिर चाहे इसके लिए पीड़िता का चरित्रहनन ही क्यों न करना पड़ जाए!

कुछ समय पहले 'मी टू' की मुहिम के दौरान जब महिलाएं अपने पुराने कटु अनुभवों को सामने लाकर अपनी साझी अस्मिता के लिए खड़ा होने की कोशिश कर रही थीं, तब भी कुछ महिलाएं इनके विरोध में आईं। यह उन लोगों के लिए अनुकूल मौका बन गया, जिन्हें स्त्री के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से ज्यादा उसकी यौन स्वतंत्रता की वकालत सूट करती है। जबकि अपनी दुनिया में वे आर्थिक मामलों में धोखाधड़ी, दल-बदल कानून और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी कानून का सहारा लेते हैं।

सच यह है कि सहमति से हुए सेक्स के बावजूद यौन शोषण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बस वैसा ही है जैसे साझेदारी में शुरू किए गए कारोबार में धोखाधड़ी होने पर कानून किसी को मुकदमा करने का अधिकार देता है। हमारे देश और समाज में आर्थिक मामलों में धोखाधड़ी होने पर तो अपील का अधिकार है, पर शारीरिक संबंधों और प्रेम में हुई धोखाधड़ी पर महिलाएं 'चटखारे की विषयवस्तु' बन जाती हैं। कारण साफ है कि अब भी आधी आबादी जेंडर के मुद्दे को वोट बैंक नहीं बना पाई है। कितनी ही बार उसके मन का पलड़ा अपने जेंडर के बजाय अपने पुरुष साथी की विद्वता, महानता, सामाजिक-आर्थिक हैसियत और रसूख की तरफ झुक जाता है। स्त्री अस्मिता और सुरक्षा की गारंटी जैसा कोई संकल्प कहीं जगह नहीं हासिल कर पाता है। अब भी भारतीय राजनीति 'वीरों' की पनाहगाह है, स्त्री अस्मिता की नहीं।

करीब सत्रह साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक लड़की ने किशोरावस्था में ही वीर रस की कविताओं से मंचों पर तहलका मचा दिया था। चौबीस साल की उम्र में जब उसकी हत्या हुई तो वह गर्भवती थी। पोस्टमार्टम और फिर डीएनए जांच में पता चला कि उसके गर्भ में बच्चा एक स्थानीय बाहुबली नेता का था। फिर उससे जुड़ी कई कहानियों के अलावा नेता की पत्नी के नाम पर कवयित्री को कई तरह के लाभ दिलाने की खबरें तैरने लगीं। दरअसल, उस नेता के साथ उसकी पत्नी भी हत्या में शामिल थी। दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। उस हत्याकांड ने पूर्वांचल की सियासत में तूफान मचा दिया था। लेकिन जानते हैं, जनता जनार्दन ने क्या किया? तैंतीस से ज्यादा मामलों में दोषी वह बाहुबली नेता सन 2007 में गोरखपुर जेल से ही चुनाव लड़ा और महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से बीस हजार वोटों से चुनाव जीता। तो हम, भारत के लोग, जो संविधान पर अटूट आस्था रखते हैं, वे असल में इतने भावुक और इतने विवेकहीन हैं कि मतदान करते समय हमें अपनी मां, बहन और बेटियों का भी खयाल नहीं आता।

हम वही जनता जनार्दन हैं जो बलात्कार के आरोपी और दोषी ठहराए गए बाबाओं की गिरफ्तारी के विरोध में लट्ठ लेकर खड़े हो जाते हैं, समाज सेवा और अध्यात्म के नाम पर। क्या हुआ जो बाबा ने आठ, दस या उससे भी ज्यादा महिलाओं, बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लिया! न्याय मांगने के लिए दर-दर भटकती बलात्कार पीड़िता के लिए हमारा दिल भले न पसीजे, पर जब कोई नेता बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हो जाए तो हम उसके लिए जुलूस निकालेंगे और कहेंगे- 'हमारा विधायक निर्दोष है'। इन जुलूसों में महिलाएं भी होंगी!

अब भी हमारी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में कई ऐसे नेता हैं जिन पर संगीन आरोप लगे हैं और मुकदमे चल रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक शोध संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि सत्रहवीं लोकसभा के लिए चुन कर आए 542 सांसदों में से 233 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बताइए कि आप किस तरफ हैं? इन्हें जिता कर दामिनी, निर्भया या दिशा के साथ जो हुआ, उससे उपजी पीड़ा पर मोमबत्तियां जलाने वालों की तरफ या बलात्कार से बचने के लिए लड़कों को श्लोक और मंत्र सुनाने वालों की तरफ?

# चौपाल

## स्वास्थ्य की सुध

हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सबसे प्रमुख चुनौती है आबादी के अनुपात में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना, दवाइयों, कुशल व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं की भारी कमी है। इसके मद्देनजर टेलीमेडिसिन सेवा का उपयोग करके देश के सुदूर भागों और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में गुणात्मक सुधार ला सकते हैं। हमें चिकित्सा की ऐलोपैथिक पद्धति के अलावा उपलब्ध अन्य पद्धतियों पर भी जोर देना चाहिए, जैसे- आर्युवेद, योग, होम्योपैथी आदि। वैकल्पिक चिकित्सा के प्रचार-प्रसार के लिए भी प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई बातों का रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

आज देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.4 फीसद चिकित्सा सेवा में खर्च किया जाता है। इसे बढ़ाने की काफी जरूरत है तभी आबादी के अनुपात में डॉक्टर, अस्पताल और अन्य सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निजी चिकित्सा उद्योग क्षेत्र सिर्फ चुनिंदा शहरों तक सीमित न रहे बल्कि यह अपनी सुविधाओं का विस्तार छोटे एवं पिछड़े शहरों में भी करे। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि निजी अस्पताल वे मरीजों से मनमानी रकम न वसूल सकें। इसके लिए भी समुचित तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए।

निष्कर्षतः आज देश को एक ऐसी स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है जो मौजूदा समय की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो और लगातार परिवर्तित हो रहे परिवेश में उत्पन्न संक्रामक बीमारियों से रक्षा कर सके। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, पर अभी भी इस क्षेत्र में काफी काम बाकी है। देश में स्वास्थ्य संरचना, उपचार परीक्षण और शोध की दिशा में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि सबके लिए स्वास्थ्य का सपना साकार हो सके।

● *सूर्यभानु बांधे, रायपुर, छत्तीसगढ़*

## विरोध और राजनीति

देश में अलग-अलग जगह हो रहा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध इस कदर बढ़ गया है कि लोग महीनों से सड़क जाम कर बैठे हुए हैं। इससे आने-जाने वालों को भारी यातायात जाम और परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें अपनी आवाज उठाने का सबको हक है। लेकिन हमें समझना होगा कि दुनिया के सौ से ज्यादा देशों में एनआरसी लागू है। जब कोई नई चीज बनती है तो उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन उसका पूरी तरह विरोध करना गलत है। यह देश हम सबका है, हम बदलाव के लिए सुझाव दे सकते हैं। इस वक्त विरोध कम राजनीति ज्यादा हो रही है।

इन दिनों धरने पर आ रहे छोटे-छोटे बच्चों के अंदर जहर भरा जा रहा है। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे धरने में आ रहे हैं। इस समय सरकार की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह लोगों को आकर समझाए और उनसे संवाद करे। हम सबको समझदारी से काम लेने की जरूरत है।

● *आशीष गुसाईं, दिल्ली विश्वविद्यालय*

## रहने लायक

अमेरिका के यूएस न्यूज, वर्ल्ड रिपोर्ट व वॉर्टन स्कूल के संयुक्त सर्वेक्षण में भारत को 73 देशों की वैश्विक सूची में 'रहने लायक देश' के लिहाज से 25वां स्थान मिला है। इससे पहले 2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत महिलाओं के लिए विश्व में सबसे 'असुरक्षित' और 'खतरनाक' देश है। नन्हे बच्चों को पौष्टिक आहार व दवाओं से सुरक्षा देने के मामले में तो भारत की हालत अफ्रीकी गरीब देश केन्या और मिस्र से भी बुरी है। वैश्विक स्तर पर इस मामले में भारत 59 वें पायदान पर है।

पश्चिम एशिया के मुसलिम बहुल सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कम स्त्री स्वतंत्रता वाले देशों की तुलना में, भले ही वे भारत की तरह औरतों को स्वतंत्रता नहीं देते, लेकिन जिस हिसाब से भारत में लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार, जघन्य हत्या और मानव तस्करी की अनवरत घटनाएं हो रही हैं, उससे भारत की वैश्विक स्तर पर एक बहुत खराब छवि बन रही है। हमें आर्थिक, सैन्य व अंतरिक्ष महाबली बनने के साथ-साथ मानवीय, सहिष्णु, संवेदनशील, दयालु तथा धार्मिक व जातीय आधार पर मिल-जुलकर रहने वाले, शांतिपूर्ण समाज बनने का सद्प्रयास भी करना चाहिए, ताकि हम भी विश्व के उन 'रहने के लिए के लिए सर्वोत्तम देशों' में अपना कुछ गौरवपूर्ण स्थान बना सकें।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश*

## प्रदूषण का जहर

आज चूंकि जल और वायु प्रदूषण का दौर है इसलिए मनुष्य के खाद्य उपभोग की तमाम चीजों को भी इस प्रदूषण ने अपने आगोश में ले लिया है। अनाज, दालों और सब्जियों में आर्सेनिक, यूरिया और पारे की खतरनाक स्तर में मौजूदगी मनुष्य जीवन पर आसन्न गहरे संकट की तरफ इशारा करती है। आवश्यकता से अधिक रसायनों के उपयोग से न केवल फसलें जहरीली हो रही हैं बल्कि भूजल भी खतरनाक रूप से कैंसर और अन्य रोगों का कारण बन कर लोगों को मौत की ओर धकेल रहा है। जहरीले और बेहद गंदे जल से सब्जियों की सिंचाई, उनकी धुलाई और उन्हें ताजा व हरा दिखाने के लिए प्रयुक्त रसायनों से पारा और आर्सेनिक तत्त्व सीधे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे स्थिति और अधिक भयावह होती जा रही है। इसे रोकने के अनेक उपाय हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त उपाय उपभोक्ताओं की जागरूकता है। जहां भी गंदे नालों से सिंचाई और सब्जियों की धुलाई होती दिखे, किसानों को समझाया जाए। सरकार अधिक सजग होकर इसे रोके अन्यथा बहुत बड़ी आबादी के बीमार होने पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अधिकतम अंश स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पड़ सकता है।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

## जरा हट के

राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अभ्यास के दौरान रंग-बिरंगे कपड़ों और सिर पर डोला उठाए स्कूली बच्चियां।

## बोल

*क्वेटा में मस्जिद और नमाज अदा कर रहे लोगों को निशाना बना कर किए गए निंदनीय कायराना आतंकवादी हमले पर मैंने तत्काल रिपोर्ट मांगी है।*

*-इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री*

## विवाद

*देश के लिए यह बेहद दुखद, त्रासदीपूर्ण है कि राष्ट्रपति ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने और चुनाव की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए कदम उठाए।*

*-नैन्सी पैलोसी, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष*

## सम-सामयिक

# रूस में संविधान क्यों बदल रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन

जनसत्ता संवाद

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश का संविधान बदलने का प्रस्ताव रखा है। 27 साल पुराने संविधान को बदलने के लिए पुतिन देशभर में जनमत संग्रह कराएंगे। उनके पक्ष में यह जनमत संग्रह आया तो ही वे संविधान बदल सकेंगे। इस प्रस्ताव के आने के बाद प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव समेत पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया।

नए साल का भाषण देते हुए मेदवेदेव ने संकेत दिए थे कि साल की शुरुआत से ही उनके दिन गिनने की शुरुआत हो सकती है। 15 जनवरी को टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संदेश में पुतिन ने बदलाव का प्रस्ताव रखा। पुतिन ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर मिखाइल मिशुस्तिन जैसे नए चेहरे को सामने लाकर लंबी पारी खेलने की तैयारी की है। रूस के सत्ताधारी दल यूनाइटेड रशिया ने मिशुस्तिन की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है। रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा में यूनाइटेड रशिया पार्टी का बहुमत होने के कारण इस प्रस्ताव के स्वीकार होने की उम्मीद है।

संवैधानिक बदलावों के माध्यम से पुतिन राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रख सकेंगे। पुतिन ने अपने भाषण में एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं कीं। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि 2024 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पुतिन अपना भविष्य कैसे सुनिश्चित करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि वर्ष 1999 से ही रूस की सत्ता संभालने वाले 67 साल के पुतिन या तो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या अपने लिए किसी नए पद का गठन करेंगे।

अपने भाषण में पुतिन में जिन अहम बदलावों की बात की, उनमें राष्ट्रपति के हाथ से कई अधिकार संसद को देने का प्रस्ताव है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों को चुनने का अधिकार वह संसद को देना चाहेंगे। 1993 में रूस ने यह संविधान लागू किया था। तब से लेकर यह पहला बदलाव होगा, जिसे पुतिन रूसी जनता से आ रही बदलाव की मांग बता रहे हैं।

पुतिन ने मार्च 2018 में राष्ट्रपति पद के लिए जीत दर्ज की थी ये उनकी चौथी जीत थी। पुतिन 2024 तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। संविधान के हिसाब से पुतिन अगली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। वर्तमान संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति लगातार दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। पुतिन 2000 से 2008 तक दो बार राष्ट्रपति रहे। तब राष्ट्रपति कार्यकाल चार साल का ही होता था। इसके बाद उन्होंने 2008 में अपने साथी मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनवाया। तब पुतिन ने खुद मेदवेदेव का प्रचार किया और मेदवेदेव ने यह वादा किया कि अगर वे जीते तो पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे।

मेदवेदेव के राष्ट्रपति रहते हुए ही उन्होंने सितंबर 2011 में राष्ट्रपति का कार्यकाल छह साल करा लिया और जब 2012 में मेदवेदेव ने इस पद पर कार्यकाल पूरा किया तो एक बार फिर पुतिन इस पद पर आ गए। छह साल बाद 2018 में उन्होंने फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इस तरह उन्हें 2024 तक तो कोई खतरा नहीं है।

मेदवेदेव की छवि एक उदार राजनेता की रही है। पुतिन ने मेदवेदेव को रूस की सुरक्षा परिषद में डिप्टी सेक्रेटरी का पद देने की घोषणा की है। पुतिन ने कहा, 'मैंने रूस की सुरक्षा समिति में डिप्टी सेक्रेटरी का पद सृजित करने का मन बनाया है।' रूसी सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पुतिन करते हैं।

### लोकप्रियता में गिरावट

रूस की आम जनता बीते पांच साल में अपनी आय के उसी स्तर पर बने रहने या घटते जाने को लेकर परेशान है। दूसरी ओर पेंशन मिलने की उम्र को और आगे बढ़ाने के कदम से भी जनता में नाराजगी है और इससे पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट आई है। विपक्ष के नेता अलेक्सी नावाल्नी ने ट्वीट कर कहा, 'जब तक जिएं तब तक देश के इकलौते नेता बने रहें...पूरे देश को अपनी संपत्ति समझने वाले पुतिन का केवल एक ही लक्ष्य है।'

## शोध

# हिमालय की ऊंचाइयों पर नए पौधे

जनसत्ता संवाद

पिछले कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के कारण हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की दर में बढ़ोतरी हुई हैं। वहीं हाल में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने माउंट एवरेस्ट क्षेत्र सहित पूरे हिमालय पर नए पौधों के उगने का दावा किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर में परिवर्तन के साथ-साथ वहां की वनस्पति भी प्रभावित हो रही है और अब ये पौधे उन ऊंचाइयों पर बढ़ रहे हैं जहां वो पहले नहीं उगते थे।

यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के वैज्ञानिकों ने किया है। शोध का परिणाम जर्नल ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार माउंट एवरेस्ट और हिमालय के ऊंचाई वाले दूसरे हिस्सों में पनपने वाले घासों और झाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। यह शोध नासा के लैंडसैट उपग्रह चित्रों के आधार पर किया गया है जिसमें 4,150 मीटर और 6,000 मीटर ऊंचाइयों को चार भागों में बांटा गया था। इसमें पूर्व में म्यांमार से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक हिंदू कुश हिमालय के अलग-अलग स्थानों को लिया गया।

अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने 1993 से 2018 तक ट्री-लाइन और स्नो-लाइन के बीच वनस्पति के विस्तार को मापने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया। शोध का मुख्य विषय, सबनाइवल इलाके यानी उपनाइवल मेखला में उगने वाले पेड़ पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। उपनाइवल मेखला ट्री-लाइन और स्नोलाइन के बीच के इलाके यानी बर्फ से ढकी जगह और पेड़ पौधे उग सकने वाली जगह के बीच की जगह को कहते हैं। इस जगह पर अधिकतर छोटे पौधे और घास ही उगती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर स्थित एनवायर्मेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंस्टिट्यूट की वैज्ञानिक डॉ करेन एंडरसन ने बताया, 'हिमालय पर पिछले कुछ वर्षों के दौरान 4150 मीटर से 6000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर वनस्पति में प्रभावी परिवर्तन आया है। सबसे अधिक अंतर 5000 से 5500 मीटर की ऊंचाई के बीच देखा गया था। अधिक ऊंचाई पर, चपटे क्षेत्रों में पौधों का विस्तार अधिक था जबकि निचले स्तरों पर यह ढलान वाले जगहों पर अधिक था।'

अध्ययन में हिमालय क्षेत्र के सभी ऊंचाई श्रेणियों में वनस्पति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। नीदरलैंड में उट्रेचट यूनिवर्सिटी में भूविज्ञान संकाय से संबद्ध प्रो. वाल्टर इमर्जील ल ने बताया है कि एक्सेटर यूनवर्सिटी का शोध गर्म और आर्द्र जलवायु में क्या होगा, इसकी संभावनाओं से मेल खाता है।' उन्होंने बताया, 'यह एक बहुत ही संवेदनशील ऊंचाई वाला इलाका है जहां पर स्नोलाइन है। इस जोन में उच्च ऊंचाइयों से निकलने वाली स्नोलाइन से वनस्पति को बढ़ने का मौका मिलता है।'

प्रोफेसर इमर्जील ने यह भी कहा कि जल विज्ञान संबंधी निहितार्थों का अध्ययन करना भी दिलचस्प होगा क्योंकि अधिक ऊंचाई पर अधिक वनस्पति का मतलब अल्पाइन कैचमेंट से अधिक वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी भूमि से वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। ऐसा तापमान बढ़ने के कारण भी होता है, इसलिए नदी में पानी का प्रवाह भी कम होता है। हालांकि इस शोध में ये नहीं बताया गया है कि ऊंचाइयों में वनस्पतियों के उगने के क्या कारण हैं। प्रोफेसर वाल्टर इमर्जील इस अध्ययन में शामिल नहीं थे।

कई दूसरे शोधों में भी यह पता चला है कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु-प्रेरित वनस्पति बदलाव के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। यही नहीं हिमालय पर नियमित रूप से जाने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने वनस्पति विस्तार की पुष्टि भी की है। नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में बॉटनी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अच्युत तिवारी ने कहा, 'हमने नेपाल और चीन के तराई क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि के साथ ट्री-लाइन का विस्तार पाया है। अगर निचले इलाकों में ये संभव है तो स्पष्ट रूप से उच्च ऊंचाई पर भी तापमान में वृद्धि होने पर पौधों पर प्रतिक्रिया होगी।' प्रोफेसर अच्युत तिवारी का यह शोध 'ट्री-लाइन डायनामिक इन द हिमालय' डेनड्रोक्रोनोलोजिया नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

एक शोध के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर में बदलाव के साथ-साथ वहां पाई जाने वाली वनस्पतियां अब पहले से अधिक ऊंचाई पर पनपने लगी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है तापमान वृद्धि के कारण ही अधिक ऊंचाई पर पौधे पनप रहे हैं।

## विश्व परिक्रमा

### विमान मामले में ईरान ने मानी अपनी गलती

**रविवार, 12 जनवरी :** ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि सैन्य जांच में सामने आया कि मानवीय त्रुटि के कारण दागी गई मिसाइलों के चलते बोइंग 737 दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना में 176 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि शुरू में राष्ट्रपति ने इस आरोप से इनकार किया था।

### सरकार विरोधी दौड़ में हजारों लोग शामिल

**सोमवार, 13 जनवरी :** थाईलैंड में नारे लगाते हुए और 'हंगर गेम्स' फिल्म की तरह तीन सलामी के अंदाज में तीन अंगुली दिखाते हुए करीब 10,000 लोग 'तानाशाही के विरुद्ध दौड़' में शामिल हुए जो 2014 के तख्तापलट के बाद राजनीतिक अवज्ञा का सबसे बड़ा प्रदर्शन था।

### ईरान में प्रदर्शनकारियों पर चली गोलियां

**मंगलवार, 14 जनवरी :** ईरानी पुलिस और सुरक्षा बलों ने यूक्रेन के विमान को मार गिराने की बात से इस्लामिक गणराज्य द्वारा इंकार करने के विरुद्ध जुटे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलायीं और आंसू गैस के गोले दागे।

हसन रूहानी

### पाकिस्तान में बर्फबारी से 75 लोगों की मौत

**बुधवार, 15 जनवरी :** पाकिस्तान में भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश के कारण हुए हिमस्खलन तथा भूस्खलन की घटनाओं में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 75 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। कड़ाके की ठंड और खराब मौसम की वजह से पाकिस्तान में सड़क यातायात और संचार सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।

### पुतिन के एलान के बाद रूसी सरकार का इस्तीफा

**गुरुवार, 16 जनवरी :** राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन द्वारा कई संवैधानिक सुधारों का एलान किए जाने के बाद रूसी सरकार ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री दमित्रि मेदमेदेव ने कहा कि प्रस्तावों से देश में सत्ता संघर्ष में महत्त्वपूर्ण बदलाव होंग, इसलिए सरकार इस्तीफा देती है।

### महाभियोग की कार्यवाही का प्रस्ताव सीनेट भेजा

**शुक्रवार, 17 जनवरी :** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही बुधवार को अमेरिका के ऊपरी सदन सीनेट को भेज दी गई। सीनेट में कार्यवाही चलाए जाने के पक्ष में 228 सांसदों ने जबकि विपक्ष में 193 सांसदों ने वोट दिया था।

### चीन की वृद्धि दर तीन दशक के निचले स्तर पर

**शनिवार, 18 जनवरी :** चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 6.1 फीसद रही है जो पिछले 29 साल में सबसे निचले स्तर है। घरेलू मांग के कमजोर रहने और अमेरिका के साथ चले व्यापार युद्ध के कारण चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।

## जानें-समझें

*अमेरिका-चीन में व्यापार समझौता*

# अब किस करवट बैठेगी अर्थव्यवस्था

दीपक रस्तोगी

अमेरिका और चीन ने 18 महीनों से चल रहे आपसी विवाद को खत्म करते हुए शुरुआती व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत चीन अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं की खरीद को 200 अरब डॉलर से बढ़ाएगा और बदले में अमेरिका कुछ शुल्कों को वापस लेगा। संधि होते ही दुनिया भर के महत्त्वपूर्ण स्टॉक बाजारों के सूचकांकों में रेकॉर्ड बढ़त हुई, लेकिन बाद में व्यापारिक तनावों पर संधि का दीर्घकालीन असर न होने की चिंताओं को लेकर सभी सूचकांकों में वृद्धि रुक गई। अर्थव्यवस्था के फौरी रुख से स्पष्ट हुआ है कि व्यापार समझौते से अमेरिका और चीन तो अपने नुकसान की भरपाई करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन भारत समेत उन देशों को संभलने में वक्त लगेगा, जो इनसे प्रभावित हुए हैं। दुनिया की दोनों चोटी की अर्थव्यवस्थाओं में तनाव 22 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में बने सौर पैनलों और वाशिंग मशीनों पर शुल्क लगाने की घोषणा कर दी।

### पहले चरण में क्या-क्या

पहले चरण के व्यापार समझौते में अमेरिका ने विभिन्न चीनी उत्पादों पर शुल्क में कटौती की है और चीन ने इसके बदले अमेरिका से उसके उत्पादों और सेवाओं की खरीद का वादा किया है। चीन दो साल में 200 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों, सेवाओं की खरीद के साथ 52.4 अरब डॉलर की ऊर्जा और 80 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों की खरीद करेगा। चीन ने वादा किया है कि वह नकली अमेरिकी वस्तुओं की बिक्री रोकेगा, अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकार का सम्मान करेगा और अपनी मुद्रा की विनिमय दरों में कृत्रिम बदलाव नहीं करेगा। चीन ने जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को खत्म करना, अमेरिकी कृषि के अभूतपूर्व विस्तार, अमेरिकी वित्तीय सेवाओं से अवरोध हटाना, अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों को पुनः संतुलित और समस्याओं का समाधान निकालने के वादे किए हैं।

### दीर्घकालिक असर के आसार

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के लंबा खिंचने से दुनिया भर में चिंता थी। दोनों एक दूसरे के उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा रहे थे। अमेरिका ने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए चीनी उत्पादों पर कर बढ़ा दिया और चीन पर आरोप लगाया था कि वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि जब अमेरिका मंदी की चपेट में आने लगा तो राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से वार्ता की पेशकश की और दोनों देश थोड़ा-थोड़ा झुके। लेकिन समझौते में हुई देरी से भारत समेत दुनिया के कई बड़े देश- ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, सिंगापुर और ब्राजील मंदी की चपेट में आ गए।

### भारत पर सीधा असर

अमेरिका और चीन के बीच समझौते से पहले चीन के केंद्रीय बैंक-पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने ब्याज दरें 0.50 फीसद घटाने का ऐलान किया। इससे भारत की चीन में कारोबार कर रही कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। खासकर टाटा मोटर्स को, जिसकी कुल बिक्री का 10 फीसद चीन में होता है। भारत अपने सामान को आसानी से अन्य देशों में निर्यात कर पाएगा। निर्यात बढ़ने से अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। हालांकि, इससे भारत को उम्मीद से कम लाभ हुआ।

### भारत को उम्मीद से कम फायदा क्यों

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के कारण भारत को करीब 755 मिलियन डॉलर (करीब 5300 करोड़ रुपए) का फायदा हुआ है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इससे भारत को 11 अरब डॉलर (77 हजार करोड़) का फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा मेक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और ताइवान जैसे देशों को मिला है। संयुक्त राष्ट्र के यूएनसीटीएडी (यूनाइटेड नेशंस कांफ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट) रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्रेड वॉर का सबसे ज्यादा फायदा ताइवान को मिला। उसके बाद मेक्सिको, यूरोपीय समुदाय, वियतनाम, कनाडा और इन सभी से कम भारत को। जब अमेरिका और चीन के संबंध बिगड़े, उसी दौरान व्यापार में विशेष दर्जे को लेकर भारत के संबंध भी अमेरिका से बिगड़े। इसके बाद भारत ने वहां से आयात होने वाले सामान पर ज्यादा शुल्क लगा दिया, इससे भारत को उम्मीद से कम लाभ मिला।

## क्या कहते हैं जानकार

फाइल फोटो

चीन के उप प्रधानमंत्री लिउ हे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर करने के दौरान।

भारत को रचनात्मक नीतियों और ढांचागत विकास के मुद्दे पर स्पष्ट दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। तब ही अमेरिका-चीन कारोबार युद्ध जैसी स्थितियों से हम बच सकते हैं। इस दिशा में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। नियमित काम करना होगा।

*-कुणाल कुंडू, अर्थशास्त्री*

भारत को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए। इस क्षेत्र में अमेरिका को होने वाले भारत के निर्यात में 11.2 फीसद की वृद्धि हुई, जबकि चीन को हुए निर्यात में इस दौरान 31.4 फीसद वृद्धि दर्ज की गई। चीन ने पहले से कहीं अधिक भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार खोले। इसका लाभ मिल सकता था।

*-गणेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय निर्यातकों के संगठन फियो*

अमेरिका और चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं कि इनकी नीतियों का सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। अमेरिका ने मुख्य रूप से चीन की मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मध्यवर्ती उपकरणों पर निशाना साधा, जबकि चीन ने अमेरिका से ऑटोमोटिव और सोयाबीन सहित कृषि उत्पादों को निशाने पर लिया। भारत के बाजार पर असर होना ही था।

*-प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, प्रोफेसर, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आइआइएफटी)*

## व्यक्तित्व

# तान्या शेरगिल : 26 जनवरी की परेड का करेंगी नेतृत्व

जनसत्ता संवाद

बुलंद आवाज, जोशीले अंदाज और अपने नपे तुले कदमों की थाप के साथ कैप्टन तान्या शेरगिल इस साल गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ से सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला परेड एडजुटेंट (सैन्य अधिकारी) होंगी।

तान्या शेरगिल का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने 15 जनवरी को आयोजित 72वें सेना दिवस (आर्मी डे) पर आर्मी परेड का नेतृत्व किया। सैन्य इतिहास में पहली बार एक महिला कैप्टन ने आर्मी परेड का नेतृत्व किया। तान्या सेना दिवस परेड में परेड एडजुटेंट के रोल में थीं। इस पद पर मौजूद व्यक्ति परेड से जुड़ी सारी जिम्मेदारी संभालता है। आम तौर पर एडजुटेंट वो होता है जो कमांडिंग अफसर को असिस्ट करता है, और कॉरेस्पोंडेंस (आपस में संपर्क) की जिम्मेदारी सम्भालता है। तान्या ने जिन टुकड़ियों को लीड किया था, उनमें सभी पुरुष थे।

सेना दिवस पर परेड का नेतृत्व करते हुए तान्या का वीडियो भी बीते दिनों वायरल हुआ था, जिसके बाद हर कोई उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम करने लगा। वीडियो के साथ उनकी एक फोटो भी वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने कंधे पर एक हथियार रखा हुआ है। इसके बाद कहा जाने लगा कि तान्या बचपन में हथियारों से खेला करती थी।

एक साक्षात्कार के दौरान तान्या ने कहा, 'जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ ऑफिसर्स होते हैं। उस समय लिंग मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है योग्यता। जो भी लड़कियां और महिलाएं अपने सपने पूरे करने की कोशिश में लगी हुई हैं, उनको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लड़कों और पुरुषों से किसी मायने में कम हैं। मैं उन्हें बस यही बोलूंगी कि अपने लक्ष्य पर फोकस करो, और उन्हें पाने के लिए जी-जान से मेहनत करो।'

पंजाब के होशियारपुर के गढ़दीवाला कस्बे की रहने वाली तान्या को बहादुरी विरासत में मिली है। वह अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं जो सेना में भर्ती हुई हैं। उनके पिता ने 101 मध्यम रेजिमेंट (आर्टिलरी) में सेवा दी है। तान्या के दादाजी 14 वीं सशस्त्र रेजिमेंट (सिंडी हॉर्स) और परदादा सिख रेजिमेंट में पैदल सैनिक के रूप में सेवा दे चुके हैं। तान्या के पिता सूरत सिंह और मां लखविंदर गढ़दीवाला में रहते हैं।

1993 में जन्मी तान्या की स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय मुंबई से हुई। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में बीटेक किया है। वह ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) चेन्नई से स्नातक हैं। वह 2017 में कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में कमीशन हुई थी। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स सेना की एक शाखा है जो मिलिट्री कम्युनिकेशन संभालती हैं। वर्तमान में तान्या मध्यप्रदेश के जबलपुर के 1-सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ हैं। पांच फुट नौ इंच लंबी तान्या को घूमने, संगीत और फोटोग्राफी काफी पसंद है। एक महिला होने के नाते तान्या की यह उपलब्धि बहुत बड़ी है। उनकी यह उपलब्धि पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते दखल और महत्व को बयां करती है।

# बनने नहीं, कुछ करने का सपना देखें : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक नई भूमिका में दिखे। तालकटोरा स्टेडियम में 'परीक्षा पे चर्चा 2020' कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से उनके दोस्त और अभिभावक की तरह बात की। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में विद्यार्थियों को गंभीर सबक सिखाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी परीक्षा जिंदगी नहीं हो सकती है, यह जिंदगी का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव होती है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान होने वाला तनाव, परीक्षा का नहीं बल्कि उन आकांक्षाओं का होता है जिन्हें हमारे अभिभावकों या हमने अपने ऊपर डाल लिया होता है। इसलिए कुछ बनने के सपने देखने की जगह कुछ करने के सपने देखें तो तनाव होगा ही नहीं। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि यह नहीं हुआ तो कुछ नहीं जैसा माहौल नहीं बनाएं। इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय विद्यालय के तीन विद्यार्थियों हृदया, साहिल और श्रेया ने किया। इस दौरान 23 विद्यार्थियों के सवालों का प्रधानमंत्री ने जवाब दिया।

**विफलताओं में ही सफलता के राज**

एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने चंद्रयान और अपनी इसरो की यात्रा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा चंद्रयान से हमारा संपर्क टूट गया था और देर रात मैं अपने होटल चला गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आई और सुबह मैं फिर इसरो केंद्र पहुंचा और वैज्ञानिकों से बातचीत की। मैंने वैज्ञानिकों से कहा कि सफलता और विफलता किसी भी कार्य में बहुत ही आम बात है लेकिन हमें इस कार्य को आगे जारी रखना है क्योंकि विफलताओं में ही सफलता के राज छिपे होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम संकल्प के जरिए भी विफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं इसके लिए उन्होंने 2001 में भारत और आस्ट्रेलिया के टैस्ट मैच का उदाहरण दिया।

**परीक्षा पे चर्चा 2020**

*हल्के फुल्के* अंदाज में प्रधानमंत्री ने सिखाए गंभीर सबक

**संतुलन बनाएं**

मोदी ने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक मिलना ही सब कुछ नहीं है। विद्यार्थियों को इस सोच से बाहर निकलना चाहिए कि परीक्षा ही सब कुछ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों जैसे खेलकूद, गीत संगीत आदि पर भी ध्यान देना चाहिए लेकिन संतुलन के साथ। उन्होंने बोर्ड परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों से कहा कि वे हर रोज अपनी पसंद का कार्य जरूर करें। इससे दिमाग शांत होता है व पढ़ाई में मदद मिलती है।

**हर दिन कुछ समय तकनीक से दूर रहें**

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तकनीक हमारे जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। हमें तकनीक में रुचि भी लेनी चाहिए लेकिन इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तकनीक हमारे समय को चोरी कर लेती है, हमें इसे रोकना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से दो काम करने के लिए कहा, पहला हर दिन कुछ समय के लिए तकनीक से पूरी तरह से दूर रहे हैं। दूसरा घर में एक कमरा ऐसा तय करें जो तकनीक से दूर हो या उसमें आने वाला हर व्यक्ति मोबाइल आदि बाहर रख कर आए।

**अन्य भाषाएं सीखें**

प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपनी मातृ भाषा, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी कोई न कोई और भाषा भी सीखिए। एक भारत, श्रेष्ठ भारत के माध्यम से ऐसा किया जात रहा है, जिसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। एक प्रांत का बच्चा दूसरे प्रांत की भाषा बोल रहा है और देश एकता के सूत्र में जुड़ रहा है।

**घूमने के लिए पूर्वोत्तर जरूर जाएं**

प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर की छात्रा द्वारा अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूछे जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के विद्यार्थियों को घूमने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के भ्रमण लिए जरूर जाएं।

## पुरस्कार विजेता

संघर्ष वाले क्षेत्रों में रिपोर्टिंग (प्रिंट/डिजिटल)
● **दीपांकर घोष**
द इंडियन एक्सप्रेस

संघर्ष वाले क्षेत्रों में रिपोर्टिंग (ब्राडकास्ट)
● **धीरज कुमार, दिवंगत अच्युता नंदा साहू और मोरमुकुट शर्मा**
दूरदर्शन न्यूज

हिंदी में रिपोर्टिंग (प्रिंट/डिजिटल)
● **दिति बाजपेयी**
गांव कनेक्शन

हिंदी में रिपोर्टिंग (ब्राडकास्ट)
● **शादाब अहमद मोईजी**
द क्विंट

क्षेत्रीय भाषाओं में रिपोर्टिंग (प्रिंट/डिजिटल)
● **अन्वेषा बनर्जी**
एई समय

क्षेत्रीय भाषाओं में रिपोर्टिंग (ब्राडकास्ट)
● **सनीष टी के**
मनोरमा न्यूज

पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रिपोर्टिंग (प्रिंट/डिजिटल)
मृदुला चारी और विनीता गोविंदराजन
स्क्रॉल. इन

पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रिपोर्टिंग (ब्राडकास्ट)
● **सर्वप्रिया सांगवान**
बीबीसी इंडिया

अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल (प्रिंट/डिजिटल)
● **हिना रोहतकी**
द इंडियन एक्सप्रेस

अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल (ब्राडकास्ट)
● **अस्मिता नंदी और मेघनाद बोस**
द क्विंट

कारोबार और अर्थशास्त्र की पत्रकारिता (प्रिंट/डिजिटल)
● **निधि वर्मा**
थामसन रॉयटर्स

राजनीति व सरकार (प्रिंट/डिजिटल)
● **सुशांत कुमार सिंह**
द इंडियन एक्सप्रेस

राजनीति व सरकार (ब्राडकास्ट)
● **मोमिता सेन और शिखा**
इंडिया टुडे टीवी

खोजी पत्रकारिता (प्रिंट/डिजिटल)
● **टीना ठक्कर**
मिंट

खोजी पत्रकारिता (ब्राडकास्ट)
● **पूनम अग्रवाल**
द क्विंट

किताबें (नॉन फिक्शन) (प्रिंट)
● **ज्ञान प्रकाश**

नागरिक पत्रकारिता (प्रिंट/डिजिटल)
● **अनिरुद्धा घोषाल**
न्यूज 18

फोटो पत्रकारिता (प्रिंट/डिजिटल)
● **सी सुरेश कुमार**
टाइम्स ऑफ इंडिया

## मध्य प्रदेश में भाजपा कलेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगी

राजगढ़/भोपाल (मध्य प्रदेश),20 जनवरी (भाषा)।

राजगढ़ की महिला कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा द्वारा राजगढ़ जिले के ब्यावरा में संशोधित नागिरकता कानून (सीएए) के समर्थन में रैली निकालने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर चांटे मारने के एक दिन बाद भाजपा ने सोमवार को कहा कि वह 22 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ राजगढ़ में प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने कहा कि वह इस मामले में राजगढ़ कलेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराएगी। कलेक्टर निधि एवं डिप्टी कलेक्टर प्रिया ने राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सीएए के समर्थन में धारा 144 लगाने के बाद भी रैली निकालने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी तादाद में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामने कथित रूप से रविवार को चांटे मारे थे।

## जनता ने नकारा, अब फैला रहे झूठ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर जारी देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नकारे गए लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन लोगों का भरोसा डिगा नहीं है। उनका झूठ चलता रहेगा और हम भी चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता द्वारा नकारे जा चुके लोग अब झूठ और भ्रम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की तीखी निंदा की। भाजपा के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नड्डा को अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए और सक्रियता की आवश्यकता है, जन-जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। नकारे गए लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन लोगों का भरोसा डिगा नहीं है। उनका झूठ चलता रहेगा और हम भी चलते रहेंगे। चुनावी राजनीति में जनता ने जिन्हें नकार दिया, उनके पास अब बहुत कम शस्त्र बचे हैं, इनमें है : झूठ फैलाना, बार-बार झूठ फैलाना। यह हम लगातार देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जनता ही हमारी ताकत है। उसी शक्ति ने पहली बार किसी गैरकांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और दोबारा उससे भी मजबूत बहुमत देकर चुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल के लोगों को लगता होगा कि हिमाचल का एक बेटा आज भाजपा का अध्यक्ष बना है।

## राम मंदिर निर्माण का जिम्मा न मिला तो अदालत जाएगा रामालय ट्रस्ट

प्रयागराज, 20 जनवरी (भाषा)।

ज्योतिष पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और अयोध्या श्रीरामजन्मभूमि रामालय न्यास के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार यदि राजनीतिक या किसी अन्य कारणों से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य रामालय न्यास को नहीं सौंपती है, तो यह न्यास अदालत का रुख करेगा।यहां माघ मेले में शंकराचार्य के शिविर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अयोध्या का 1993 का एक्ट कहता है कि 1993 के बाद बने ट्रस्ट को यह जमीन दी जाएगी। इससे साफ है कि रामजन्मभूमि न्यास को यह जमीन नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह ट्रस्ट 1986 में पंजीकृत हुआ है।

## स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर जांच उपकरण लगाने को कहा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, और कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ताकि चीन से आने वाली उड़ानों के यात्रियों की जांच की जा सके की कहीं वे विषाणु से संक्रमित तो नहीं हैं।

## चीन में विषाणु का संक्रमण बढ़ा, अन्य देश भी चपेट में

**पेज 1 का बाकी**

सामने आने की पुष्टि हुई है।' विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि एक जानवर सबसे संभावित प्राथमिक स्रोत लगता है और इससे बेहद निकट संपर्क से मनुष्य से मनुष्य के बीच सीमित संचरण संभव है।

# पहाड़ों में बर्फीले तूफान और मैदानों में तेज ठंड की चेतावनी जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,20 जनवरी

भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों सहित पहाड़ों में अगले दो दिनों में बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है ,वहीं मैदानी इलाकों में खतरनाक ठंड को लेकर भी चेतावनी जारी की है। इस बीच राजस्थान, पंजाब सहित तमाम इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पूर्वोत्तर के राज्यों सहित दिल्ली व आसपास के मैदानी इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं।

भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों में एक बार फिर 22 तक बर्फबारी होने का अंदेशा जताया है। किन्नौर में बर्फीले तूफान को लेकर आरेंज चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में सोमवार भी बर्फीली हवाएं चलीं। पहाड़ों में हुई ताजा व भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के बाद से तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे बना हुआ है।

मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दक्षिणी कश्मीर स्थित काजीगुंड में पारा शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पर्यटन स्थल पहलगाम का तापमान शून्य से नौ डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि उत्तर कश्मीर के स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में तापमान शून्य से 12.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक घाटी में अगले दो दिनों में छिटपुट से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

दूसरी ओर दिल्ली में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक कोहरे से राहत नहीं। सोमवार को कोहरे के कारण दृश्यता गिरकर 200 मीटर रह गई। वहीं राजस्थान के चुरू में कोहरे के कारण दृश्यता केवल 50 मीटर रह गई थी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सात डिग्री व अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान के अनेक हिस्सों में सर्दी का कहर बरकरार है, यहां कई स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात सीकर में न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में रात का न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में सोमवार को भी हल्के बादलों के बीच धूप खिली।

पंजाब व हरियाणा के अधिकतर इलाकों में शीतलहर का प्रकोप सोमवार को भी जारी रहा। हरियाणा का नारनौल दोनों राज्यों में सबसे ठंडा क्षेत्र रहा जहां न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

# फर्जी खबरों के खतरे से आगाह किया राष्ट्रपति ने

**पेज 1 का बाकी**

तथा प्रमाणिकता को लेकर पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जो चीज वांछित है, वह है वस्तुनिष्ठता जिससे पत्रकारों को तथ्यों को खुले आलोक में और तस्वीर के सभी पहलुओं को देखने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि तथ्यों के प्रति निष्ठा, सत्य का अन्वेषण, अपने चश्मे को साफ रखना और दृष्टि की तीक्ष्णता अत्यावश्यक है।

मौजूदा पत्रकारिता के संदर्भ में राष्ट्रपति ने कहा कि 'इन दिनों' पत्रकार एक साथ कई भूमिकाओं में हैं और वे अक्सर एक ही समय -जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश- की भूमिका संभाल लेते हैं। उन्होंने कहा, 'उनकी बहुमुखी प्रतिभा प्रशंसनीय है। लेकिन यह मुझे यह पूछने के लिए प्रेरित करती है कि क्या इस तरह की व्यापक शक्ति के इस्तेमाल के साथ वास्तविक जवाबदेही होती है?'

राष्ट्रपति ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करने वाली बड़ी खबरों की अनदेखी की जाती है और उनका स्थान तुच्छ बातों ने ले लिया है। कुछ तो समाचार के बहाने मनोरंजन परोस रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि फिर भी आने वाले समय में गुणवत्तापरक पत्रकारिता ही टिकेगी।

'द इंडियन एक्सप्रेस' के संस्थापक रामनाथ गोयनका, जिनकी स्मृति 2006 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई, को कोविंद ने ऐसा अद्वितीय मीडिया व्यक्तित्व करार दिया जिन्होंने देश को स्वतंत्रता से पूर्व और उसके बाद भी प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि गोयनका के सारे प्रयासों की कसौटी साहसिक पत्रकारिता के प्रति उनकी अटल निष्ठा थी। वे एक ऐसे पत्रकार थे जिनकी बिना किसी भय या पक्षपात के और सर्वोपरि हर हाल में सत्य उजागर करने के बुनियादी मूल्यों के प्रति अटल प्रतिबद्धता थी।

एक्सप्रेस समूह के अध्यक्ष विवेक गोयनका ने अपने स्वागत भाषण में राष्ट्रपति कोविंद के 40 साल के सार्वजनिक जीवन की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उन सभी संस्थानों से होकर गुजरती है जो हमारे लोकतंत्र के प्राणवायु हैं- कैंपस से कचहरी, विधायिका, राजभवन और अब राष्ट्रपति भवन। इस शाम हम जिन मूल्यों का उत्सव मना रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम इससे बेहतर मुख्य अतिथि नहीं ला सकते थे।

पुरस्कार के 14वें साल में होने का जिक्र करते हुए गोयनका ने कहा, 'यह शाम उस अचल तथ्य की साक्षी है कि तमाम शोरशराबे के बावजूद अच्छी पत्रकारिता जीवित है, अच्छी पत्रकारिता अच्छे हाल में है। और कौन सी चीज इस तथ्य को व्याख्यायित कर सकती है कि इस साल हमारे पास रेकार्ड संख्या में 920 प्रविष्टियां आईं- जांचने परखने के बाद संस्थानों या व्यक्तियों ने इसे अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य के नमूने के तौर पर भेजा था।'

विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, आपकी कहानियां पूरी निष्पक्षता व संवेदना के साथ सवाल पूछती हैं, वे जवाब के लिए हां या ना पर नहीं बल्कि इस हां या ना के बीच क्या छिपा है, निरंतर उसकी तलाश करती हैं। वे इस कहानी में व्याप्त जटिलताओं का सामना करने के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहानी उसके पक्ष में या उसके खिलाफ तक सिमट के न रह जाए।

एक्सप्रेस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अनंत गोयनका ने कोविंद को छायाचित्र भेंट किया जिसे द इंडियन एक्सप्रेस के चित्रकार सुरजीत डे ने बनाया था।

इस समारोह में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, जद (एकी) नेता केसी त्यागी, भाकपा नेता डी राजा, प्रख्यात विधिवेत्ता फली नरीमन, एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन सचिव सुनील आंबेडकर, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी शशि शेखर वेम्पति और प्रेस इंन्फार्मेशन ब्यूरो के मुख्य महानिदेशक कुलदीप सिंह धतवालिया मौजूद थे।

'द इंडियन एक्सप्रेस' के मुख्य संपादक राजकमल झा ने अपने संबोधन में कहा कि देश में जारी विरोध प्रदर्शन एक नए पब्लिक स्पेस का निर्माण कर कर रहे हैं जो पत्रकारिता के लिए मूल्यवान है। झा ने तू-तू मैं-मैं (फैज की कविता) का जिक्र करते कहा कि आज इसमें वो विचार गायब हो गया है जिसमें शायर ने मैं को तुम से जोड़ा था। अच्छी पत्रकारिता मैं और तुम दोनों को सुनती है। यह किसी पहचान पत्र की मांग नहीं करती, इसे बस एक पेंसिल और नोटपैड चाहिए। साथ ही आपके दोनों पैर जमीन पर इतनी दृढ़ता से जमे हों कि कोई भी कितना जोर लगाए लेकिन अपनी तरफ नहीं खींच पाए।

रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा संचालित यह अवार्ड उत्कृष्ट पत्रकारिता का उत्सव है, यह साहस और प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए पूरे देश के पत्रकारों के उत्कृष्ट योगदान को सामने लाता है।

इस बार की विजेता प्रविष्टियां गांवों में बच्चों के यौन उत्पीड़न से लेकर गांवों से बाल तस्करी और नदी पर रखे एक 20 फुट के पाइप लाइन से गुजरकर स्कूल जाने वाले बच्चों, यूरेनियम खदानें किस तरह स्थानीय समुदायों पर असर डाल रही हैं से लेकर फर्जी चिकित्सकीय प्रत्यारोपण जैसे विविध विषयों को समेटे हुए थीं।

## भाजपा के अध्यक्ष बने नड्डा

**पेज 1 का बाकी**

चलता रहे और अपनी जिम्मेदारी निभाता रहे तथा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करे। यह हमने नड्डा जी को करते देखा है।

मोदी ने कहा कि नड्डा जी पर हिमाचल से ज्यादा हक बिहार के लोगों का हैं। उनका बिहार में लंबा जीवन बीता है। हिमाचल गर्व कर सकता है कि अटल जी भी उन्हीं के थे और नड्डा जी भी उन्हीं के हैं। हम यह कोशिश करें कि नड्डा यशस्वी हों और सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करें।

इस मौके पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हृदयपूर्वक बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में भाजपा निरंतर सशक्त एवं और अधिक व्यापक होगी। नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नड्डा इकलौते उम्मीदवार बचे और उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।

पिछले साल जून में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए नड्डा अमित शाह की जगह पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। मौजूदा समय में गृह मंत्री का उत्तरदायित्व निभा रहे शाह ने साढ़े पांच वर्षों तक भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई और उनके अध्यक्ष रहते 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और पूरे देश में पार्टी का विस्तार हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी तथा कई मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं ने सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया के दौरान नड्डा के नाम का प्रस्ताव किया।

रक्षा मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक नेता के तौर पर नड्डा के निरंतर के आगे बढ़ने कामना करते हुए कहा कि वे एक प्रेरक कार्यकर्ता रहे हैं।

## मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर दोषी करार

**पेज 1 का बाकी**

विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी (बिपीपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गया था। अदालत ने इस मामले में दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा पर दलीलों को सुनने के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है। अदालत ने 30 मार्च, 2019 को ठाकुर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और नाबालिगों के यौन शोषण का आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए थे। अदालत ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक धमकी समेत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया था। ठाकुर व उसके आश्रय गृह के कर्मचारियों के साथ ही बिहार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, ड्यूटी में लापरवाही और लड़कियों के उत्पीड़न की जानकारी देने में विफल रहने के आरोप तय किए गए थे। इन आरोपों में अधिकारियों के प्राधिकार में रहने के दौरान बच्चों पर क्रूरता के आरोप भी शामिल थे जो किशोर न्याय कानून के तहत दंडनीय है। अदालत ने सीबीआइ के वकील और मामले के 20 आरोपियों की अंतिम दलीलों के बाद 30 सितंबर, 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में बिहार की समाज कल्याण मंत्री और तत्कालीन जद (एकी) नेता मंजू वर्मा को भी निंदा शिकार होना पड़ा था जब उनके पति के ठाकुर के साथ संबंध होने के आरोप सामने आए थे। मंजू वर्मा ने आठ अगस्त, 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को सात फरवरी, 2019 को बिहार के मुजफ्फरपुर की स्थानीय अदालत से दिल्ली के साकेत जिला अदालत परिसर की पॉक्सो अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा 26 मई, 2018 को बिहार सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बाद सामने आया था। रिपोर्ट में किसी आश्रय गृह में पहली बार नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का खुलासा हुआ ।

## दरअसल

# सीएए पर दिल्ली में भाजपा अकाली दल गठबंधन टूटा

**पेज 1 का बाकी**

दल की पुरजोर राय है कि मुसलमानों को सीएए से अलग नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के भी पुरजोर खिलाफ हैं।

दरअसल, भाजपा ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा के अपने चुनावी साथियों का एलान किया। इनमें शिरोमणि अकाली दल का नाम शामिल नहीं किया गया। भाजपा ने दो सीट जनता दल (एकी) और एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) को देने का फैसला किया है। भाजपा का शिरोमणि अकाली दल से दिल्ली में लंबे समय से गठबंधन रहा है जो कि इस बार टूट गया है। नए गठबंधन के तहत भाजपा ने संगम विहार और बुराड़ी सीट जनता दल (एकी) को दी है जबकि सीमापुरी की सीट लोजपा को दी गई है।

हरियाणा विधानसभा के चुनाव के समय भी दोनों दलों के बीच मतभेद सामने आए थे। वहां अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। उस समय अकाली दल ने बयान जारी करके भाजपा पर सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अकाली ने यह भी कहा था कि यह काम गठबंधन के धर्म के विरुद्ध है। राजधानी में करीब छह विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सिख मतदाता बहुत ही निर्णायक भूमिका में हैं जबकि उनकी मौजूदगी शहर के लगभग हर हिस्से में है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन टूटने का फायदा आम आदमी पार्टी व कांग्रेस को मिल सकता है।

## शोपियां में हिज्बुल के तीन आतंकी ढेर

**पेज 1 का बाकी**

में खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल ने 2020 में सफल शुरुआत की है। सिंह ने कहा कि निलंबित किए जा चुके पुलिस उपाधीक्षक देविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों द्वारा दिए गए सुरागों के आधार पर सुरक्षा बलों ने गतिविधियां तेज कर दीं और यह अभियान सफल रहा।

डीजीपी ने कहा कि वानी हिज्बुल मुजाहिदीन के शीर्ष दर्जे के कमांडरों में शामिल था। वह चार नागरिकों और चार पुलिसकर्मियों की हत्या समेत 19 मामलों में वांछित था। उन्होंने कहा कि आदिल भी सितंबर 2018 में पुलिस बल से भाग जाने के बाद इनमें से कुछ हत्याओं में शामिल था। सिंह ने कहा कि आतंकियों के इस समूह के खात्मे से शोपियां के लोगों के दिमाग से डर निकलेगा।

www.readwhere.com

# हथगोला फटने से एक की मौत, एक घायल

खरगोन (मप्र), 20 जनवरी (भाषा)।

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के बलवाड़ा के समीप फायरिंग रेंज से बीने हुए हथगोले के फटने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई तथा 25 वर्षीय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

बड़वाह के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि बलवाड़ा के समीप एक खेत में हथगोला फट जाने से 13 वर्षीय मोहित भील की मृत्यु हो गई तथा 25 वर्षीय गुड्डा घायल हो गया। घायल युवक को गंभीर हालत में इंदौर के सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि बड़वाह के समीप जंगलों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) की फायरिंग रेंज है, जहां वे अभ्यास करते हैं। अभ्यास के बाद कारतूस के खोखे बच्चे बीन कर ले जाते हैं और कबाड़ी को बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को इसी रेंज से दोनों हथगोले लेकर आए थे और खेलने के दौरान वह खेत में फट गया।

---

**हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: L74899DL1970GOI005276; जीएसटी नं: 07AAACH0632A1ZF
पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, कोर 7ए, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 टेलीफोन नं: 011-24648420, 24648195
फैक्स: 91-(011) 24625308 वेबसाईट: www.hudco.org

**निविदा सूचना**

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बॉन्डधारकों को जारी किये गये बॉन्ड प्रमाणपत्र गुम/खो गये हैं और बॉन्डधारक ने डुप्लीकेट बॉन्ड प्रमाणपत्र(ओं) के लिए आवेदन किया है :–

| क्र. सं. | फोलियो सं. | बॉन्ड धारक का नाम | प्रमाण-पत्र संख्या | संख्या विशिष्ट | बॉन्ड्स की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एचयूपी0400088 | प्रज्ञा गोयल नॉमिनी: एलयूवी गोयल यू/जो/मोहित गोयल | 400088 | 24197-24717 | 521 |
| 2 | एचयूएम0600520 | रोजिना फिरोज हजिअनी, फिरोज बाबुभाई हजिअनी नॉमिनी: फलिश फिरोज हजिअनी | 600520 | 252379-253378 | 1000 |

उपरोक्त बॉन्ड्स के सम्बन्ध में दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने दावे की लिखित सूचना कंपनी के उपरोक्त वर्णित पते पर इस सूचना की तिथि से 15 दिन के अन्दर दे सकता है। कोई भी दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, हडको बिना आगामी सूचना दिए, डुप्लीकेट बॉन्ड प्रमाण-पत्र(ओं) को जारी करने की कार्रवाई करेगा और सूचना अवधि समाप्त होने के बाद कंपनी न तो किसी दावे पर विचार करेगी और न ही किसी को हुए कोई भी नुकसान अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार होगी।

स्थान – नई दिल्ली
तिथि – 21.01.2020

कार्यकारी निदेशक
(संसाधन जुटाव)

---

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**
**Central Bank of India**
1911 से आपके लिए "केंबिया" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**शाखा कार्यालय: बक्करवाला, नई दिल्ली**

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)**
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बक्करवाला, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **09/10/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्रीमती पार्वती देवी एवं प्रेम सिंह,** प्लॉट नं.4, तीसरा तल, पॉकेट–10, सेक्टर–20, रोहिणी, दिल्ली–110085, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.20,38,466/– (बीस लाख अड़तीस हजार चार सौ छियासठ रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 15 जनवरी 2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.20,38,466/– (बीस लाख अड़तीस हजार चार सौ छियासठ रूपये मात्र) और उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बक्करवाला, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

**ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

पंजीकरण उप जिला एसआर **VI डी** रोहिणी के भीतर **फ्लैट नं. तीसरा तल, प्लॉट नं.4, सर्वे नं. में पॉकेट–10, सेक्टर–20, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो घिरा है:**

उत्तर: सर्विस लेन — दक्षिण: प्रवेश
पूर्व: सम्पत्ति सं.5 — पश्चिम: सम्पत्ति सं.3

**स्थान: नई दिल्ली** — **प्राधिकृत अधिकारी**
**तिथि: 15.01.2020** — **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

---

**स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया**
एससीओ 119–120, सैक्टर 17–बी, चंडीगढ़–160 017
टेली: 0172–5075768

**कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति के लिए)
[प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 8(1) को देखें]

चूंकि, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1989 के 39 के अंतर्गत स्थापित कारपोरेशन तथा जिसका मुख्य कार्यालय 'सिडबी टॉवर', 15 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ स्थित एससीओ 119–120, प्रथम तल, सैक्टर 17–बी, चंडीगढ़ के अधीन विशेषीकृत परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा (एसएआरएमसी) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की 54 (अधिनियम) और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर्जदार **एस.पी.एम. आटोमोटिव कम्पोनेंट्स प्रा. लि.** को नोटिस में वर्णित एकीकृत **12,59,78,046/–** रु. (बारह करोड़ उनसठ लाख अठहत्तर हजार नौ सौ छियालीस रुपये केवल) जो 10 अक्तूबर, 2019 को है के साथ 11 अक्तूबर, 2019 से ब्याज की अदा करने के लिए आमंत्रित करते हुए 17 अक्तूबर, 2019 को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **15 जनवरी, 2020** को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर वर्णित सम्पत्ति के साथ लेन–देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन राशि एकीकृत **12,59,78,046** रु. (केवल बारह करोड़ उनसठ लाख अठहत्तर हजार नौ सौ छियालीस रुपये) जो 10 अक्तूबर, 2019 को है तथा उस पर ब्याज के लिए सिडबी के प्रभार के अधीन होगा।

**अचल संपत्ति का विवरण**

श्री विरेन्द्र कपानी सुपुत्र श्री श्याम सुंदर कपानी [रेहनकर्ता और गारंटर] द्वारा कब्जे व स्वामित्व वाली रकबा 250 वर्ग यार्ड पर टैरेस अधिकार के साथ टैरेस पर एक सर्वेंट रूम के साथ एक कवर कार पार्किंग स्पेस (कथकथित संपत्ति के धरातल के पीछे में) के साथ फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति सं. ई–124, पूर्ण दूसरा तल भाग, ब्लॉक–ई, सेटर कैलाश, भाग–II, नई दिल्ली के सभी अनिवार्य अंग, सीमाबद्ध: पूर्व: प्लॉट ई–122 ए, पश्चिम: सड़क, उत्तर: सड़क, दक्षिण: सर्विस लेन।

दिनांक: 15 जनवरी, 2020 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: नई दिल्ली — **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**

**शुद्धिपत्र**

सभी, जो कोई भी इससे संबंध रखता हो, ज्ञात रहे कि श्री विरेन्द्र कपानी सुपुत्र श्री श्याम सुंदर कपानी [रेहनकर्ता और गारंटर] द्वारा कब्जे व स्वामित्व वाली रकबा 250 वर्ग यार्ड पर टैरेस अधिकार के साथ टैरेस पर एक सर्वेंट रूम के साथ एक कवर कार पार्किंग स्पेस (कथकथित संपत्ति के धरातल के पीछे में) के साथ धारक संपत्ति सं. ई–124, पूर्ण दूसरा तल भाग, ब्लॉक–ई, सेटर कैलाश, भाग–II, नई दिल्ली के सभी अनिवार्य अंग, पूर्व में प्लॉट ई–122 ए, पश्चिम में सड़क, उत्तर में सड़क और दक्षिण में सर्विस लेन द्वारा सीमाबद्ध अचल संपत्ति के संबंध में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एससीओ 119–120, सैक्टर 17–बी, चंडीगढ़–160017 द्वारा जारी प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम–8(1) के अधीन "कब्जा सूचना" दिनांक 15.01.2020 जिसे कथित संपत्ति के दरवाजे पर भी 15.01.2020 को लगाया गया था। कर्जदार कंपनी का नाम अनजाने में टाईपिंग की त्रुटि के कारण "एस.पी.एम. आटोमोटिव कम्पोनेंट्स प्रा. लि." वर्णित किया गया था, जबकि कंपनी का सही नाम "कपानी रिजोटेंस प्रा. लि." है। यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है और सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है कि कब्जा वर्णित कब्जा सूचना में कंपनी का नाम "एस.पी.एम. आटोमोटिव कम्पोनेंट्स प्रा. लि." की बजाए "कपानी रिजोटेंस प्रा. लि." पढ़ा जाए।

दिनांक: 16 जनवरी, 2020 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: नई दिल्ली — **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**
एससीओ 110–120, सैक्टर 17–बी, चंडीगढ़

---

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**
**Central Bank of India**
1911 से आपके लिए "केंबिया" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**शाखा कार्यालय: बाबर लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001**

**कब्जा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए)**
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **03/10/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्री आलोक गोयल पुत्र श्री जय प्रकाश गुप्ता एवं गारंटर,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.3,21,436.03 (तीन लाख इक्कीस हजार चार सौ छत्तीस रूपये एवं तीन पैसे मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर और ब्याज यानि **03.10.2019** से चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 15 जनवरी 2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.3,21,436.03 (तीन लाख इक्कीस हजार चार सौ छत्तीस रूपये एवं तीन पैसे मात्र) और उस पर 03.10.2019 से ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

**ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**

**चल सम्पत्ति का विवरण**

**वाहन का दृष्टिबंधक – टोयोटा–कोरोला आल्टिस एचओ–डीजल पंजीकृत नं. DL3CBD6634 चेसिस नं. MBJ53NEE004012268 एवं इंजन नं. 1ND1269108.**

**तिथि: 15/01/2020** — **प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थान: नई दिल्ली** — **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

---

**Bank of India**
Relationship beyond banking

**बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, "स्टार हाऊस" एच–2, क्नॉट सर्कस, मिडल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाज़ा हॉल के पास, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–28844099**

**अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

1 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स प्रोमिनेंट मैटल प्रा. लि., निदेशक व गारंटर : श्री प्रेम चंद गुप्ता, श्रीमति मधु लता गुप्ता तथा अन्य गारंटर: मैसर्स इनस्टाइल कम्प्युटरस प्रा. लि. से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 1627.77 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 29.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 720.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 72.00 लाख होगी।**

**संपत्ति का विवरण:– (औद्योगिक) ब्लॉक–एच, प्लॉट नं. 180, सैक्टर–63, नोएडा, जिला–गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301 जो कि मैसर्स इनस्टाइल कम्प्युटरस प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल – 1000 वर्ग मीटर**

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।

दिनांक : 21-01-2020 — श्री द्वारका प्रसाद, प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — फोन–011–22421514, 22753401

**नियम और शर्तें**

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 28.02.2020 या उससे पहले शाम 5 बजे तक।
3) संपत्ति का निरीक्षण करने की तिथि और समय – **21.02.2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक** उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए।
4) नीलामी की तिथि और समय – **29.02.2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक** असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो–एक्सटेंशन के साथ।
5) नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले वृद्धि मूल्य जैसा कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित है, पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएंगे।
6) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
7) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्बेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो। अधिकृत कार्यालय/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के दायों/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
8) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी/बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और/या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
9) उपर्युक्त संपत्ति ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य, पहले वृद्धि मूल्य जो कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित हैं, से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई–नीलामी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी के साथ जो कि बोली राशि का 10% है, उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए तालिका में उल्लिखित खातों के नाम के साथ 28.02.2020 को या उससे पहले उक्त पोर्टल पर शाम 5 बजे तक जमा करना होगा।
10) उच्चतम/सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिक्री समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने/ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और यदि वह एकमात्र बोलीदाता है, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा, और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
11) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि बोली राशि का 10% है, को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12) बोली/खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
14) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली अथवा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छूट देने का अधिकार रखता है।
15) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को अग्रिम में 30 दिनों का नोटिस भी है।

---

**सिंडिकेट बैंक** SyndicateBank
7, सेठी भवन, राजेन्द्रा प्लेस, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली–110008
फोन : 011–25727717, फैक्स : 011–25752545

**प्रारूप–एम**

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)***
**[अधिनियम के तहत परिशिष्ट–क्ष, नियम 8(1)]***

जबकि, प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार तथा साथ ही सम्पत्ति/आश्वस्ति के स्वामी से कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 6,59,954.71/– (रुपये छः लाख उनसठ हजार नौ सौ चौवन एवं इकहत्तर पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 03.10.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

सम्पत्ति के स्वामी श्री फरीद अहमद पुत्र श्री अब्दुल वाहिद एवं अन्य द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 15 जनवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से सम्पत्ति के स्वामी और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन रु. 6,59,954.71/– और उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए सिंडीकेट बैंक, ईस्ट पटेल नगर शाखा के अभियोग का विषय होगा।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

अचल सम्पत्ति के स्वामी : स्वामी श्री फरीद अहमद पुत्र श्री अब्दुल वाहिद, मकान नं. टी–585, ब्लॉक–टी, गली नं. 16, ग्राम घोण्डा चौहान खांदर, गौतम पुरी, शाहदरा–दिल्ली।

तिथि : 15 जनवरी, 2020 — **अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली — **सिण्डीकेट बैंक**

---

**सिंडिकेट बैंक** SyndicateBank
7, सेठी भवन, राजेन्द्रा प्लेस, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली–110008
फोन : 011–25727717, फैक्स : 011–25752545

**प्रारूप–एम**

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)***
**[अधिनियम के तहत परिशिष्ट–IV, नियम 8(1)]***

जबकि, प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार तथा साथ ही सम्पत्ति/आश्वस्ति के स्वामी से कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 24,12,755.42/– (रुपये चौबीस लाख बारह हजार सात सौ पचपन एवं बयालीस पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 03.10.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

सम्पत्ति के स्वामी श्री राजकुमार पुत्र श्री सत प्रकाश एवं अन्य द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 15 जनवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से सम्पत्ति के स्वामी और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन रु. 24,12,755.42/– और उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए सिंडीकेट बैंक, ईस्ट पटेल नगर शाखा के अभियोग का विषय होगा।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

आवासीय कालोनी डीएलएफ, दिलशाद एक्स.– II, ग्राम ब्रहमपुरी (बाजपुरी) परगना, लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पर स्थित द्वितीय तल आवासीय फ्लैट (छत के अधिकार सहित) 3 मंजिला आवासीय प्लॉट सं. ए–22. सीमाएँ: उत्तर : सड़क, पूर्व: म.नं. ए–23, दक्षिण : म.नं. ए–41, पश्चिम: म.नं. ए–21

**तिथि: 15 जनवरी, 2020** — **अधिकृत प्राधिकारी**
**स्थान: नई दिल्ली** — **सिण्डीकेट बैंक**

---

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement

# JANUS CORPORATION LIMITED

**(Corporate Identification Number: U74999MH1998PLC117279)**

*Our Company was originally incorporated as a private limited company under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai dated November 30, 1998 with the name 'Passion Marketing Private Limited' Pursuant to approval of the shareholders at an extraordinary general meeting held on May 21, 2013, the name of our Company was changed to Janus Corporation Private Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai on May 29, 2013. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to approval of the shareholders at an extraordinary general meeting held on June 4, 2013 and consequently, the name of our Company was changed to Janus Corporation Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to public limited company was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai on June 17, 2013. For further details of our Company, see "General Information" and "History and Certain Other Corporate Matters' on pages 33 and 71, respectively.*

**Registered Office:** D-203, Crystal Plaza, Opp. Infinity Mall, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400053, Maharashtra, India
**Tel. No.:** +91 22 6236 3222 | **Email:** www.januscorp.co.in | **Website:** info@januscorp.co.in
**Contact Person:** CS Surbhi, Company Secretary and Compliance Officer

**Promoter of The Company: Lemon Management Consultancy Private Limited And Sachin B. Puri**

## THE ISSUE

**PUBLIC ISSUE OF 15,99,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH OF JANUS CORPORATION LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 50.00 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹40.00 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹799.50 LAKHS ("THE ISSUE"). OF THE ISSUE, 81,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹40.50 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 15,18,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹50.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹759.00 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.86% AND 26.45%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 141.**

**ISSUE** — **OPENS ON MONDAY, JANUARY 27, 2020** — **CLOSES ON THURSDAY, JANUARY 30, 2020**

**FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 50 PER EQUITY SHARE**

**THE ISSUE PRICE OF ₹ 50.00 IS 5 TIMES OF THE FACE VALUE**

**MINIMUM APPLICATION SIZE OF 3,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 3,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.**

| ASBA* | Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of It!!! | *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. | For further details check section on ASBA below. No cheques will be accepted. |
|---|---|---|---|

UPI — **UPI-Now available in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs.**

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 149 of the Prospectus. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchange in the General Information Document. ASBA forms can be downloaded from the website of BSE and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in

The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

**PROPOSED LISTING:** The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated February 5, 2019 from BSE Limited ("BSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of BSE beginning on page 134 of the Prospectus. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI:** Since the Iss

# वकीलों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ सीएए का विरोध किया

मुंबई, 20 जनवरी (भाषा)।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में वकीलों के एक समूह ने सोमवार को बम्बई हाई कोर्ट के द्वार के बाहर भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। वरिष्ठ वकील नवरोज सीरवई, गायत्री सिंह और मिहिर देसाई सहित 50 से अधिक वकीलों ने एक साथ प्रस्तावना पढ़ी और बाद में कहा कि कोई भी इस देश और इसके नागरिकों को धर्म के आधार पर बांट नहीं सकता। वकीलों ने कहा कि सीएए में इस्लाम को छोड़कर छह धार्मिक समुदायों के शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जो संवैधानिक रूप से गलत है।

# शाहीन बाग में यातायात बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले करीब एक महीने से शाहीन बाग में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और इस वजह से कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग का हिस्सा बंद है। इस मार्ग पर सुचारु तरीके से यातायात बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 जनवरी को इस मार्ग पर हो रही यातायात संबंधी बाधाओं को लेकर तत्काल फैसला सुनाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि वह सीधे तौर पर प्रदर्शन से निपटने, प्रदर्शन स्थल या यातायात को लेकर कोई निर्देश नहीं देगा क्योंकि इससे निपटना वास्तविक स्थिति और पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है।

वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करके शाहीन बाग में स्थिति के निरीक्षण का आग्रह किया है। साहनी ने याचिका में कहा है कि शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन ने कई अन्य जगहों पर भी इसी तरह के प्रदर्शनों को शुरू करने की प्रेरणा दी है और इसे जारी रहने देना खराब चलन पैदा करना होगा।

याचिका में कहा गया है कि कालिंदी कुंज मार्ग काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह दिल्ली को हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा से जोड़ता है। इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है, 'यह मामला काफी संवेदनशील है क्योंकि इस क्षेत्र में प्रदर्शन की वजह से मजबूरी में या बंद करने के अलावा कोई चारा न देखकर कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।'

# गोवा : नाविक का शव लाने की कोशिशें जारी

पणजी, 20 जनवरी (भाषा)।

गोवा के प्रवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सवाईकर ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार उस नाविक का शव वापस लाने के सभी प्रयास कर रही है, जिसकी पिछले महीने नाइजीरिया के तट के पास जलदस्युओं द्वारा अपहरण किए जाने के बाद उनकी कैद में मौत हो गई थी।

ब्रिटो डिसिल्वा उस एमवी ड्यूक के चालक दल के 20 सदस्यों में शामिल थे, जिनका जलदस्युओं ने 15 दिसंबर को अपहरण कर लिया था। नाइजीरिया के अबूजा में स्थित भारतीय उच्चायोग ने रविवार को एक ट्वीट में सूचित किया कि अपहृत नाविकों में से 19 शनिवार को रिहा हो गए। हालांकि एक व्यक्ति की कैद में प्रतिकूल परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सवाईकर ने सोमवार को कहा, 'नाविक का शव प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। हम नाविक का शव प्राप्त करने के लिए राजनयिक तरीकों से प्रयास कर रहे हैं।' इस बीच 'गोवा सीमैन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष डिक्सन वाज ने कहा कि डिसिल्वा के परिजन को भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनका शव यहां कब लाया जाएगा।

वाज ने दावा किया, 'ब्रिटो डिसिल्वा की मौत 23 दिसंबर को हुई थी जबकि उनके परिवार के सदस्यों को इसके बारे में रविवार को बताया गया।

---

## भारत सीट्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
फोन: +91 9843339870-74
फैक्स: 0124-2341188
ई-मेल: seats@bharatseats.net
सीआईएन: L34300DL1986PLC023540
वेबसाईट: www.bharatseats.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार 27 जनवरी 2020 को आयोजित की जायगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

उपरोक्त जानकारी वेबसाईट www.bharatseats.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

भारत सीट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
स्थान: गुरुग्राम — रीतू बजाज
तिथि: 20 जनवरी, 2020 — कंपनी सचिव

---

## COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Rajbinder Kaur JMIC Bathinda
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBBT03-003636-2017
NEXT DATE: 28-02-2020
Aggarwal Toughened And Safety Glass
Vs
Mota Brothers
Publication Issued To: Dinesh Gupta; Prop. Of Motta Brothers, New Motor Market, Pathankot Road, Dharamshala Himachal Pardesh
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 28-02-2020 at 10.00 a.m. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?low=district_notice&district=Bathinda
dated, this day of 16-12-2019
JMIC BATHINDA

---

## SBI

नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, मेन बिल्डिंग, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614.

### प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग उपकरणों(एंडपॉइंट्स) की आपूर्ति, संस्थापन, कार्य-आरंभ, रखरखाव तथा रेट कॉन्ट्रैक्ट पर वॉरण्टी हेतु एक प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया है. कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर **'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज'** देखें

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 21/01/2020
हस्ताक्षर/-
उप महाप्रबंधक
(नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट)

---

## पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...the name you can BANK upon!

जीएडी विभाग मंडल कार्यालय: मध्य दिल्ली, चौथा तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

अपरिहार्य परिस्थितियों और परिचालन सीमाओं के कारण, **हमारी शाखा कार्यालय जीटीआईबी कॉलेज, नई दिल्ली का विलय शाखा : सुभाष नगर, नई दिल्ली में दिनांक 24.02.2020 (सम्मावित)** से करने का निर्णय लिया गया है। शाखा कार्यालय जीटीआईबी कॉलेज के सभी ग्राहकों को यह जानकारी दी जाती है कि सभी बैंक लेन-देन सुभाष नगर, नई दिल्ली शाखा से हमेशा की तरह किए जाएंगे। इस के कारण हुई असुविधा के लिए खेद है। किसी भी सहायता / पूछताछ के लिए श्री नीरमीत सैनी, शाखा प्रमुख, शाखा जीटीआईबी कॉलेज, नई दिल्ली मो. नं. 9899612018 और लैंडलाइन 011-25492610 से संपर्क कर सकते है।

---

## उजाला कॉमर्सियल्स लिमिटेड

CIN : L51909DL1985PLC021397
पंजीकृत कार्यालय : ए-6/343बी, 1ला तल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
E-mail id: csujala.commercial@gmail.com
Website: www.ujalacom.in,
Ph: 011-49879687

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की वित्त वर्ष 2019-20 की 6ठी बैठक गुरुवार, 30 जनवरी, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी मद पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

उक्त सूचना तथा वित्तीय परिणाम कम्पनी तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट क्रमशः अर्थात् www.ujalacom.in तथा www.msei.in के निवेशक संबंध खंड में देखी जा सकती है

उजाला कॉमर्सियल्स लिमिटेड के लिये
ह./-
स्थान : नई दिल्ली — पूर्ति गोयल
तिथि : 20.1.2020 — कम्पनी सचिव

---

## PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government, Power delegated to Regional Director, under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on 12th December, 2019 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, at the address B-2, Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:
**40, Bhagirthi Plot No. 13/1, Sector-9, Rohini, Delhi-110085**

For **Sarvpriya Prefab Private Limited Jyoti Jindal (Director)**
**DIN: 00159971 R/o 705, Sector-15, Part-II Gurgaon, Haryana-122001**
**Date: 19.01.2020**
**Place: DELHI**

---

## SBI भारतीय स्टेट बैंक

नेटवर्किंग व संचार विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेन्टर, मेन बिल्डिंग, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614.

### शुध्दीपत्र-3

भारतीय स्टेट बैंक के लिए इमर्सिव वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सॉल्यूशन की प्राप्ति हेतु आरएफपी सं. SBI/GITC/NW&C/19-20/670 दिनांक 06.12.2019 के संदर्भ में बैंक ने दिनांक 18.01.2020 को एक **शुद्धिपत्र-3** जारी किया है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट, **https://bank.sbi** पर **'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज'** देखें

स्थान: मुंबई
दिनांक: 21.01.2020
हस्ता/-
उप महाप्रबंधक (नेटवर्किंग व संचार विभाग)

---

## Form No. 5
## Debts Recovery Tribunal

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh and Uttaranchal)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

O.A. No. 1020/2019 Date : 06-01-2020
(Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

Original Application No. 1020/2019
ORIENTAL BANK OF COMMERCE .....Applicant Bank
Versus
Smt. Neerja Dixit ....Defendant
To,
Smt. Neerja Dixit (PAN No. AQDPD9554F)
W/o Shri Ashwani Dixit, R/o House No. AG-08, Gulmohar Greens, Mohan Nagar, Ghaziabad-201007 ....Defendants

In the above noted application, you are required to file reply in Paper form in two sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **14-02-2020 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal Lucknow

## Form No. 5
## Debts Recovery Tribunal

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh and Uttaranchal)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

O.A. No. 1266/2019 Date : 06-01-2020
(Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

Original Application No. 1266/2019
ORIENTAL BANK OF COMMERCE .....Applicant Bank
Versus
M/s Maharaja Agrasen Brick Field & Ors. ....Defendant
To,
1. M/s Maharaja Agrasen Brick Field Through its Proprietor Shri Ankur Mittal situated at Village Kairka, Distt. Baghpat, U.P.
2. Shri Ankur Mittal (PAN No. AWPPM7411E) S/o Shri Vinod Mittal R/o 1209, Prem Nagar, Loni, Ghaziabad - 201102 ....Defendants

In the above noted application, you are required to file reply in Paper form in two sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **14-02-2020 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal Lucknow

---

(एलएलपी (एलएलपी का पतन) नियम, 2009 के नियम 37 के अनुपालन में)
एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

सूचना

कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110029 के समक्ष

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) और एलएलपी (एलएलपी का पतन) नियम, 2009 के नियम 37 के मामले में

और

प्रीतेक एग्री जेनेटिक्स एलएलपी (पूर्व प्रीतेक एग्री जेनेटिक्स एलएलपी के रूप में गठित) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1531 फ्रंटर फ्लोर सनत रतन पहाड़गंज नई दिल्ली - 110055 इन में है, के मामले में ....आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत आवेदक एलएलपी द्वारा पहचानित साझेदारों द्वारा दी गई सहमति के संदर्भ में पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने हेतु एलएलपी समझौते में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के कार्यालय में एक सूचना दाखिल की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के पक्ष्य से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110029 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस (21) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

कृते प्रीतेक एग्री जेनेटिक्स एलएलपी
हस्ता./-
नामित भागीदार
(प्रीतेक गोयल)
डीआईएन : 07088888
एफ-677, कमला नगर, आगरा, यूपी-282005

हस्ता./-
नामित भागीदार
(आशुति गोयल)
डीआईएन : 07590089
एफ-677, कमला नगर, आगरा, यूपी-282005

दिनांक : 07.01.2020
स्थान : नई दिल्ली

---

## सार्वजनिक सूचना

इस द्वारा सूचित किया जाता है कि, मैं अम्बरत अगरवाला, पुत्र: इदरमत अगरवाला, प्लॉट नं. एफ-२५८६, पालम विहार, गुरगांव, हरयाणा स्थित मेरी मिल्कियत के मेरे मूल रजिस्ट्री, मूल कब्जा पत्र, मूल नक्शा, मूल बिक्री विलेख, जो उप निबंधक के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत किए थे एवं अन्य मूल प्रचार के दस्तावेज खो गए है / गुम हो गए है। यदि किसीको वे प्राप्त हुए तो कृपया मुझे ९७०२०७५९९ पर इस विज्ञापन की प्रतिष्ठी से १५ दिनों के भीतर संपर्क करें। उक्त दस्तावेज की प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु संबंधित विभागों से आवेदन पत्र दिया गया है। किसी भी प्रकार की आपत्ति इस विज्ञापन की तारीख से १५ दिनों के भीतर सूचित करें। उसके पश्चात संबंधित विभाग प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां निर्गमित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उक्त मिल्कियत के बारे में किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के विषय में जनता को सावधानी बरतने के लिए सूचित किया जाता है।

स्थान: मुंबई
दिनांक: ३/१/२०२०

---

## मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L70101DL1983PLC015425
पंजी.: कार्या. ए-6/343 बी, 1 ला तल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
E-mail id: secretarial.mnil@gmail.com
Website: www.mnil.in
फोन: 011-49879687

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 30 जनवरी, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों ("वित्तीय परिणामों") तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी मद पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

उक्त सूचना तथा वित्तीय परिणाम कम्पनी तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट क्रमशः अर्थात् www.mnil.in तथा www.bseindia.com के निवेशक संबंध खंड में देखी जा सकती है।

मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
स्थान: नई दिल्ली — सुश्री कणिका
तिथि: 20.1.2020 — कम्पनी सचिव

---

## COURT NOTICE

In the court of Sh. Devinoor Singh JMIC Ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 Cr.P.C
Complaint u/s sec-138 of N.I. ACT
CNR NO PBLD03-008694-2019
PESHI 25-02-2020
M/s Vandana Apparels
V/s
M/s Arihant Handloom
Notice To 1. M/s Arihant Handloom, Flat No.306, sonal Apartment, Paotab Road, Jodhpur, Rajasthan Through its Prop. Ranjeet Bothra 2. Ranjeet Bothra S/o Bajrang Bothra Prop. M/s Arihant Handloom, Flat No 306, Sonal Apartment, Paotab Road, Jodhpur, Rajasthan
Whereas it has proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 25-02-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?low=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

---

## कार्यालय: रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

4था तल, जीवनतारा भवन, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा सूचना

आर.सी. नं. 51/18 — सिंडिकेट बैंक बनाम गुरु कृपा वुड वर्क

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

1. मै. गुरु कृपा वर्क्स, द्वारा उसके प्रॉप. श्री विशाल बक्शी, डब्ल्यूजेड-260, गली नं. 16, संत राठ, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018
2. हरभजन सिंह, डब्ल्यूजेड-33/1, न्यू साहिब पुरा, एमबीएस नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 साथ ही: डब्ल्यूजेड-30, केशोपुर, पृथ्वी पार्क, न्यू साहिबपुर, नई दिल्ली-110018

जैसा कि रु. 31,000/- की लागतों के साथ प्रमाणपत्र डेब्टर्स से 01.03.2017 से 12% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ रु. 28,80,674.60/- की राशि की वसूली के लिये पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I द्वारा ओ.ए.नं. 192/17 तिथि 27.1.2018 में रिकवरी प्रमाणपत्र सं. 51/18 तैयार किया गया है।

2. तथा जैसा कि उक्त रिकवरी प्रमाणपत्र की संतुष्टि में अधोहस्ताक्षरी ने अनुसूची में नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. तथा जैसा कि रु. 31,000/- की लागतों के साथ प्रमाणपत्र डेब्टर्स से 1.3.2017 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 28,80,80,674.60 की राशि बकाया है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 20.2.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच, यदि जरूरी हुआ तो 5 मिनट के विस्तार के साथ में ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन-लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली" के माध्यम से वेबसाईट http://drt.auctiontiger.net पर होगी।
5. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
6. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
7. ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
8. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

8.1 आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी रु.20.32 लाख (रुपये बीस लाख बत्तीस हजार मात्र) है।

8.2 इच्छुक बोलीदाता को अधिकतम 18.2.2020 के 3.00 बजे अप. तक "रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 51/18" के पक्ष में देय पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) के रूप में रु. 2.03 लाख (रुपये दो लाख तीन हजार मात्र) की ईएमडी का भुगतान करना होगा तथा उनके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं की जायेगी सफल बोलीदाता के मामले में उक्त जमा समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय से प्रत्यक्ष रुप से अपने ईएमडी की रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

8.8 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

9. जो इच्छुक बोलीदाता 18.2.2020 के 3.30 बजे अप. तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होगे जो 20.2.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
10. बोलीदाता रु. 50,000 (रुपए पचास हजार मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
11. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 51/18" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह नीलामी की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर तक उनके कार्यालय में पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
12. सफल बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली के समक्ष रजिस्ट्रार डीआरटी- II, दिल्ली के पक्ष में देय रु. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर सीपी 1% की दर से पाउन्डेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 51/18" के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।)
13. असफल बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
14. रिकवरी अधिकारी को बिना कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित या रद्द करने का अधिकार है।
15. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि बिक्री उद्घोषणा दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर द्वारा तथा संपत्ति के किसी उपयुक्त भाग में उसे चिपकाकर सीडीज को उपलब्ध कराएं तथा परिक्षेत्र में ड्रम का वादन कराएं तथा उसकी एक प्रति अधिकरण की सूचना पटल पर लगवाएं।
16. बिक्री उद्घोषणा क्षेत्र में व्यापक प्रचार वाले अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाए।
17. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन को सुनिश्चित करें तथा उसकी एक प्रति फाइल में लगाऐं।

बिक्री उद्घोषणा की सर्विस के शपथ-पत्र दाखिल करने तथा 14.1.2020 को अग्रिम कार्यवाही के लिये मामले को सूचीबद्ध किया जाये।

(जीतेन्द्र कुमार)
तिथि: 20.01.2020 — रिकवरी अधिकारी-II
स्थान: नई दिल्ली — डीआरटी-I, दिल्ली

---

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "कॉन्फिडेन्ट" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**मेगा ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन)**

क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (उत्तर एवं मध्य) 1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006, टेलीफोन: 011-23832226

**10.02.2020 को अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना**

**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री**

आम जनता और विशेषतः कर्जदारों/गारंटीकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा लिया गया है, को बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" और "जो भी वहां है"** आधार पर **10.02.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। बोली जमा करने की तिथि **07.02.2020 को सायं 5:00** बजे तक, ई-नीलामी की तिथि एवं समय: **10.02.2020 को प्रातः 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे के बीच** (प्रत्येक 5 मिनट असीमित विस्तार के साथ)। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तो के लिए कृपया **www.centralbankofindia.co.in** या **https://ibapi.in** देखें।

### चल / अचल संपत्तियों का विवरण

| क्र. सं. | शाखा का नाम | प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा फोन नं. | खाता का नाम | प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण | मांग सूचना तिथि तथा बकाया राशि (रु. लाखों में) | कब्जे की तिथि एवं प्रकार | आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि (रु. लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भगीरथ पैलेस नई दिल्ली | श्री आशुतोष कुमार मोबाइल: 9999463960 | सरिता शर्मा | फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नं.1, फ्लैट नं. 1-बी, प्राइवेट फ्लैट नं.एफ-5, प्रथम तल, छत/टैरेस अधिकार के बिना, ओम नगर, गली नं.5, निकट जी.टी. रोड एवं मोहन नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ0प्र0, क्षेत्रफल 55.74 वर्ग मीटर (मालिक-सुनील शर्मा) | 02.04.2018 रू.22.11 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान | 20.09.2019 (भौतिक कब्जा) | ₹ 14.00 लाख / ₹ 1.40 लाख / ₹ 0.20 लाख |
| 2. | संहानी, गाजियाबाद | श्री आलोक कुमार मोबाइल: 9999467512 | रान (RAANN) उद्योग | एक एवं आधा मंजिल भवन, सम्पत्ति सं. पी-14, प्लॉट नं. 14ए, गली नं.4, निकट डाकघर, बिहारी कालोनी, शाहदरा, दिल्ली। भूमि एरिया - 41.81 वर्ग मीटर (मालिक - राजेश्वरी देवी) | 27.04.2018 रू.65.90 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/

# वाराणसी से पकड़ा गया आइएसआइ का एजंट

- सेना से जुड़े फोटोग्राफ और वीडियो आइएसआइ एजंटों को भेजे
- पाकिस्तान से मिले धन और उपहारों के बारे में छानबीन शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की वाराणसी इकाई और सेना की अभिसूचना शाखा ने भारतीय सेना की गुप्त जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आइएसआइ को देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

यूपी एटीएस के एक बयान के मुताबिक, सैन्य खुफिया इकाई द्वारा एटीएस को सूचना दी गई थी कि वाराणसी का रहने वाला एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तानी आइएसआइ एजंटों के संपर्क में है।

वाराणसी जिले के लंका थाना क्षेत्र स्थित चित्तूपुर के निवासी इदरीस अहमद के पुत्र राशिद अहमद को सेना से जुड़े फोटोग्राफ और वीडियो आइएसआइ एजंटों को भेजे जाने के आरोप में रविवार को मुगलसराय क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है।

राशिद दो बार पाकिस्तान जा चुका है और वहां उसने आइएसआइ के एजंटों से मुलाकात की थी। अधिकारियों के मुताबिक, उसने सेना और सीआरपीएफ के शिविरों समेत कई महत्त्वपूर्ण स्थलों की टोह ली थी और इन जगहों की तस्वीरें और वीडियो आइएसआइ एजंटों को भेजे थे। इसके एवज में उसे धन और उपहार मिले थे। एटीएस ने बताया कि इदरीस अहमद से पूछताछ की जा रही है कि उसने अभी तक कितने स्थानों/ शिविरों की रेकी कर तस्वीरें भेजी, इनके बदले में उसे कितनी बार धन और उपहार मिले। उससे पूछा जा रहा है कि आइएसआइ एजंटों ने किन स्थानों/शिविरों की तस्वीरें भेजने को उसे कहा था और इस काम में उसके कितने और साथी सम्मिलित है।

राशिद 2018 में कराची में रहने वाली अपनी मौसी के यहां गया था। इसके बाद वहां आइएसआइ के संपर्क में आया। मार्च 2019 से वह पैसे के बदले देश के महत्त्वपूर्ण स्थानों और सैन्य ठिकानों की तस्वीरें आइएसआइ को भेजता था। इन सूचनाओं के एवज में पाकिस्तानी एजंसियों ने रशीद को पैसे और गिफ्ट भी भेजे थे।

एटीएस के मुताबिक, रशीद से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसने भारत के किन-किन सुरक्षा प्रतिष्ठानों के ब्योरे पाकिस्तान भेजे। इसके अलावा एजंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि पाकिस्तान किस माध्यम से उसे पैसे और गिफ्ट भेजता था। एटीएस रशीद के पास मिले एक मोबाइल फोन को भी खंगाल रही है।

# विस्थापित कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को सरकारें समझें : नायडू

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि दशकों से विस्थापित कश्मीरी पंडितों को उनकी जन्मभूमि में वापस पुनर्वास करने की अपेक्षा को सरकारों को सहानुभूतिपूर्वक समझना चाहिए।

नायडू ने ट्वीट कर कहा, 'मेरे विचार से कश्मीरी पंडितों की सरकारों और समाज से ये अपेक्षा जायज है कि वे उनकी पीड़ा और वेदना को सहानुभुति पूर्वक समझें और उनके पुनर्वास के लिए यथासंभव प्रयास करें।' कश्मीरी पंडितों के सुरक्षित पुनर्वास में कश्मीर की जनता से सकारात्मक पहल करने की अपील करते हुए नायडू ने कहा, 'ये संपूर्ण देश और विशेषकर कश्मीरी जनता का नैतिक दायित्व है कि वे उस भूमि के सपूतों को उनके लौटने पर सुरक्षा प्रदान करें, जो भारत के पड़ोसी द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और हिसा के कारण अपने ही घरों से निर्वासित कर दिए गए।'

उन्होंने कहा, 'यह आज आवश्यक है कि कश्मीरी पंडितों तथा अन्य विस्थापित लोगों के पुनर्वास करने संबंधी न्यायोचित मांगों पर विचार किया जाए तथा उन्हें उनकी जन्मभूमि पर पुनर्स्थापित होने में सहायता की जाए।'

# चुरू में सड़क हादसे में सात की मौत

जयपुर, 20 जनवरी (भाषा)।

राजस्थान के चुरू जिले में रविवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार जिले के सालासर क्षेत्र में सालासर फतेहपुर रोड पर यह हादसा उस समय हुआ जबकि एक एसयूवी और ट्रोले की टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार एसयूवी फॉर्चुनर में सवार इमरान खान, गाजी खान, इमरान उर्फ गांधी, रफीक, इकबाल खान, बाबू खां और इस्लाम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। ट्रोला चालक और खलासी मौके से भाग गए।

# प्रधानमंत्री आवास योजना में एक करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत

## 60 लाख पर काम जारी, 32 लाख हो चुके हैं तैयार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 20 जनवरी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ मकान स्वीकृत हुए हैं। इनमें 60 लाख पर काम जारी है। जबकि 32 लाख पूर्ण हो चुके हैं। यह जानकारी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने आरटीआइ के जवाब में दी है। मंत्रालय ने दावा किया है कि बनकर तैयार मकान लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं या उन्हें सौंपे जाने की तैयारी है।

सेक्टर- 132 स्थित ग्राम रोहिल्लापुर के निवासी एवं समाजसेवी रंजन तोमर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी लेने के लिए आरटीआइ लगाई थी।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य स्तर पर प्रदेश के मुख्य सचिव की निगरानी में एक राज्य स्तरीय निगरानी एवं अनुमोदन समिति बनाई गई है जो वहां की मांग के मुताबिक एक रिपोर्ट केंद्रीय समिति को भेजती है।

इसके बाद केंद्रीय सहायता स्वीकृत होती है। इस प्रणाली के तहत अब तक राज्यों की तरफ से 1.12 करोड़ (एक करोड़ 12 लाख) मकानों की मांग आई है। जिसमें से 103,05,045 (एक करोड़, तीन लाख, पांच हजार, पैंतालीस) मकानों की मांग को स्वीकृत कर लिया गया है।

जिसमें तकरीबन 80 लाख मकान निर्माण की किसी न किसी स्थिति में हैं। जबकि करीब 32 लाख मकान बनकर तैयार हैं या लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।

रंजन तोमर के मुताबिक एक करोड़ मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूर करना और उन्हें बनाकर देना एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करने में बड़ा कदम साबित होगा।

# कोयला आपूर्ति में नहीं की कोई गड़बड़ी : अडाणी एंटरप्राइजेज

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

अडाणी एंटरप्राइजेज ने सोमवार को कहा कि उसने कोयला आपूर्ति में कोई गड़बड़ी नहीं की है। सीबीआइ ने कोयला आपूर्ति के ठेके में कथित अनियमितताओं को लेकर कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी ने इसी के मद्देनजर यह सफाई दी है।

सीबीआइ ने इस मामले में पिछले हफ्ते प्राथमिकी दर्ज की है। उसने इस मामले में अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के पूर्व चेयरमैन विरेंदर सिंह और पूर्व प्रबंध निदेशक जीपी गुप्ता को नामजद किया है। कंपनी ने बीएसई को दी सफाई में कहा- इस संदर्भ में यह जान लिया जाए कि यह पुराना मामला है। कंपनी ने प्रक्रियाओं, सभी औपचारिकताओं और संबंधित नियमों का अनुपालन किया है। कंपनी ने कोयले की आपूर्ति में कुछ भी गलत नहीं किया है। यह मामला आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन को आयातित कोयले की आपूर्ति के ठेके से जुड़ा है। सीबीआइ के अधिकारियों ने कहा कि एजंसी ने आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है। साल 2010 में आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन ने किसी भी बंदरगाह से डॉक्टर नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन, विजयवाड़ा और रायलसीमा थर्मल पावर संयंत्र, कडपा को छह लाख टन कोयले की आपूर्ति के लिए निविदा जारी की थी। यह बंदरगाह से अंतिम स्टेशन तक कोयला पहुंचाने का ठेका था।


**Bank of Baroda** (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

ई–नीलामी सूचना

**अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.02.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

| क्र. सं. | शाखा | कर्जदार और गारंटर्स का नाम | स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण | धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि | आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि | ई–नीलामी तिथि एवं समय | खाता नं. और IFSC कोड | प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली** | मैसर्स जयप्रीत कौर साहनी एंड कंपनी प्रोप. श्रीमती जयप्रीत कौर साहनी उसी संपत्ति के बंधककर्ता मैसर्स भारत एक्सपोर्ट ओवरसीज भी जिसका कुल बकाया रु. 14.00 करोड़ गार्टनर्स: श्री गुरप्रीत सिंह साहनी श्रीमती जयप्रीत कौर साहनी नोट: जैसा कि सूचित किया गया है, कि बकाया रु. 3,82,30,109/– दिनांक 22.02.2019 तक प्लस लागू ब्याज। एचएसआईआईडीसी, मानेसर की उक्त संपत्ति पर | लीज़ होल्ड सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति प्लॉट नं. 433, सैक्टर–8, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती जयप्रीत कौर साहनी प्रोप. मैसर्स जयप्रीत कौर साहनी एण्ड कं. (कर्जदार) के नाम पर है। | 19.01.2017<br>मैसर्स जयप्रीत कौर साहनी के खाते का बकाया रु 5.96 करोड़ दिनांक 31.12.2016 तक प्लस भविष्य का ब्याज और प्रभार<br>और बकाया रु. 13.83 करोड़ दिनांक 31.03.2017 तक प्लस भविष्य का ब्याज और प्रभार दिनांक 19.04.2017 के खाता मैसर्स भारत एक्सपोर्ट ओवरसीज में रिकॉल नोटिस के अनुसार | ₹ 15.25 करोड़<br>₹ 1.53 करोड़<br>₹ 1.00 लाख | 27-02-2020 को अपरांह 01.00 बजे से अपरांह 03.00 बजे तक | 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero') | श्री यश पाल चावला मो. 9584317482 |

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 26.02.2020, **नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**
**सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 20.02.2020 को दोपहर 12.00 बजे से अपरां. 04.00 बजे तक**

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई–नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई–नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाऐ।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 26.02.2020) को अपरां. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी / आरटीजीएस / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम / फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 26.02.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीस लि., बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–2, ऑरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झा, 7982880393, हैल्प लाईन 079-61200595/520/548, हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं / एटेन्डेन्ट चार्जेज / पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण / आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

**कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना**

कर्जदार / गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री की जाएगी और शेष देयताए, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 20-01-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा



**ANDHRA BANK** (भारत सरकार का उपक्रम)
विशिष्टीकृत आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा (एसएआरएम)
प्रथम तल, एम-35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं. : 011-23418746, 23418750 ई-मेल : bm3102@andhrabank.co.in

**अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि आन्ध्रा बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर आन्ध्रा बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा कर लिया है, निम्नलिखित से आन्ध्रा बैंक के 13.06.2017 तक बकाया रु. 14,95,30,416/- (रुपये चौदह करोड़ पिचानबे लाख तीस हजार चार सौ सोलह) तथा इस पर भावी ब्याज, लागतों तथा प्रभारों की वसूली हेतु 04.02.2020 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

1. कर्जदार
(i) मैसर्स सिनर्जी टेक्नोलॉजीज
इसके एकमात्र प्रोपराइटर श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह के माध्यम से प्लॉट सं. 151, सेक्टर 8, मानेसर, गुरुग्राम तथा साथ ही डी-161, फेज 7, इण्डस्ट्रियल एरिया, मोहाली, पंजाब पर स्थित प्रोपराइटरशिप कन्सर्न
2. जमानती/बंधककर्ता
(ii) श्री निर्मल सिंह, पुत्र श्री सज्जन सिंह, एकमात्र प्रोपराइटर मैसर्स सिनर्जी मेटल टेक्नोलॉजीज
म.नं. 2632, सेक्टर 69, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब
(ii) श्री अमनदीप सिंह गोधन, पुत्र श्री निर्मल सिंह, म.नं. 2632, सेक्टर 69, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब
आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि निम्नवत होगी : न्यूनतम संविदा अपसेट मूल्य/ईएमडी के 1% के गुणक में होगी।

| क्र.सं. | सम्पत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य | ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%) |
|---|---|---|---|
| 1. | मकान सम्पत्ति सं. 2632, निकट गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल, सेक्टर-69, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब माप 500 वर्ग गज, श्री निर्मल सिंह के नाम पर। सीमाएँ : उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : सड़क, पूर्व : म.नं. 2631, पश्चिम : मकान नं. 2633 | रु. 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) | रु. 40,00,000/- (रुपये चालीस लाख मात्र) |

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया www.andhrabank.co.in, www.tenders.gov.in में प्रावधानित लिंक तथा ई-निविदा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.antaressystems.com/ANB देखें।

दिनांक : 13.01.2020 — (मिनीन्द्र एसआर) अधिकृत प्राधिकारी एवं मुख्य प्रबन्धक
स्थान : नई दिल्ली — आन्ध्रा बैंक एसएआरएम शाखा, नई दिल्ली



**कैन फिन होम्स लिमिटेड**
प्रथम तल, डीडीए बिल्डिंग, निकट पारस सिनेमा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, सीआईएन सं. : L85110KA1987PLC008699
दूरभाष : 7625079108, 011-26435815, 26430236, ई-मेल : delhi@canfinhomes.com

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]**

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं कथित अधिनियम और पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में कैन फिन होम्स लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वसूली की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज सहित सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए निम्नलिखित तिथियों पर एक माँग सूचना जारी की थी।

कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक कर्जदार के सम्मुख नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा नीचे लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

| संख्या | कर्जदारों तथा जमानतियों के नाम | सम्पत्ति का विवरण | माँग सूचना की तिथि | बकाया राशि | कब्जा करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1) श्री शैबाल घोष पुत्र श्री प्रनब कुमार घोष (2) श्रीमती ममता रस्तोगी पत्नी शैबाल घोष | फ्लैट सं. सी-2, द्वितीय तल, एमआईजी बैंक साइड, प्लॉट सं. एस-24, ब्लॉक-बी, शालीमार गार्डन एक्स.-II, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. पिन-201005 उत्तर : प्लॉट सं. एस-23, ब्लॉक-बी, पूर्व : सर्विस लेन, पश्चिम : सड़क, दक्षिण : एस-25, ब्लॉक-बी। | 02/11/2019 | रु. 11,47,722/- | 17 जनवरी, 2020 |
| 2. | (1) श्री साद अख्तर सिद्दीकी पुत्र अख्तर जिया सिद्दीकी (2) श्रीमती दानिया अल्वी पत्नी साद अख्तर सिद्दीकी | फ्लैट सं. जी-1, भूतल, प्लॉट सं. बी-1/140, डीएलएफ दिलशाद एक्स.-II, भोपुरा, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. पिन-201005, उत्तर : प्लॉट सं. बी-1/139, पूर्व : 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : स्कूल, दक्षिण : 30 फीट चौड़ी सड़क | 15/12/2018 | रु. 16,08,410/- | 17 जनवरी, 2020 |
| 3. | (1) श्री अनिल कुमार पुत्र स्व. चरण सिंह (2) श्रीमती सोनिका पत्नी अनिल कुमार | फ्लैट सं. टीएफ4, तीसरी मंजिल एमआईजी, प्लॉट सं. 3/32, सेक्टर-05, राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. पिन-201005 उत्तर : प्लॉट सं. 24 एवं 25, पूर्व : प्लॉट सं. 33, पश्चिम : प्लॉट सं. 32, दक्षिण : 30 फीट चौड़ी सड़क | 01/11/2019 | रु. 24,79,197/- | 17 जनवरी, 2020 |
| 4. | (1) श्रीमती वीना पत्नी प्रेमपाल सिंह (2) प्रेमपाल सिंह पुत्र खिच्चू सिंह (3) श्री वसन्त देव शर्मा पुत्र प्रेम पाल सिंह | फ्लैट सं. एसएफ-1, द्वितीय तल (छत के अधिकार सहित), प्लॉट सं. सी-350, जय दुर्गे अपार्टमेंट-II, शालीमार गार्डन एक्स.-II, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201005, उत्तर : 25 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व : 40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. 349-सी, दक्षिण : सर्विस लेन | 01/07/2019 | रु. 17,92,530/- | 17 जनवरी, 2020 |

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य एतद्वारा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार वसूली की तिथि तक भावी ब्याज सहित प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित राशि के लिए सीएफएचएल के प्रभार का विषय होगा।

ह./- अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 17.01.2020 स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे. — कैन फिन होम्स लिमिटेड



**इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** शाखा: पुलिस लाईन, मेरठ — **अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस**

प्रतिभूतिकरण व वित्तीय अस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के उप धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों / गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाखा में डाक विभाग / कोरियर द्वारा बिना वितरण के (Undelivered) वापस आ गया / लेने से इन्कार किया। आपको सूचित किया जाता है कि आप वापस आये नोटिस को मूल रूप से अधोहस्ताक्षर से प्राप्त कर सकते हैं

आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक (secured creditor) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।

| क्र. सं. | ऋणी / गारंटर का नाम | बंधक सम्पत्ति का विवरण | स्पीड / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | ऋणी:– 1 श्री मनिंदर सिंह, पहली मंजिल, एफ –1, प्लॉट नंबर ए –75, इंद्रप्रस्थ

# मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 4.8 फीसद किया

दावोस, 20 जनवरी (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने 2019 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 4.8 फीसद कर दिया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में दबाव और ग्रामीण भारत में आय वृद्धि कमजोर रहने का हवाला देते हुए वृद्धि अनुमान को कम किया गया है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) का सालाना शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए आइएमएफ ने वैश्विक वृद्धि दर के साथ-साथ भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में संशोधन की जानकारी दी है। मुद्रा कोष के अनुसार 2019 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.8 फीसद, 2020 में 5.8 फीसद और 2021 में 6.5 फीसद रह सकती है।

भारत में जन्मीं आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि मुख्य रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में नरमी और ग्रामीण क्षेत्र की आय में कमजोर वृद्धि के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान कम किया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2020 में 0.2 फीसद बढ़कर 6 फीसद करने का अनुमान है। यह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के प्रभाव को बताता है।

मुद्रा कोष ने कहा कि भारत में घरेलू मांग उम्मीद से हटकर तेजी से घटी है। इसका कारण एनबीएफसी में दबाव और कर्ज वृद्धि में नरमी है। आइएमएफ ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में कम होकर 4.8 फीसद रहने का अनुमान है। हालांकि 2020 और 2021 में यह सुधरकर क्रम से 5.8 फीसद और 6.5 फीसद रह सकती है। मुद्रा कोष के अक्तूबर में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के पूर्व अनुमान के मुकाबले यह आंकड़ा क्रम से 1.2 और 0.9 फीसद कम है।

गोपीनाथ ने यह भी कहा कि 2020 में वैश्विक वृद्धि में तेजी अभी काफी अनिश्चित बनी हुई है। इसका कारण अर्जेंटीना, ईरान और तुर्की जैसी दबाव वाली अर्थव्यवस्थाओं के वृद्धि परिणाम और ब्राजील, भारत व मेक्सिको जैसे उभरते और क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहे विकासशील देशों की स्थिति पर निर्भर है।

# ललित होटल के प्रवर्तकों व सहयोगियों के परिसरों पर आयकर विभाग के छापे

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

आयकर विभाग ने कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में भारत होटल्स लिमिटेड समूह के प्रवर्तकों, इसके सहयोगियों और एक प्रमुख वाहन डीलर कंपनी से जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी शुरू की है। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत होटल्स की सीएमडी ज्योत्सना सूरी और उनके कुछ सहयोगियों और कार्गो मोटर्स के प्रवर्तक जयंत नंदा से संबंधित आठ परिसरों की तलाशी ली जा रही है। ये परिसर दिल्ली और आस-पास स्थित हैं।

कार्गो मोटर्स देश में टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी डीलर कंपनी है। भारत होटल्स समूह के पास ललित ग्रुप ऑफ होटल्स का मालिकाना हक है। समूह अभी दर्जनों लग्जरी होटलों का परिचालन कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी रविवार को शुरू हुई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन समूहों के जिन लेनदेन पर विभाग की नजरें थीं, वे आपस में जुड़ी हुई हैं।

ज्योत्सना सूरी 1989 से भारत होटल्स समूह से जुड़ी हैं और पति ललित सूरी के निधन के बाद 2006 में समूह की चेयरपर्सन व प्रबंध निदेशक बनी। वह फिक्की की भी चेयरमैन रह चुकी हैं। दिल्ली स्थित ललित होटल, भारत होटल्स समूह की ही इकाई है।

# मुनाफावसूली से सूचकांक 416 अंक गिरा

मुंबई, 20 जनवरी (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में तिमाही परिणाम की तेजी के बाद मुनाफावसूली की बिकवाली से सोमवार को सूचकांक 416 अंक गिर गया। इससे पहले एक समय सूचकांक रेकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक कारोबार के दौरान 42,273.87 अंक के रेकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, बाद में इसने तेजी खो दी और 416.46 अंक यानी 0.99 फीसद गिरकर 41,528.91 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 127.80 अंक यानी 1.03 फीसद गिरकर 12,224.55 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह 12,430.50 अंक के अब तक के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया था।

सूचकांक की कंपनियों में कोटक महिंद्रा बैंक में सर्वाधिक 4.70 फीसद की गिरावट रही। बैंक ने सोमवार को जारी परिणाम में बताया कि तीसरी तिमाही में उसकी गैर-निष्पादित संपत्तियां बढ़ी हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस के शेयर भी 3.08 फीसद तक की गिरावट में रहे। इन तीनों कंपनियों ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद तीसरी तिमाही के परिणाम जारी किए थे। हालांकि, पावरग्रिड कॉरपोरेशन में 3.75 फीसद तक की तेजी रही। भारती एअरटेल, आइटीसी, एशियन पेंट्स, आइसीआइसीआइ बैंक और एलएंडटी के शेयर भी बढ़त में रहे।

कारोबारियों ने कहा कि विशेष कंपनियों के साथ ही शेयर बाजार के रेकार्ड स्तर पर होने के कारण निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली की गई। जियोजीत फाइनेंशियल सिंवसेज लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- जैसा अनुमान था, बैंकों और बड़ी कंपनियों के तीसरी तिमाही के परिणाम नरम रहने के कारण बाजार में गिरावट आयी। मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार वृद्धि के साथ पिछले एक महीने में ठोस प्रदर्शन के बाद अल्पावधि में बाजार में गिरावट जारी रहने का अनुमान है। बीएसई के समूहों में ऊर्जा, बैंकिग, तेल एवं गैस, वित्त, धातु, सूचना प्रौद्योगिकी और वाहन में 2.67 फीसद तक की गिरावट रही। हालांकि, दूरसंचार, यूटिलिटी, रियल्टी और बिजली समूहों में 1.89 फीसद तक की तेजी रही। बीएसई का स्मॉल कैप और मिड कैप भी 0.57 फीसद तक की गिरावट में रहा।

एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट, जापान का निक्की और दक्षिण कोरिया का कोस्पी बढ़त में रहा। हालांकि, हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट में बंद हुआ। यूरोपीय बाजार शुरुआती कारोबार में गिरावट में चल रहे थे। इस बीच ब्रेंट क्रूड का वायदा 0.66 फीसद की बढ़त के साथ 65.28 डॉलर पर चल रहा था। लीबिया में सशस्त्र बलों द्वारा एक पाइपलाइन को बंद कर देने से निर्यात बाधित हुआ।


## FORM G
## INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

**(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016**

**RELEVANT PARTICULARS**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of the corporate debtor | **Sameeksha Estate Private Limited** |
| 2. | Date of incorporation of corporate debtor | 25th November 2005 |
| 3. | Authority under which corporate debtor is incorporated / registered | Registrar of Companies, Delhi |
| 4. | Corporate identity number of corporate debtor | U70101DL2005PTC143005 |
| 5. | Address of the registered office and principal office (if any) of corporatedebtor | **Registered Office:**B-292, Chandra Kanta Complex, Shop No. 8, Near Metro Pillar No. 161, New Ashok Nagar, New Delhi-110096, India. **Corporate Office:** C-56/41, 5th floor, Sector 62 Noida - 201301, India. |
| 6. | Insolvency commencement date of the corporate debtor | 06.11.2019, Date of receipt of Order by Interim Resolution Professional (Hon'ble NCLT order dated 01.11.2019) |
| 7. | Date of invitation of expression of interest | 21st January, 2020 |
| 8. | Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") is available at: | Website of the Corporate Debtor: **www.adellandmarks.com** |
| 9. | Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at: | Website of the Corporate Debtor: **www.adellandmarks.com** |
| 10. | Last date for receipt of expression of interest | 05th February, 2020 |
| 11. | Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants | 15th February, 2020 |
| 12. | Last date for submission of objections to provisional list | 20th February, 2020 |
| 13. | Date of issue of final list of prospective resolution applicants | 29th February, 2020 |
| 14. | Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants | 20th February, 2020 |
| 15. | Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information | The Resolution Professional will share the documents through Electronic Mail or Virtual Data Room in accordance with the provisions of the Code and Regulations made thereunder. |
| 16. | Last date for submission of resolution plans | 21st March, 2020 |
| 17. | Manner of submitting resolution plans to resolution professional | Manner shall be specified in the request for resolution plans. |
| 18. | Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval | 17th April 2020 |
| 19. | Name and registration number of the resolution professional | **Mr. Udayraj Patwardhan, IP Registration No.:** IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-2017/10057 |
| 20. | Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board | **Name:** Mr. Udayraj Patwardhan **Address:** Sumedha Management Solutions Private Limited, C-703, Marathon Innova, Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (West),Mumbai City, Maharashtra-400013 **Email ID: udayraj_patwardhan @ sumedhamanagement.com** |
| 21. | Address and email to be used for correspondence with the resolution professional | **Address:**Sumedha Management Solutions Private Limited, C-703, Marathon Innova, Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai City, Maharashtra-400013 **Email ID:**sameeksha@sumedhamanagement.com |
| 22. | Further Details are available at or with | **Address:**Sumedha Management Solutions Private Limited, C-703, Marathon Innova, Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (West),Mumbai City, Maharashtra-400013 **Email ID:**sameeksha@sumedhamanagement.com **Website:**www.adellandmarks.com |
| 23. | Date of publication of Form G | 21st January, 2020 |

***Notes:*** **1.** The RP / COC shall have discretion to change the criteria for the EOI at any point of time.
**2.** RP/ COC reserves the right to cancel or modify the process / application without assigning any reason and without any liability whatsoever.
**3.** Detailed invitation for expression of interest specifying criteria, ineligibility norms under section 29A of Code etc. is uploaded on the website www.adellandmarks.com.

**The Corporate Insolvency Resolution Process in case of Adel Landmarks Limited is proceeding along with its 5 Subsidiary Companies namely the Sameeksha Estate Private Limited, Mehak Realtech Private Limited, Sachet Infrastructure Private Limited, Magad Realtors Private Limited and Jamvant Estates Private Limited ("5 Subsidiary Cos.") pursuant to Hon. NCLT Order dated November 01, 2019 and December 03,2019 read with the Hon'ble NCLAT order dated September 20, 2019 (order copy available on the website mentioned below).**
**The Form G – Inviting Expression of Interest ("EOI") and the Detailed Invitation for submission of EOI for submission of Resolution Plan for aforesaid 5 Subsidiary Cos. can be availed from** www.adellandmarks.com

**Sd/-**
**Mr. Udayraj Patwardhan**
**Resolution Professional for Sameeksha Estate Private Limited**
**IP Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-2017/10057**

**Date: Monday, January 20, 2020**
**Place: Mumbai**



IndiaShelter

## इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीच्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002
शाखा कार्यालयः यूजीएफ-06, ओसन प्लाजा पी-5, सेक्टर 18, नोएडा, मेट्रो स्टेशन के निकट, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)- 201301

**अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों जिनके विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं, को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड वर्णित अचल सम्पत्तियों की कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये 'जैसा है जहां है', जो भी जैसा है तथा 'जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

| 1.ऋणधारक (कों) एवं गारन्टर (रों) एवं कानूनी उत्तराधिकारी का नाम एवं पता 2. ब्याज के साथ कुल देयता। | भौतिक कब्जा की तिथि | ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो, के साथ अचल सम्पत्ति का विवरण | 1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय | 1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति का ईएमडी 3. बोली बृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| श्रीमती आरती, पत्नी नंद लाल धुरिया श्री नंद लाल धुरिया, पुत्र बाल गोबिन्द धुरिया श्री संजय धुरिया, पुत्र श्री नंद लाल धुरिया सभी उपलब्ध हैः मकान सं. सी-21, लक्ष्मी गार्डन, निकट अम्बेदकर मार्केट नं. 2, लोनी देहात, गाजियाबाद-201102, उ.प्र. साथ हीं उपलब्धः बी-1/22 ए, डीएलफ, अंकुर विहार लोनी, गाजियाबाद-201102, ऋण खाता सं.: HL2600000037 कुल बकाया राशिः रु. 9,35,094/- (रुपये नौ लाख पैंतीस हजार चौड़ानवे मात्र) 31.08.2018 को देय। | 26.09.2016 | आवासीय कॉलोनी 'अंकुर विहार' के नाम से विदित, ग्राम लोनी, परगणा एवं तहसील-लोनी, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित सम्पत्ति फ्लैट नं. एसएफ-4, माप 350 वर्ग फीट, बी-1/22 ए पर निर्मित (अर्थात् प्लॉट नं.-22 ए, रोड नं. बी-1), एरिया माप 168.13 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः 12 मी. चौड़ा रोड, उत्तरः प्लॉट नं. बी-1/22, दक्षिणः प्लॉट नं. बी-1/22बी | ई-नीलामी तिथिः 17 फरवरी, 2020 को 11.30 पूर्वा. से 1.30 अप. तथा 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 15 फरवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. (आईएसटी) तक निरीक्षण की तिथिः 12 फरवरी, 2020 को 10.30 पूर्वा. से 5.00 बजे अप. (आईएसटी) तक | आरक्षित मूल्यः रु. 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) धरोहर राशि भुगतानः रु. 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) बोली वृद्धिः रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र एवं उसके गुणकों में) |

धरोहर राशि का भुगतान ''इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.'' के पक्ष में देय नोएडा स्थानीय शाखा में भुगतान होने योग्य डीडी द्वारा अथवा ''एक्सिस बैंक'' नं. 911020001057107 की खाता तथा आईएफएससी कोड-UTIB0000131, शाखा गुड़गाँव, शाखा कोड 000131 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा।
बिक्री के अधीन परिसम्पत्तियों से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण/अपेक्षा के लिये बोलीदाता श्री अजय गुप्ता (+91 7906826375 एवं 0124-4131812-05) से सम्पर्क कर सकते हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि., वेबसाईट अर्थात् www.indiashelter.in अथवा https://indiashelter.auctiontiger.net में दी गई लिंक देखें।

**स्थानः नोएडा** — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
**तिथिः 2.1.2020** — **इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.**



**Bank of Baroda** (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

**ई-नीलामी सूचना**

## अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **11.02.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

| क्र. सं. | शाखा | कर्जदार और गारंटर्स का नाम | | स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण | धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि | आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि | ई-नीलामी तिथि एवं समय | खाता नं. और IFSC कोड | प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली | मैसर्स रंजीत प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि., 4316/192, 1 और 2, चौथा तल, सैनी मार्केट, बहादुरगढ़ रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006 और गारंटर - श्रीमती अलका निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली -110091, और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली -110092, श्री सतीश कुमार निगम, सी-191, तृतीय तल, आनंद विहार, नई दिल्ली-110092 श्री आशीष निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091 और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली -110092, श्रीमती कशिश निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091 और: मकान नं. 292, तृतीय, गगन विहार, दिल्ली-110092 श्रीमती ईशा त्यागी पत्नी तरुण त्यागी पुत्री स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम, (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी 2, द्वितीय तल, मानक विहार, कड़कड़डूमा, पूर्व, दिल्ली -110092 श्रीमती पूजा मलिक पत्नी श्री सुमित मलिक पुत्री स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम, (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी के-31/1, जी.एफ. मॉडल टॉउन - 3, दिल्ली-110009 श्रीमती अलका निगम पत्नी स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091, और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली -110092 श्री आशीष निगम पुत्र स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091, और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली -110092 | | साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड मकान नं. 1917, वार्ड नं. 3, कुचाँ कलाँ, खाड़ी बावली, दिल्ली- 110006 में स्थित, भूमि क्षेत्रफल 80 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री रंजीत कुमार निगम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निगम के नाम पर है। चौहदी : पूरब में - गली, पश्चिम में - सम्पत्ति नं. 1916, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में - रोड | 27-12-2017 रु. 4,13,48,253.99 (दिनांक 29.04.2017 तक ब्याज सहित) + अनापेक्षित ब्याज + अन्य खर्चे एवं प्रभार इत्यादि | ₹ 72.00 लाख / ₹ 7.20 लाख / ₹ 0.50 लाख | 11-02-2020 को अपॉ. 01.00 बजे से अपॉ. 03.00 बजे तक | 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero') | श्री यश पाल चावला मो. 9584317482 |
| 2 | जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली | उधारकर्ता/गारंटर **मैसर्स विपुल एंटरप्राइजेज** श्री सुनील कुमार अरोड़ा, गारंटर श्री विपुल अरोड़ा, गारंटर और पार्टनर श्री वरुण अरोड़ा, गारंटर श्रीमती वंदना अरोड़ा, गारंटर श्री राम लाल खेतान -गारंटर और पार्टनर मैसर्स स्वेटेक्स एक्सेल प्रा. लि. गारंटर श्री नीतीश खेतान गारंटर और पार्टनर श्री संजय शर्मा गारंटर और पार्टनर श्री मदन गोपाल अग्रवाल गारंटर और पार्टनर | | फ्री होल्ड औद्योगिक भूमि एवं भवन जिसका खसरा नं. 446/9/3 और के एच नं. 159/4/3 जोकि गाँव खेड़ी, काला एएमबी, तहसील - नाहान, जिला सिरमौर (एच.पी.) में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स विपुल इंटरप्राईजेज़ के नाम पर है। क्षेत्रफल 40.8 बीगा, चौहदी : उत्तर में - खुली भूमि, दक्षिण में - रोड, पूरब में - मैसर्स स्वेटेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री, पश्चिम में - खुली भूमि **इच्छुक बोलीदाता को प्लांट एवं मशीनरी और भूमि एवं भवन हेतु समेकित रूप से/एक साथ बोली देनी होगी।** | 03.03.2017 रु. 6,80,95,298.18 दिनांक 01.03.2017 से + भविष्य का ब्याज एवं अन्य खर्चे इत्यादि | फैक्ट्री भूमि एवं भवन रु. 3,00,00,000/- प्लांट एवं मशीनरी रु. 70,00,000/- + जीएसटी लागू कुल रु. 3,70,00,000/- + जीएसटी लागू पी एण्ड एम पर / ₹ 37,00,000/- / ₹ 1,00,000/- | 11-02-2020 को अपॉ. 01.00 बजे से अपॉ. 03.00 बजे तक | 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero') | श्री यश पाल चावला मो. 9584317482 |
| 3 | जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली | उधारकर्ता/गारंटर **मैसर्स स्वेटेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री** श्री सुनील कुमार अरोड़ा (प्रोपराइटर) एवं गारंटर श्री विपुल अरोड़ा - गारंटर श्री वरुण अरोरा - गारंटर श्रीमती वंदना अरोड़ा - गारंटर मैसर्स स्वेटेक्स पैकेजिंग प्रा. लि.-गारंटर मैसर्स स्वेटेक्स एक्सेल प्रा. लि.-गारंटर | | फ्री होल्ड औद्योगिक भूमि एवं भवन जिसका खसरा नं. 10/3, खाता खतौनी नं. 187मिन/202 मिन (ओल्ड नं. 155/166 मिन) जोकि मौज़ाखेड़ी, हदबस्त नं. 137, गाँव खेड़ी, काला एएमबी, तहसील - नाहान, जिला सिरमौर (एच.पी.) यह सम्पत्ति स्वेटेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री में स्थित, क्षेत्रफल 8 बीगा और 13 बिस्वा, सम्पत्ति चौहदी : उत्तर में - खुली भूमि, दक्षिण में - रोड, पूरब में - मैसर्स एस.जी. इंजीनियर्स, पश्चिम में - मैसर्स विपुल इंटरप्राईजेज़ **इच्छुक बोलीदाता को प्लांट एवं मशीनरी और भूमि एवं भवन हेतु समेकित रूप से/एक साथ बोली देनी होगी।** | 03.03.2017 रु. 3,99,81,628.25 दिनांक 01.03.2017 से + भविष्य का ब्याज एवं अन्य खर्चे इत्यादि | फैक्ट्री भूमि एवं भवन रु. 1,33,00,000/- प्लांट एवं मशीनरी रु. 10,00,000/- + जीएसटी लागू कुल रु. 1,43,00,000/- + जीएसटी लागू पी एण्ड एम पर / ₹ 14,30,000/- / ₹ 1,00,000/- | 11-02-2020 को अपॉ. 01.00 बजे से अपॉ. 03.00 बजे तक | 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero') | श्री यश पाल चावला मो. 9584317482 |
| 4 | जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली | **मैसर्स सिसोटिया एजुकेशनल सोसाइटी (पंजी.)** उधारकर्ता/गारंटरः - 1. श्री रविन्द्र यादव, 2. सुश्री राज बाला | | संस्थागत संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका खेवत /खाता 192/208, रैक्ट. नं. 128, किला नं. 13(80) विस्तारित 128/1440 हिस्सा 1 कनाल 5 मारला 3 सरसाई और खेवत / खाता नं. 178 और 208, रैक्ट. 128, किला नं. 12(80) विस्तारित 7/160 हिस्सा 0 कनाल 7 मारला (कुल क्षेत्रफल 1 कनाल 12 मारला 3 सरसाई) जोकि गाँव फारूकनगर, वार्ड नं. 6, गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित | 29.04.2016 रु. 2,67,32,709.18 दिनांक 29.04.2016 से प्लस भविष्य का ब्याज एवं प्रभार | ₹ 2,48,70,000/- / ₹ 24,87,000/- / ₹ 1,00,000/- | 11-02-2020 को अपॉ. 01.00 बजे से अपॉ. 03.00 बजे तक | 601800301000395 VIJB0006018 | श्री पी. गोन्टे मो. 9711908984 |
| 5 | जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली | **मैसर्स वैद इलेक्ट्रॉनिक्स** प्रोपराइटरः श्री शिव शरण वैद गारंटरः 1. श्री समीर वैद, 2. श्री रोहित दुआ | | फ्री होल्ड सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति 5जी-1, मार्केट नं. 5, एनआईटी फरीदाबाद, क्षेत्रफल 40.6 वर्ग गज, एनआईटी फरीदाबाद, तहसील और जिला फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री शिव शरण वैद के नाम पर है। चौहदी : उत्तर में - प्लॉट नं. 5जी-1 का शेष हिस्सा, दक्षिण में - प्लॉट नं. 5जी-1 का शेष हिस्सा, पूरब में - रोड, पश्चिम में - प्लॉट नं. 5जी-2 | 03.04.2018 रु. 1,45,83,405.88 दिनांक 31.03.2018 तक | ₹ 90,91,000/- / ₹ 9,09,100/- / ₹ 1,00,000/- | 11-02-2020 को अपॉ. 01.00 बजे से अपॉ. 03.00 बजे तक | 601800301000395 VIJB0006018 | श्री पी. गोन्टे मो. 9711908984 |
| 6 | जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली | **मैसर्स सिग्लस** | | रिहायशी मकान खसरा नं. 164/1 अकबरपुर-बेहरामपुर, बुद्ध विहार, विजय नगर, बिजली घर के पास, गाजियाबाद(यू.पी.) में स्थित, क्षेत्रफल 73.00 वर्ग गज | 17.11.2008 रु. 29.90 लाख (लगभग) प्लस भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार | ₹ 10.50 लाख / ₹ 1.05 लाख / ₹ 0.10 लाख | 11-02-2020 को अपॉ. 01.00 बजे से अपॉ. 03.00 बजे तक | 110911999999 BKDN0711109 (5TH and 10th Character is to be read as 'zero') | श्री राहुल प्रताप मो. 9152941109 |

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 10.02.2020. **नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**
**सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 06.02.2020 से 07.02.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक**

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई-नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाऐ।
2. नीलामी - सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 10.02.2020) को अपॉ. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 10.02.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नॉलॉजीस लि., यी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ऑरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद,

# चुनावी बांड योजना पर अंतरिम रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

## केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के मकसद से शुरू हुई चुनावी बांड योजना पर रोक लगाने के लिए दायर अर्जी पर सोमवार को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा लेकिन उसने इस योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स' के आवेदन पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस संगठन की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि इस योजना का मतलब बगैर हिसाब-किताब वाले कालेधन को सत्तारूढ़ दल के पक्ष में देना है। उन्होंने इस योजना पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के एक दस्तावेज का भी जिक्र कया। पीठ ने कहा, 'हम इसे देखेंगे। हम इस मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध कर रहे हैं।'

निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये सभी दलीलें पहले दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के खिलाफ गैर सरकारी संगठन के आवेदन पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाए। सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दस दिन के लिए चुनावी बांड की बिक्री खोली है। सरकार ने दो जनवरी, 2018 को चुनावी बांड योजना अधिसूचित की थी। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक या प्रतिष्ठान चुनावी बांड खरीद सकता है। कोई व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है।

ये चुनावी बांड हासिल करने का हक सिर्फ उन राजनीतिक दलों को होगा, जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और उन्हें पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कुल मतदान का एक फीसद से कम मत नहीं मिले हैं। अधिसूचना के अनुसार राजनीतिक दल अधिकृत बैंक में खाते के माध्यम से ही इन चुनावी बांड को भुनाने के योग्य होंगे।

# पूरे देश में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' एक जून तक : पासवान

पटना, 20 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत 16 राज्यों में की जा चुकी है। पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा।

पटना में सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसे तीन चरणों में लागू किया जाना है। पहले जिन राज्यों में इसे शुरू किया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल हैं। बड़े राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, ओड़ीशा और छत्तीसगढ में यह अभी प्रक्रियाधीन है। पासवान ने बताया कि अब देश के किसी भी हिस्से में रहने के दौरान राशन कार्ड धारक अपने कार्ड से राशन ले सकते हैं।

# एनपीआर पर केंद्र से सहयोग नहीं करेगी केरल सरकार

## मंत्रिमंडल की बैठक में लिया फैसला

तिरुवनंतपुरम, 20 जनवरी (भाषा)।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को फैसला हुआ कि वामपंथी सरकार एनपीआर के अद्यतन की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेगी और केंद्र सरकार को इस निर्णय से अवगत कराया जाएगा। सरकार ने महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को भी यह सूचित करने का निर्णय लिया है कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एनपीआर के अद्यतन के संबंध में किसी भी तरह के सहयोग में असमर्थ है। इस बीच, केरल के प्रधान सचिव टोम जोस ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से सोमवार को मुलाकात की।

आरिफ खान और प्रधान सचिव के बीच बैठक ऐसे समय में हुई है जब केरल के राज्यपाल ने उन्हें सूचित किए बिना संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार से रविवार को रिपोर्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि यह बैठक 20 मिनट तक चली।

जोस ने मीडियाकर्मियों से बात नहीं की। सूत्रों ने बताया कि समझा जा रहा है कि प्रधान सचिव ने राज्यपाल को सूचित किया कि सरकार ने किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया है। प्रधान सचिव से मुलाकात के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि उनका कोई स्पष्टीकरण उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, 'स्वीकृति के लिए राज्यपाल की राय की जरूरत होती है। वे मुझे बिना बताए सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। यह एक गैरकानूनी कार्य है। कानूनी रूप से सही नहीं है। इसलिए यह अहम और व्यक्तिगत मतभिन्नता का टकराव नहीं है।' राज्यपाल ने उन्हें सूचित किए बिना सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। जिसके एक दिन बाद मुख्य सचिव टॉम जोस ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की।

# कश्मीर में कट्टरपंथ उन्मूलन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करेंगे : डीजीपी

श्रीनगर, 20 जनवरी (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने केंद्रशासित प्रदेश में गुमराह हुए युवाओं के लिए कट्टरपंथ उन्मूलन केंद्रों की स्थापना के विचार का सोमवार को समर्थन किया। सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हालिया समय में, पाकिस्तान और इसकी एजंसियों की ओर से इस क्षेत्र में कट्टरपंथ के प्रसार के अनेक प्रयास हुए हैं, हमारे कुछ युवाओं का दिमाग इससे प्रभावित हुआ है और वे गुमराह हुए हैं। यदि ऐसे किसी प्रतिष्ठान (कट्टरपंथ उन्मूलन केंद्र) की स्थापना होती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ युवाओं को पुलिस ने पकड़ा है जो कई बार अतार्किक बातें करते हैं।

# वाड्रा, भंडारी के खिलाफ मामलों में प्रवासी कारोबारी थंपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ड वाड्रा के खिलाफ धनशोधन और हथियार विक्रेता संजय भंडारी के विदेशों में कथित अवैध संपत्ति होने के मामलों से जुड़ी अपनी जांच के संबंध में प्रवासी भारतीय कारोबारी सीसी थंपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। कहा जाता है कि दुबई की कंपनी स्काई लाइट पर थंपी का 'नियंत्रण' है। भंडारी की कंपनी सैनटेक एफजेडई ने 2009 में एक निजी कंपनी से लंदन में संपत्ति खरीदी थी। यह संपत्ति स्काई लाइट की थी।

आरोप है कि वाड्रा ने लंदन की इस संपत्ति को खरीदा था और इस फ्लैट की मरम्मत के संबंध में उनके और भंडारी के बीच हुए कुछ कथित ईमेल इस मामले के सबूतों में शामिल हैं। एजंसी ने दावा किया है कि थंपी की वाड्रा से मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक सहयोगी के जरिए हुई थी।

वहीं वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय को कथित तौर पर बताया कि कुछ साल पहले एमिरेट फ्लाइट में सिर्फ एक बार उनकी मुलकात हुई थी। थंपी ने ईडी की पूछताछ में बताया था कि वाड्रा लंदन की ब्रायंस्टन स्क्वायर की संपत्ति में रुके थे। वहीं वाड्रा ने थंपी के इस दावे से इनकार किया।अधिकारियों ने बताया कि एजंसी ने थंपी को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और उसे धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए)के तहत शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के लिए उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया जा सकता है। कारोबारी के खिलाफ फेमा के दो कारण बताओ नोटिस के तहत जिन कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है उनमें हॉलीडे सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, हॉलीडे प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और हॉलीडे बेकल रिजॉर्ट्स प्राइवेस लिमिटेड शामिल है।

एजंसी के सूत्रों ने बताया कि कुछ नेताओं और नौकरशाहों के साथ कथित लेनदेन के संबंध में भी थंपी जांच के दायरे में है। वाड्रा ने खुद पर लगे आरोपों से लगातार इनकार किया है और कहा है कि वे जांच में सहयोग करेंगे।

# मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर

रायपुर, 20 जनवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ सोमवार सुबह मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की मौत हो गई।

पुलिस महानिरीक्षक (बस्तर क्षेत्र) सुंदरराज पी ने बताया कि सुरक्षा बलों का एक संयुक्त दल बासागुडा पुलिस थाना क्षेत्र में उग्रवाद के खिलाफ एक अभियान चला रहा था तभी नारसापुर और टेकुलगुडम गांवों के बीच जंगल क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े सात बजे मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 168वीं बटालियन, उसकी विशिष्ट इकाई- 204वीं कोबरा और स्थानीय पुलिस अभियान में शामिल थे।

सुंदरराज ने कहा कि राज्य की राजधानी रायपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर जंगल में माओवादियों के ठिकाने का पता चलने पर सुरक्षा बलों ने छापा मारा जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ रुकने के बाद घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव और तीन राइफलें बरामद हुईं। इस दौरान मारी गई नक्सली की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सुंदरराज ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल राज्य में सुरक्षा बलों के साथ विभिन्न मुठभेड़ों में 79 नक्सली मारे गए थे।


**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

अधिशासी अभियंता (सेंट्रल स्टोर) का कार्यालय
अम्बेडकर स्टेडियम, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110052

सं. ईई/सीएस//टीसी/नॉर्थ डीएमसी/2019-20/04 दिनांक: 20.01.2020

निविदा अल्प सूचना

| क्र.सं. | उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्तर पर | प्रारंभ तारीख | समाप्ति समय |
|---|---|---|---|
| 1. | निविदा दस्तावेज के लिए अनुरोध की प्रारंभ तारीख | 21.01.2020 | पूर्वाह्न 10.00 बजे |
| 2. | निविदा दस्तावेज जारी करने की प्रारंभ तारीख | 21.01.2020 | पूर्वाह्न 10.01 बजे |
| 3. | निविदा दस्तावेज के लिए अनुरोध की अंतिम तारीख | 23.01.2020 | अपराह्न 19.00 बजे |
| 4. | निविदा दस्तावेज जारी करने की अंतिम तारीख | 23.01.2020 | अपराह्न 19.01 बजे |
| 5. | निविदा समाप्ति की तारीख और समय | 24.01.2020 | अपराह्न 12.00 बजे |
| 6. | लागत खोलने की तारीख और समय | 24.01.2020 | अपराह्न 12.15 बजे |

कमिश्नर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियंता (सेंट्रल स्टोर)/उत्तरी दि.न.नि. द्वारा (सामान्य विंग) के साथ पंजीकृत अनुमोदित और पात्र संविदाकारों से विवरणों/शर्तों के साथ निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु केवल वेबसाइट https://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर सीलबंद मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक संविदाकारों से उनकी फर्म का नाम मूल्य बोली में अवश्य देने का अनुरोध किया जाता है, यदि मूल्य बोली में नाम वर्णित नहीं किया गया होगा, उक्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। **क्र.सं.:1, कार्य का नाम:** ईई(सेंट्रल-स्टोर) उत्तरी दि.न.नि., कंचन पुरी, निकट विजय घाट, दिल्ली में उत्तरी दि.न.नि. के दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 हेतु मतदान केंद्रों को खड़ा करने के लिए 12 एमएम मोटी प्लाइवुड कमर्शियल, कैलवुड का समर्थित वुडन पोस्ट (साइज 3.00" x 1.50") और लोहे की कीलों की आपूर्ति। एफ.टी.सी. कोड: 19/66/91-2585/पीसी-863,लेखा शीर्ष: 91-2585, निविदा राशि: मद दर, धरोहर राशि: 1,87,750/-, निविदा लागत: 1000/-, पूर्ण करने की अवधि: 07 दिन, दरें मान्य रहने की अवधि: 5 महीने

निविदा का विवरण और अन्य निबंधन एवं शर्तें वेबसाइट http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर देखी जा सकती तथा कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भी देखी जा सकती हैं।

– हस्ता. –
R.O. No. 222/North DMC/2019-20 अधिशासी अभियंता (सीएस) उ.दि.न.नि.


# ईडी ने कार्ति चिदंबरम से फिर की पूछताछ

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। वह आइएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पेश हुए। समझा जाता है कि एजंसी को कुछ नए सुराग मिले हैं। उसी सिलसिले में उनसे पूछताछ हुई।

जांच अधिकारी ने इस मामले में तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस सांसद कार्ति के मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत बयान रिकार्ड किए। इससे पहले उनसे पिछले साल अक्तूबर में पूछताछ की गई थी। जांच एजंसी ने सांसद से इससे पहले भी मामले में कई बार पूछताछ की है। इसी मामले में उनके पिता और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से भी पूछताछ की गई।

# मंगलुरु हवाई अड्डे पर मिला बम

मंगलुरु, 20 जनवरी (भाषा)।

कर्नाटक में यहां हवाई अड्डे पर प्रस्थान द्वार के एक टिकट काउंटर के निकट एक लावारिस बैग में सोमवार को एक 'जिंदा' विस्फोटक उपकरण मिला और बाद में इसे एक खुले मैदान के निकट निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

कर्नाटक के गृह मंत्री बासवाराज बोम्मई ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार सोमवार को मंगलुरु हवाई अड्डे पर एक जिंदा बम मिला। गणतंत्र दिवस से पहले इस घटना के कारण दहशत फैल गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उपकरण एक कम तीव्रता वाले विस्फोटक उपकरण (आइईडी) से मिलता जुलता है। पुलिस के अनुसार लावारिस लैपटॉप बैग में बम मिला और यहां एक खुले स्थान पर विस्फोट करने के लिए उसे बम निरोधक इकाई के वाहन में ले जाया गया।

इससे पूर्व संदिग्ध बैग देखे जाने के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने क्षेत्र को घेर लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मंगलुरु पुलिस आयुक्त पीएस हर्ष पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ते के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचे। हर्ष ने पत्रकारों से कहा कि प्रथमदृष्ट्या जांच के दौरान यह सामने आया है कि यह एक ऑटोरिक्शा से हवाई अड्डे आए अधेड़ उम्र के एक आदमी की करतूत है।

पुलिस ने इसके बाद संदिग्ध की फोटो भी जारी की। संदिग्ध ने एक टोपी का उपयोग करके अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की।

बोम्मई ने कहा कि बंगलुरु, मंगलुरु, हुबली और बेलगावी समेत राज्य के सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हम जांच को तेज करेंगे और लोगों को आतंकित करने की मंशा रखने वाली राष्ट्रविरोधी ताकतों की पहचान करेंगे। हम इन गतिविधियों को बहुत कड़ाई से ले रहे हैं, जो भारत को आर्थिक रूप से पीछे धकेलने के लिए है। सीआइएसएफ के डीआईजी (ऑपरेशन) अनिल पांडे ने दिल्ली में बताया कि बैग में पायी गई वस्तु कम तीव्रता वाला विस्फोटक उपकरण (आइईडी) जैसी थी।

इस बीच हर्ष ने बताया कि सीआईएसएफ की एक शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस थाने में विस्फोट पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत संदिग्ध के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने मंगलुरु के लोगों से इस संबंध में कोई भी सूचना साझा करने की अपील की और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हवाई अड्डे पर यात्री सेवा प्रभावित नहीं हुई।


**FORM G**
**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST**
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

**RELEVANT PARTICULARS**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of the corporate debtor | **Magad Realtors Private Limited** |
| 2. | Date of incorporation of corporate debtor | 20th January 2006 |
| 3. | Authority under which corporate debtor is incorporated / registered | Registrar of Companies, Delhi |
| 4. | Corporate identity number of corporate debtor | U70101DL2006PTC145172 |
| 5. | Address of the registered office and principal office (if any) of corporatedebtor | **Registered Office:**B-292, Chandra Kanta Complex, Shop No. 8, Near Metro Pillar No. 161, New Ashok Nagar, New Delhi-110096, India. **Corporate Office:** C-56/41, 5th floor, Sector 62 Noida - 201301, India. |
| 6. | Insolvency commencement date of the corporate debtor | 06.11.2019, Date of receipt of Order by Interim Resolution Professional (Hon'ble NCLT order dated 01.11.2019) |
| 7. | Date of invitation of expression of interest | 21st January, 2020 |
| 8. | Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") is available at: | Website of the Corporate Debtor: **www.adellandmarks.com** |
| 9. | Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at: | Website of the Corporate Debtor: **www.adellandmarks.com** |
| 10. | Last date for receipt of expression of interest | 05th February, 2020 |
| 11. | Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants | 15th February, 2020 |
| 12. | Last date for submission of objections to provisional list | 20th February, 2020 |
| 13. | Date of issue of final list of prospective resolution applicants | 29th February, 2020 |
| 14. | Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants | 20th February, 2020 |
| 15. | Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information | The Resolution Professional will share the documents through Electronic Mail or Virtual Data Room in accordance with the provisions of the Code and Regulations made thereunder. |
| 16. | Last date for submission of resolution plans | 21st March, 2020 |
| 17. | Manner of submitting resolution plans to resolution professional | Manner shall be specified in the request for resolution plans. |
| 18. | Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval | 17th April 2020 |
| 19. | Name and registration number of the resolution professional | **Mr. Udayraj Patwardhan, IP Registration No.:** IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-2017/10057 |
| 20. | Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board | **Name:** Mr. Udayraj Patwardhan **Address:** Sumedha Management Solutions Private Limited, C-703, Marathon Innova, Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (West),Mumbai City, Maharashtra-400013 **Email ID: udayraj_patwardhan@sumedhamanagement.com** |
| 21. | Address and email to be used for correspondence with the resolution professional | **Address:**Sumedha Management Solutions Private Limited, C-703, Marathon Innova, Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai City, Maharashtra-400013 **Email ID:**magad@sumedhamanagement.com |
| 22. | Further Details are available at or with | **Address:**Sumedha Management Solutions Private Limited, C-703, Marathon Innova, Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (West),Mumbai City, Maharashtra-400013 **Email ID:**magad@sumedhamanagement.com **Website:**www.adellandmarks.com |
| 23. | Date of publication of Form G | 21st January, 2020 |

***Notes:*** **1.** The RP / COC shall have discretion to change the criteria for the EOI at any point of time. **2.** RP / COC reserves the right to cancel or modify the process / application without assigning any reason and without any liability whatsoever. **3.** Detailed invitation for expression of interest specifying criteria, ineligibility norms under section 29A of Code etc. is uploaded on the website www.adellandmarks.com.

**The Corporate Insolvency Resolution Process in case of Adel Landmarks Limited is proceeding along with its 5 Subsidiary Companies namely the Sameeksha Estate Private Limited, Mehak Realtech Private Limited, Sachet Infrastructure Private Limited, Magad Realtors Private Limited and Jamvant Estates Private Limited ("5 Subsidiary Cos.") pursuant to Hon. NCLT Order dated November 01, 2019 and December 03,2019 read with the Hon'ble NCLAT order dated September 20, 2019 (order copy available on the website mentioned below).**
**The Form G – Inviting Expression of Interest ("EOI") and the Detailed Invitation for submission of EOI for submission of Resolution Plan for aforesaid 5 Subsidiary Cos. can be availed from** www.adellandmarks.com

Sd/-
Mr. Udayraj Patwardhan
Resolution Professional for Magad Realtors Private Limited
IP Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00024/2016-2017/10057

Date: Monday, January 20, 2020
Place: Mumbai



**PTC INDUSTRIES**
Aspire. Innovate. Achieve.
CIN: L27109UP1963PLC002931
Regd. Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH-25A, Sarai Shahjadi, Lucknow, Uttar Pradesh 227101, India
Ph: +91 522 7111017, Fax: +91 522 7111020, Web: www.ptcil.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1) read with regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of PTC Industries Limited will be held on Wednesday, January 29, 2020 at 01.30 PM at the Registered Office of the Company situated at Advanced Manufacturing & Technology Center, NH-25A, Sarai Shahjadi, Lucknow, Uttar Pradesh 227101, India, to, inter-alia, consider and approve, the un-audited financial result for the quarter ended at December 31, 2019.
Further this information is also available on the website of the Company www.ptcil.com and also website of the Stock exchange www.bseindia.com.

For **PTC Industries Limited**
Sd/-
**(Anuj Nigam)**
**Company Secretary & Compliance Officer**

Place: Lucknow
Date: 20.01.2020



फॉर्म–ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
**एस.के. डाईंग एण्ड फिनीशिंग मिल्स प्रा. लि. के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु**

प्रासंगिक विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कॉर्पोरेट ऋणी का नाम | एस.के. डाईंग एण्ड फिनीशिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 2. | कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि | 27/04/1994 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित/पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज – दिल्ली |
| 4. | कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या/शामिल देयता पहचान संख्या | U74899DL1994PTC058665 |
| 5. | कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता | **पंजी. कार्यालय:** डी–1010, न्यू फ्रेन्डस कॉलोनी, नई दिल्ली–110065 |
| 6. | कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि | **आदेश की तिथि:** 16.01.2020 **आदेश प्राप्ती की तिथि:** 20-01-2020 |
| 7. | दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख | **14.07.2020** |
| 8. | अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो | श्री राजीव लोचन **पंजी.स.:**–IBBI/IPA-002/IP-N00606/2018-19/11885 |
| 9. | अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो | **पंजी. पता:** 243, प्रथम तल, एपीसीआर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110092 ईमेल: csrajeevlochan@gmail.com |
| 10 | अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई–मेल | **पता:** 1203, विजय बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 ईमेल: ip.skdyeing@gmail.com |
| 11 | दावों के निवेदन की अंतिम तिथि | **03.02.2020** |
| 12 | धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (सी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हो, अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित | लागू नहीं है |
| 13. | दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाने हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम) | लागू नहीं है |
| 14. | (क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है | (क) प्रासंगिक फार्म वेब लिंक https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं है |

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण** द्वारा दिनांक 16.01.2020 को **एस.के. डाईंग एण्ड फिनीशिंग मिल्स प्रा. लि.** के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है।
**एस.के. डाईंग एण्ड फिनीशिंग मिल्स प्रा. लि.** के लेनदार (क्रेडिटर्स) को **03.02.2020** तक या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंट्री नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना है।
वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा दावों का सबूत प्रमाण सहित जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से अपने अपने दावों का सबूत प्रमाण सहित जमा कर सकते हैं।
**दावों के संदर्भ में झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना देय होगा।**

हस्ता.
(राजीव लोचन)
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
**एस.के. डाईंग एण्ड फिनीशिंग मिल्स प्रा. लि.**
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00606/2018-19/11885

दिनांक: 20.01.2020
स्थान: नई दिल्ली


# सामाजिक बदलाव सूचकांक में भारत 76वें पायदान पर

दावोस, 20 जनवरी (भाषा)।

सामाजिक बदलाव के मामले में भारत 82 देशों की सूची में 76वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) की ओर से तैयार इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की 50वीं सालाना बैठक से पहले जारी की गई है।

डब्लूईएफ ने कहा कि सामाजिक बदलाव में 10 फीसद वृद्धि से सामाजिक एकता को लाभ होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था 2030 तक करीब पांच फीसद बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सही परिस्थितियां हैं। रैंकिंग के लिए देशों को पांच कसौटियां पर परखा गया है, जिसके दस आधार स्तंभ शामिल हैं। ये श्रेणियां स्वास्थ्य; शिक्षा (पहुंच, गुणवत्ता एवं समानता); प्रौद्योगिकी; कामकाज (अवसर, वेतन, काम करने की स्थिति) और संरक्षण एवं संस्थान (सामाजिक संरक्षण तथा समावेशी संस्थान) हैं। यह दर्शाता है कि उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और आजीवन शिक्षा का सामाजिक बदलाव में सबसे बड़ा योगदान है। कुल 82 देशों की सूची में भारत 76वें स्थान पर रहा। आजीवन शिक्षा के मामले में वह 41वें और कामकाज की परिस्थिति के स्तर पर 53वें पायदान पर है। भारत को जिन क्षेत्र में बहुत सुधार करने की जरूरत है उनमें सामाजिक सुरक्षा (76वें) और उचित वेतन वितरण (79वें) शामिल है।

# सीएए का विरोध मूर्खतापूर्ण : विहिप

इंदौर, 20 जनवरी (भाषा)।

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि लोग इस कानून के प्रावधान समझे बगैर ही इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

कोकजे ने यहां कहा, 'सीएए का विरोध सरासर मूर्खतापूर्ण है। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसके प्रावधानों को पढ़ा तक नहीं है। उन्हें इसके प्रावधानों की समझ ही नहीं है।

# कुल बजट से भी ज्यादा माल है अरबपतियों की तिजोरी में

## एक फीसद अमीरों के पास 70 फीसद आबादी से चार गुना ज्यादा संपत्ति : ऑक्सफेम

दावोस, 20 जनवरी (भाषा)।

भारतीय अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी अधिक संपत्ति है। इन एक फीसद सबसे अमीर लोगों के पास देश की कम आय वाली 70 फीसद आबादी यानी 95.3 करोड़ लोगों की तुलना में चार गुने से भी अधिक संपत्ति है। एक नए अध्ययन में सोमवार को इसका खुलासा किया गया। दुनिया की बात की जाए तो 2,153 अरबपतियों के पास दुनिया की निम्न आय वाली 60 फीसद आबादी यानी 4.6 अरब लोगों की कुल संपत्ति से भी अधिक संपत्ति है। मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन ऑक्सफेम ने विश्व आर्थिक मंच की 50वीं सालाना बैठक से पहले यहां 'टाइम टू केयर' अध्ययन जारी किया है जिसमें यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

अध्ययन में कहा गया कि विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है और पिछले दशक में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई है। हालांकि, पिछले साल इन अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति में कमी आई है। अध्ययन में भारत के संदर्भ में कहा गया कि देश के 63 अरबपतियों के पास 2018-19 के 24,42,200 करोड़ रुपए के आम बजट की तुलना में अधिक संपत्ति है।

ऑक्सफेम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर ने कहा, 'असमानता को दूर करने की दृढ़ नीतियों के बिना अमीर और गरीब की खाई को पाटा नहीं जा सकता है। कुछ ही सरकारें हैं जो ऐसा करने को प्रतिबद्ध हैं। हमारी अक्षम अर्थव्यवस्थाएं आम लोगों की कीमत पर अरबपतियों और बड़ी कंपनियों की जेबें भर रही हैं। आश्चर्य नहीं, ऐसे भी सवाल उठने लगें कि क्या अरबपतियों को होना चाहिए।'

**भारत में असमानता**

रिपोर्ट के अनुसार, एक घरेलू महिला कामगार को किसी प्रौद्योगिकी कंपनी के शीर्ष सीईओ की एक साल की कमाई के बराबर कमाने में 22,277 साल लगेंगे। प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ प्रति सेकंड 106 रुपए की औसत कमाई करते हैं। ऐसे में एक घरेलू कामगार जितना एक साल में कमा पाती है, प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ 10 मिनट में ही उससे अधिक कमाई कर लेते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि महिलाएं व लड़कियां रोजाना 3.26 अरब घंटे का ऐसा काम करती हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में कम से कम 19 लाख करोड़ र

## खबर कोना

पेरिस में एक फैशन शो के दौरान रैम्प पर चलती मॉडल।

### ईरान के लिए जासूसी के आरोप में सुनवाई शुरू

फ्रैंकफर्ट एम मेन, 20 जनवरी (एएफपी)।

जर्मनी के सेना के लिए अनुवादक का काम करने वाले जर्मन-अफगान व्यक्ति और उसकी पत्नी के खिलाफ ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में देशद्रोह के मुकदमे की सुनवाई सोमवार को शुरू हो गई। पश्चिमी जर्मनी के कोब्लेंज अदालत के अनुसार अब्दुल एस (51) देशद्रोह के एक खास मामले और 18 बार सरकारी खुफिया जानकारी के उल्लंघन करने का आरोपी है। संदिग्ध को इसी महीने गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल एस की पत्नी आसिया एस. (40) पर पहले दिन से अपने पति की देशद्रोही गतिविधियों में साथ देने का आरोप है। इन पर ईरान की खुफिया सेवाओं के लिए काम करने का आरोप है। दोषी पाए जाने पर अब्दुल को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

### इंडोनेशिया में पुल ढहने से नौ मरे, एक लापता

बेंगकुलु, 20 जनवरी (भाषा)।

इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर एक पुल ढहने से नौ व्यक्तियों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति लापता हो गया। बेंगकुलु प्रांत के कौर कस्बे में रविवार दोपहर को 30 लोग नवनिर्मित पुल पार कर रहे थे, तभी पुल अचानक ढह गया। इनमें ज्यादातर छात्र थे। पुल ढहने के कारण कुछ किशोर पानी में गिर गए और कुछ रेलिंग पकड़ कर लटक गए। पुल के नीचे बह रही नदी का जलस्तर क्षेत्र में बारिश के कारण सामान्य से अधिक था और तेज लहरें उठ रही थीं। आपदा कार्रवाई एजंसी के प्रमुख उजांग सैयाफिरी ने कहा, 'कुछ स्वयं को बचाने में सफल रहे लेकिन 10 लोग नदी की लहरों के आगे टिक नहीं पाए और वे डूब गए व बह गए।'

### चीन से व्यापार समझौता उम्मीद से कहीं बेहतर : ट्रंप

आस्टिन (अमेरिका), 20 जनवरी (एएफपी)।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेजिंग के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पिछले हफ्ते किए गए व्यापार समझौते की रविवार को सराहना की और कहा कि यह समझौता उम्मीद से कहीं बेहतर है। यह 'पहले चरण' का समझौता दोनों देशों के बीच करीब दो वर्ष से जारी व्यापार युद्ध पर विराम का संकेत देता है।आस्टिन में रैली में रविवार शाम को ट्रंप ने कहा, 'यह हमारे पूरे देश के लिए अभूतपूर्व सफलता है।' उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि चीन यह साबित करने के हरसंभव प्रयास कर रहा है कि जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, वह अच्छा समझौता है।

### पाकिस्तान ने अमेरिका से अनुरोध किया

# एफएटीएफ की निगरानी सूची से निकलवाए

इस्लामाबाद, 20 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तान ने अमेरिका से अनुरोध किया कि वह एफएटीएफ की निगरानी सूची से बाहर निकलवाने के उसके प्रयासों का समर्थन दे। बेजिंग में आतंक के वित्तपोषण पर नजर रखने वाली इस अंतरराष्ट्रीय संस्था (एफएटीएफ) की बैठक होने वाली है और इसमें आतंकवाद के वित्तपोषण और धनशोधन के खिलाफ कड़े कानून बनाने के इस्लामाबाद के प्रयासों की जांच की जाएगी।

द न्यूज की खबर के मुताबिक एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल रविवार को बेजिंग पहुंचा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) कार्यकारी समूह की तीन दिवसीय बैठक 21 जनवरी से शुरू हो रही है। इस दौरान इस पर चर्चा की जाएगी कि क्या पाकिस्तान ने पाकिस्तान को पूर्व में दिए गए एजेंडे का पालन किया। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अजहर कर रहे हैं और इसमें राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण, विदेश मंत्रालय और पाकिस्तान स्टेट बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

एफएटीएफ ने अक्तूबर में पाकिस्तान को अपनी 'निगरानी' सूची में रखने का फैसला किया था क्योंकि वह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने में नाकाम रहा था। डान अखबार की खबर में कहा गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका एफएटीएफ की बेजिंग में होने वाली बैठक के दौरान सूची से निकलने के उसके प्रयासों में उसकी मदद करेगा। उन्होंने कहा, 'यह बैठक हमारे लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद अप्रैल में पेरिस में एक बैठक होगी जिसमें यह तय होगा कि विश्व निकाय पाकिस्तान को सूची में रखने का फैसला करता है या उसे हटाने का।'

**जलता इराक** इराक के नजफ में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को एक सड़क पर टायरों को जला दिया।

## पाक में दो ब्रिटिश लड़कियों की मौत, झूठी शान की खातिर हत्या का संदेह

लाहौर, 20 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाकिस्तानी मूल की दो लड़कियों की रहस्यमय मौत के बीच पुलिस ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

दोनों लड़कियां मारिया (24) और नाडिया (17) लाहौर से करीब 150 किलोमीटर दूर गुजरात सिटी में अपने घर में बेहोश मिली थीं और संदेह है कि वे झूठी शान की खातिर हत्या (ऑनर किलिग) का शिकार हुई हैं। पुलिस के अनुसार दोनों ब्रिटिश लड़कियां अपने घर के बाथरूम में मृत मिली थीं और संभवतः हीटर से गैस रिसाव के कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए थे और उसकी रिपोर्टों से ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। दोनों लड़कियां हाल ही में अपने एक रिश्तेदार की पुण्यतिथि पर लंदन से लौटी थीं।

### हवाई अड्डे पर घंटों हिरासत में रखा

## पाक ने मानवाधिकार कार्यकर्ता को विदेश जाने से रोका

लाहौर, 20 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तान की शीर्ष वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता को सोमवार को 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' का हवाला देते हुए ब्रिटेन रवाना होने से रोक दिया गया और आव्रजन अधिकारियों ने यहां हवाई अड्डे पर उन्हें कई घंटे तक हिरासत में रखा।

देश में अल्पसंख्यक हजारा समुदाय का समर्थन करने वाली जलिला हैदर ने 'डॉन न्यूज' को बताया कि हवाई अड्डा अधिकारियों ने उन्हें ब्रिटेन जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया। वह ससेक्स विश्वविद्यालय द्वारा नारीवाद पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेने वाली थी। बीबीसी ने पिछले वर्ष हैदर को दुनियाभर में 100 सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें विमान में सवार होने से क्यों रोका गया तो उन्होंने बताया कि उनका नाम उनकी 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' के कारण उड़ान निषेध सूची में है। बलूचिस्तान निवासी व अल्पसंख्यक हजारा समुदाय से संबंध रखने वाली हैदर ने बताया कि उन्हें संघीय जांच एजंसी (एफआईए) ने हवाई अड्डे पर कई घंटों तक हिरासत में रखा। इसके बाद अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट वापस किया और उनसे कहा कि वह ब्रिटेन जाने के लिए दूसरी उड़ान बुक कर सकती है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी 'राष्ट्र-विरोधी गतिविधि' में शामिल नहीं है।कार्यकर्ता ने अपने फेसबुक पृष्ठ पर पोस्ट किया कि उन्हें लाहौर हवाई अड्डे पर रोक दिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें हिरासत में लिए जाने की खबर फैल गई।

## यूरोपीय विवाद को लेकर परमाणु संधि से बाहर हो सकता है ईरान

तेहरान, 20 जनवरी (एएफपी)।

ईरान ने सोमवार को कहा कि अगर उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवाद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष ले जाया जाता है तो वह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से हटने के बारे में विचार करेगा।

पिछले सप्ताह ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर 2015 के परमाणु समझौते के नियमों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया शुरू की थी। इस कदम से सुरक्षा परिषद ईरान पर फिर से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा सकती है। ईरान ने आरोप लगाया कि 2018 में ऐतिहासिक समझौते से एकतरफा रूप से पीछे हटने के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर यूरोपीय संघ के तीन सदस्य देश निष्क्रिय थे।

## बांग्लादेश में रैली पर बम हमले के 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई

ढाका, 20 जनवरी (भाषा)।

बांग्लादेश के प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन हरकत-उल जिहाद अल-इस्लामी (हूजी) के 10 सदस्यों को 2001 में यहां कम्युनिस्ट पार्टी की रैली पर बम से हमला करने के दोष में सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई। इस हमले में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

समाचार पत्र 'ढाका ट्रिब्यून' की खबर के अनुसार ढाका मेट्रोपोलिटन सत्र अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद रबिउल इस्लाम ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में दो लोगों को बरी कर दिया और मौत की सजा पाने वाले प्रत्येक दोषी पर 20,000 बांग्लादेशी टका (281 डॉलर) का जुर्माना लगाया। ढाका के पलटन मैदान में 20 जनवरी, 2001 को हुए बम विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50 से अधिक घायल हो गए थे। मुख्य आरोपी, प्रतिबंधित इस्लामी संगठन हूजी के सरगना मुफ्ती अब्दुल हनान को 12 अप्रैल, 2017 में सिलहेट में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत अनवर चौधरी पर ग्रेनेड से हमला करने के संबंध में दायर मामले में फांसी दी गई थी।

इस मामले में दोषी ठहराए गए 13 लोगों में से चार सोमवार को अदालत में मौजूद थे। मौत की सजा पाने वाले छह अन्य दोषी अब भी फरार हैं। एक दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद, न्यायाधीश रोबिउल इस्लाम ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की थी। अदालत ने चार सितंबर, 2014 को 13 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। डेली स्टार ने खबर दी कि अदालत ने यह भी कहा कि धर्म के नाम पर ऐसे घृणित कृत्य करने का किसी को अधिकार नहीं है। बचाव पक्ष के वकील फारुक अहमद ने फैसले के बाद कहा कि वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

## लीबिया में शांति का संकल्प लिया विश्व शक्तियों ने

बर्लिन, 20 जनवरी (एएफपी)।

विश्वभर के नेताओं ने लीबिया में युद्ध में सभी तरह की विदेशी दखल को खत्म करने का रविवार को संकल्प लिया और बर्लिन के सम्मेलन में हथियारों पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। ऐसा वहां जारी संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना के तहत किया गया है।

रूस, तुर्की और फ्रांस के राष्ट्रपतियों समेत विश्व नेताओं ने युद्ध में किसी भी रूप में दखल को रोकने की योजना पर हस्ताक्षर किए, चाहे वह दखल हथियारों के रूप में हो, सैनिकों के रूप में या फिर वित्तपोषण के तौर पर हो। हालांकि सम्मेलन युद्धरत पक्षों के बीच गंभीर वार्ता तक नहीं पहुंची। इस दौरान दोनों पक्षों ने स्थायी युद्धविराम समझौते पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। यह संघर्ष शक्तिशाली नेता खलीफा हफ्तार और संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त सरकार के प्रमुख फयेज अल सराज के बीच चल रहा है। सम्मेलन की मेजबान जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि लीबिया में बिल्कुल अलग किस्म के हालात हैं, जिनमें तुरंत यह सुनिश्चित करना कि संघर्षविराम का सम्मान हो, यह आसान नहीं है।

## नाइजीरिया में चोरों ने तेल पाइपलाइन में सेंध लगाई, विस्फोट से चार मरे

लागोस, 20 जनवरी (एएफपी)।

नाइजीरिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र लागोस में तेल पाइपलाइन में चोरों द्वारा सेंध लगाए जाने के दौरान हुए विस्फोट में चार व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि कई दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आपातकालीन सेवा के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह हादसा रविवार शाम अबुले-इग्बा इलाके में हुआ। इससे पहले भी यहां इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजंसी (एनईएमए) के कार्यवाहक मंडल समन्वयक इब्राहिम फारिनलोए ने कहा, 'हमने दो पुरुषों, एक महिला और उसके बच्चे का शव सुबह करीब चार बजे आग वाली जगह से बरामद किया।' उन्होंने कहा, 'कुछ इमारतें, दुकानें और गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आ गईं।' फारिनलोए ने कहा कि यह आग कुछ उपद्रवियों द्वारा पेट्रोल चुराने के लिए सरकारी पाइपलाइन तोड़ने की वजह से लगी, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

## मिसौरी में गोलीबारी में दो मरे, 15 घायल

कंसास सिटी, 20 जनवरी (एपी)।

अमेरिका में मिसौरी राज्य के कंसास सिटी में गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 15 लोगों के घायल होने की सूचना है।

कंसास सिटी पुलिस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रविवार की मध्य रात्रि से ठीक पहले इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पार्किंग स्थल पर एक महिला समेत दो लोग मृत पाए गए हैं। पुलिस का मानना है कि मारे गये लोगों में से एक गोलीबारी करने वाला है। शूटर ने एक बार में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे लोगों पर गोलीबारी की। गोलीबारी के उद्देश्य का तत्काल पता नहीं चल सका है।

### शाही परिवार से अलग होने पर हैरी ने जताया दुख, कहा

## कोई और विकल्प नहीं था हमारे पास

लंदन, 20 जनवरी (एएफपी)।

प्रिंस हैरी ने शाही परिवार से अलग होने के औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख जाहिर करते हुए कहा कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। इस समझौते के तहत उन्हें और उनकी पत्नी मेगन मर्केल को शाही उपाधि 'हिज रॉयल हाइनेस' और 'हर रॉयल हाईनेस' (एचआरएच) को छोड़ना होगा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वे सार्वजनिक कोष का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे।

हैरी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुखी भी हैं क्योंकि उन्हें चीजों के इस तरह अंजाम पर पहुंचने का अंदाजा नहीं था। 'बीबीसी' की खबर के अनुसार हैरी ने कहा कि वह और मेगन शादी के समय उत्साहित व आशावान' थे कि वे यहां अपनी सेवाएं दे पाएंगे। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद हैरी ने अपने पहले बयान में कहा, 'मैं उन कारणों की वजह से, बेहद दुखी हूं कि चीजें यहां पहुंच गईं।' लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'हमें उम्मीद थी कि हम महारानी, कॉमनवेल्थ और मेरे सैन्य संघ को सेवाएं देते रहेंगे, लेकिन बिना सार्वजनिक कोष.. दुर्भाग्यवश, यह संभव नहीं है। मैंने यह जानते हुए इसे स्वीकार कर लिया कि इससे मैं जो हूं या जितना प्रतिबद्ध हूं, यह नहीं बदलेगा।' हैरी ने कहा कि उनके और मेगन के पास वास्तव में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्हें उम्मीद के सहारे आगे बढ़ना था। उन्होंने कहा, 'हम उम्मीद के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। यह कदम उठाने के लिए मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्रिया।' वहीं 'सीएनएन' की खबर के अनुसार हैरी यह स्पष्ट करना चाहते थे कि वह और मेगन भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने यहां जन्म लिया है और अपने देश और महारानी को अपनी सेवा देना गर्व की बात है।' उन्होंने कहा, 'ब्रिटेन मेरा घर है और ऐसी जगह है जिससे मुझे प्यार है और यह कभी नहीं बदलेगा।'

मेगन अपने आठ माह के बेटे आर्ची के साथ पहले से कनाडा में हैं और कुछ खबरों में कहा गया है कि वह लंबित शाही कार्यों के लिए कुछ समय के लिए ब्रिटेन लौट सकती हैं जब तक कि नया समझौता अमल में नहीं आ जाता। यह समझौता बसंत की किसी अनिर्दिष्ट तिथि को अमल में आएगा जो ब्रिटेन में मार्च के अंत में शुरू होता है। इस बीच, प्रिंस हैरी तब तक अपने शाही कर्तव्य निभाते रहेंगे। धीरे-धीरे वह स्थायी रूप से इन भूमिकाओं से पीछे हट जाएंगे, रॉयल मरीन्स के कैप्टन जनरल (ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग द्वारा दिया गया पद) के तौर पर अपनी सैन्य भूमिकाओं को, आरएएफ होनिटन में ऑनररी एयर कमांडेंट और स्माल शिप्स एंड डाइविंग के कोमोडर इन चीफ जैसी सैन्य भूमिकाओं को छोड़ देंगे। 'मेक्गिट' कहे जा रहे इस समझौते के तहत, दंपति हाल में मिली उन भूमिकाएं भी गंवा देंगे जहां उन्हें राष्ट्रमंडल का युवा राजदूत बनाया गया था। हालांकि निजी धर्मार्थ कार्यों को पूरा करने के उनके कदम के तहत, वे महारानी के राष्ट्रमंडल न्यास के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने रह सकते हैं।

## 36 में से पांच केंद्रीय मंत्री करेंगे कश्मीर का दौरा

जम्मू, 20 जनवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में केंद्र के संपर्क कार्यक्रम के तहत आगामी चार दिनों में 36 में से केवल पांच केंद्रीय मंत्री कश्मीर का दौरा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आगामी चार दिनों में दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी घाटी का दौरा करेंगे।नकवी मंगलवार को संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और श्रीनगर के बाहर दारा क्षेत्र में एक हाई स्कूल की नींव रखेंगे। वह शहर में हरवन इलाके के सरबंद में जल संरक्षण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। रेड्डी बुधवार को गांदेरबल जिले में दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम आरंभ करेंगे जबकि प्रसाद गुरुवार से दो दिन के लिए बारामूला जिले में रहेंगे। नाइक गुरुवार और पोखरियाल शुक्रवार को श्रीनगर जाएंगे।अधिकारियों ने बताया कि आगामी चार दिन में कश्मीर में केवल आठ बैठकें होंगी जबकि जम्मू क्षेत्र में ऐसी 50 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम होंगे। कोई भी मंत्री आतंकवाद से पीड़ित दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम में नहीं जाएगा।

## भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के चव्हाण के बयान पर स्पष्टीकरण दे शिवसेना

मुंबई, 20 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि शिवसेना को कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के उस बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस और राकांपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था।

विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने कहा कि चव्हाण का बयान बेहद चौंकाने वाला है और इससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का असली चेहरा उजागर हुआ है। शिवसेना ने नवंबर में कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई।

## पंजाब : कैट के आदेश के खिलाफ अदालत पहुंचे डीजीपी

चंडीगढ़, 20 जनवरी (भाषा)।

पंजाब सरकार ने वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता की राज्य पुलिस प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को दरकिनार करने संबंधी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का सोमवार को दरवाजा खटखटाया।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति हरिंदर सिंह सिद्धू के खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई किए जाने की अनुमति दी है। डीजीपी गुप्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पुनीत बाली भी कैट के आदेश के खिलाफ अदालत पहुंचे।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए कैट ने राज्य पुलिस प्रमुख पद पर गुप्ता की नियुक्ति 17 जनवरी को खारिज कर दी थी।

कैट अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी और एम जमशेद के दो सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों मोहम्मद मुस्तफा और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की याचिका पर यह फैसला दिया। याचिका में दोनों अधिकारियों ने कहा था कि वे गुप्ता से वरिष्ठ हैं। इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। मुस्तफा 1985 बैच के अधिकारी हैं और चट्टोपाध्याय 1986 बैच के अधिकारी हैं जबकि गुप्ता 1987 बैच के अधिकारी हैं। गुप्ता को 2019 में डीजीपी नियुक्त किया गया था।

## वैवाहिक वाद स्थानांतरण में पत्नी की सुविधा का ध्यान रखा जाए : कोर्ट

कोलकाता, 20 जनवरी (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने वैवाहिक वाद और नाबालिग बच्चे के संरक्षण से जुड़े वाद को इस आधार पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए है कि सुनवाई के स्थान के बारे में निर्णय लेते समय पत्नी की सुविधा को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि जब आवेदन किसी नाबालिग के संरक्षण से जुड़ा हो तो उसे वहां दायर करना चाहिए जिसके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में नाबालिग आमतौर पर रह रहा हो। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने जलपाईगुड़ी से इस वाद को दुर्गापुर स्थानांतरित करने का आदेश देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक फैसलों में कहा है कि विवाह से जुड़े वाद को सुनवाई को लिए स्थानांतरित करने की कार्रवाई में पत्नी को हो रही असुविधा पर पहले विचार किया जाना चाहिए। वाद स्थानांतरण के लिए पत्नी की याचिका पर सुनवाई करने हुए न्यायमूर्ति चौधरी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि दुर्गापुर और जलपाईगुडी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर से अधिक है और वाद के निपटारे के लिए यात्रा का खर्च वहन करना उसके लिए संभव नहीं है।

www.readwhere.com

मुंबई के खिलाफ दोहरा शतक लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के उपेंद्र यादव।

# मुंबई के खिलाफ यूपी का विशाल स्कोर

मुंबई, 20 जनवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश ने उपेंद्र यादव के दोहरा शतक की बदौलत मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मैच में सोमवार को आठ विकेट पर 625 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। उपेंद्र ने 239 गेंद का सामना करते हुए 27 चौके और तीन छक्के से नाबाद 203 रन बनाए।

**रणजी ट्रॉफी**

इसके जवाब में कई बार की चैंपियन मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही, उसने स्टंप तक सात ओवर खेले और 20 रन तक दो विकेट गंवा दिए। अंकित राजपूत ने दोनों विकेट झटके। भूपेन लालवानी छह और हार्दिक तमोरे एक रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। वहीं दिल्ली में खेले जा रहे मैच में आदित्य ठाकरे के सात विकेट की मदद से विदर्भ ने दूसरे दिन मेजबान को पहली पारी में 163 रन पर समेटकर 16 रन की बढ़त ले ली। विदर्भ के पहली पारी के 179 रन के जवाब में दिल्ली ने चार विकेट पर 41 रन से आगे खेलना शुरू किया। उसके लिए अनुज रावत ने 37 व सिमरजीत सिंह ने 23 रन बनाए।

# दूसरे दौर में पहुंचे जोकोविच, सेरेना व फेडरर

मेलबर्न, 20 जनवरी (एएफपी)।

गत चैंपियन नोवाक जोकोविच ने आस्ट्रेलियाई ओपन में सोमवार को पहले दौर में एक सेट गंवाकर जीत हासिल की जबकि सेरेना विलियम्स और रोजर फेडरर ने आसान जीत से शुरुआत की जिसके बाद बारिश के कारण अफरा-तफरी का माहौल बन गया और इस तरह से जंगलों की लगी आग के कारण भी चर्चा में रहे वर्ष के पहले ग्रैंडस्लैम के शुरुआती दिन कई मैच नहीं हो पाए।

धुंध के कारण पिछले सप्ताह क्वालीफाइंग के दौरान कई खिलाड़ियों को खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई जिसके कारण टूर्नामेंट के आयोजन में देरी की संभावना बन गई थी। टूर्नामेंट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू क्योंकि वायु गुणवत्ता अच्छी आंकी गई थी लेकिन चार घंटे बाद ही मूसलाधार बारिश के कारण बाहर के कोर्ट पर खेल रोकना पड़ा।

जोकोविच ने 2006 के बाद शुरुआती दौर में पहला सेट गंवाया है। 16 बार के मेजर चैंपियन ने जान-लेनार्ड स्ट्रफ पर 7-6, 6-2, 2-6, 6-1 से जीत हासिल कर अपने करिअरकी 900वीं जीत हासिल की और मेलबर्न पार्क में लगातार 14वें वर्ष दूसरे दौर में प्रवेश किया। मेलबर्न में 2006 में पहले दौर में एक सेट गंवाया था जिसके बाद उन्होंने पहले दौर में लगातार 41 सीधे सेटों में जीत हासिल की थी। विश्व में नंबर तीन फेडरर रॉड लेवर एरेना में छत बंद करने के समय ही कोर्ट से बाहर रहे। उन्होंने वापस लौटकर अमेरिका के स्टीव जानसन को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। यहां 20 साल पहले पदार्पण करने के बाद फेडरर कभी पहले दौर से बाहर नहीं हुए। मारग्रेट कोर्ट एरेना और मेलबर्न एरेना में भी छत बंद करने के बाद खेल चलता रहा। मंगलवार को भी बारिश की भविष्यवाणी की गई है जिससे मैचों के प्रभावित होने की संभावना है। पहले दिन बारिश के कारण 64 में से 48 मैच मंगलवार तक टाल दिए गए। इस बीच अपने 24वें ग्रैंडस्लैम खिताब की अपनी कवायद में लगी सेरेना विलियम्स ने दमदार शुरुआत की जबकि पिछले साल की चैंपियन नाओमी ओसाका ने भी सीधे सेटों में जीत से दूसरे दौर में जगह बनाई। सेरेना ने रूस की एनस्तासिया पोटापोवा के खिलाफ पहला सेट 19 मिनट में जीता और फिर केवल 58 मिनट में 6-0, 6-3 से मैच अपने नाम किया। सेरेना की बड़ी बहन वीनस को हालांकि 15 वर्षीय कोको गॉफ ने 7-6 (7/5) 6-3 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। ओसाका ने भी चेक गणराज्य की मैरी बोजकोवा को 80 मिनट में 6-2, 6-4 से जीत दर्ज की। संन्यास लेने से पहले अपने अंतिम ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में खेल रही कारोलिन वोजनियाकी भी सीधे सेटों में जीत दर्ज करके दूसरे दौर में पहुंच गई।

डेनमार्क की इस गैरवरीय खिलाड़ी ने अमेरिका की क्रिस्टी एन को 6-1, 6-3 से हराया। शाम का सत्र ढके हुए सेंटर कोर्ट में खेला गया जिसमें आस्ट्रेलिया की दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एशले बार्टी ने एक सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए लेसिया सुरेंको को 5-7 6-1 6-1 से शिकस्त दी। स्टेफानोस सिटसिपास ने सालवाटोर कारूसो को शिकस्त देकर दूसरे दौर मे प्रवेश किया।

**आस्ट्रेलियाई ओपन**

धुंए और अब बारिश के कारण अफरा-तफरी का माहौल। आज भी बारिश की भविष्यवाणी की गई है जिससे मैचों के प्रभावित होने की संभावना है। पहले दिन बारिश के कारण 64 में से 48 मैच टाल दिए गए।

रोजर फेडरर ने अमेरिका के स्टीव जानसन को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। यहां 20 साल पहले पदार्पण करने के बाद कभी पहले दौर से बाहर नहीं हुए।

नोवाक जोकोविच ने जान-लेनार्ड स्ट्रफ पर 7-6, 6-2, 2-6, 6-1 से जीत हासिल कर अपने करिअर की 900वीं जीत हासिल की।

# कोहली, रोहित की शीर्ष रैंकिंग को मिली मजबूती

दुबई, 20 जनवरी (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा ने सोमवार को जारी आइसीसी एकदिवसीय रैंकिंग की बल्लेबाजी तालिका में पहले दो स्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई जबकि जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में समाप्त हुई श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद कोहली ने नंबर एक और रोहित ने नंबर दो रैंकिंग को मजबूती प्रदान की। भारत ने यह श्रृंखला 2-1 से जीती। कोहली ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला में 183 रन जबकि रोहित ने 171 रन बनाए। रोहित ने बंगलुरु में तीसरे वनडे में 119 रन की पारी खेली थी।

आइसीसी के बयान के अनुसार कोहली के 886 और रोहित के 868 अंक हैं। उनको क्रम से दो और तीन रेटिंग अंक मिले। पाकिस्तान के बाबर आजम 829 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने दो पारियों में 170 रन बनाए और वह सात पायदान ऊपर 15वें स्थान पर पहुंच गए। कंधे की चोट के कारण वह तीसरे वनडे में बल्लेबाजी नहीं कर पाए। उनकी जगह पारी का आगाज करने वाले केएल राहुल ने तीन मैचों में कुल 146 रन बनाए और वह 21 पायदान चढ़कर 50वें स्थान पर पहुंच गए।

चोट से उबरकर वापसी करने वाले बुमराह गेंदबाजों की सूची में 764 अंक लेकर शीर्ष पर हैं। उनके बाद न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ओर अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान का नंबर आता है। दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा और आस्ट्रेलिया के पैट कमिंस शीर्ष पांच में शामिल अन्य गेंदबाज हैं। भारतीय आलराउंडर रविंद्र जडेजा दो पायदान ऊपर 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रृंखला में चार विकेट लिए। जडेजा ने 45 रन भी बनाए जिससे वह आलराउंडरों की सूची में चार पायदान आगे दसवें नंबर पर पहुंच गए। आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने श्रृंखला में सर्वाधिक 229 रन बनाए जिसमें अंतिम वनडे में बनाए गए 131 रन भी शामिल है। इससे उन्हें चार स्थान का फायदा हुआ और वह 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। डेविड वार्नर भी एक पायदान ऊपर छठे जबकि कप्तान आरोन फिंच दसवें स्थान पर पहुंच गए।

**एकदिवसीय रैंकिंग** बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग में पहले पायदान पर

**रेटिंग** कोहली के 886 और रोहित के 868 अंक हैं।

# मोदी ने द्रविड़-लक्ष्मण की साझेदारी और कुंबले की गेंदबाजी को याद किया

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के बीच ऐतिहासिक साझेदारी और 'टूटे हुए जबड़े' के बावजूद अनिल कुंबले के गेंदबाजी करने का उदाहरण देकर छात्रों को प्रेरित किया।

परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सकारात्मक सोच के संदेश पर जोर देने के लिए उन्हें 2001 में भारत-आस्ट्रेलिया टैस्ट श्रृंखला की याद दिलाई। छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2002 एंटीगा टैस्ट में कुंबले के प्रयास का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा, इसी तरह से अनिल कुंबले का चोट के बावजूद गेंदबाजी करना, कौन भूल सकता है। प्रेरणा और सकारात्मक सोच में यही ताकत है।

# अंडर-19 विश्व कप : जापान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने उतरेगा भारत

ब्लोमफोंटेन (दक्षिण अफ्रीका), 20 जनवरी (भाषा)।

खिताब के अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम आइसीसी अंडर-19 विश्व कप में मंगलवार को जापान के खिलाफ अपने दूसरे मैच में बड़ी जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल के करीब पहुंचने की कोशिश करेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद एक बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

भारत ने प्रभावशाली बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी के दम पर रविवार को ग्रुप ए के अपने पहले मैच में श्रीलंका पर 90 रन से जीत दर्ज की थी।

दूसरी तरफ जापान का भाग्य ने साथ दिया जो उसे एक अंक मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका पहला मैच शनिवार को बारिश से धुल गया था और दोनों टीमों में अंक बांट दिए गए थे। भारत 24 जनवरी को अंतिम मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। भारत ने रविवार को खिताब के मजबूत दावेदार की अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन किया और श्रीलंका को खेल के हर विभाग में मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (59), कप्तान प्रियम गर्ग (56), उप कप्तान ध्रुव जुरेल (52) के अर्धशतकों से चार विकेट पर 297 रन बनाए।

भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 45.2 ओवर में 207 रन पर आउट कर दिया। सिद्धेष वीर (44 और 34 रन देकर दो विकेट) ने आलराउंड प्रदर्शन किया। उनके अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाश सिंह और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने भी दो-दो विकेट लिए। जापान से भारतीय टीम को किसी तरह की चुनौती मिलने की संभावना नहीं है। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो वह बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा।

# सिमंस ने जड़े दस छक्के, विंडीज ने आयरलैंड से बराबर की श्रृंखला

बासेटेरे (सेंट किट्स एंड नेविस), 20 जनवरी (एएफपी)।

सलामी बल्लेबाज लेंडल सिमंस की दस छक्कों से सजी नाबाद 91 रन की पारी की मदद से वेस्ट इंडीज ने रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर श्रृंखला बराबर की।

लेंडल सिमंस 40 गेंद पर नाबाद 91 रन की पारी में पांच चौके भी लगाए।

वेस्ट इंडीज के कोच फिल सिमंस के भतीजे लेंडल सिमंस ने 40 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके भी लगाए। यह उनका इस प्रारूप में सर्वोच्च स्कोर है जिसे उन्होंने अपने 35वें जन्मदिन से केवल पांच दिन पहले बनाया।

वेस्ट इंडीज के सामने 139 रन का आसान लक्ष्य था और सिमंस ने आफ स्पिनर सिमी सिंह पर मिडविकेट पर छक्का जड़कर अपनी टीम को आसान जीत दिलाई। उनके साथी सलामी बल्लेबाज इविन लुईस ने 25 गेंदों पर 46 रन बनाए जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल हैं। वेस्ट इंडीज ने 54 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली। इस तरह से तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर छूटी। आयरलैंड ने पहला मैच चार रन से जीता था जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा था। इससे पहले अनुभवी आलराउंडर कीरेन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो की शानदार गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज ने आयरलैंड को 138 रन पर आउट कर दिया। कप्तान पोलार्ड ने 17 रन देकर तीन और ब्रावो ने 19 रन देकर तीन विकेट लिए। ब्रावो के नाम पर अब 69 मैचों में 57 विकेट दर्ज हो गए हैं और वह वेस्ट इंडीज की तरफ से इस प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

# इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पारी के अंतर से हराया

पोर्ट एलिजाबेथ, 20 जनवरी (एएफपी)।

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे क्रिकेट टैस्ट के पांचवें दिन एक पारी और 53 रन से हराकर चार मैचों की श्रृंखला में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली।

दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज (71) और डेन पीटरसन (नाबाद 39) ने आखिरी विकेट की 99 रन की साझेदारी की। सैम कुरेन ने मिडआन से सीधे थ्रो करके इस साझेदारी को तोड़ा और दक्षिण अफ्रीका को 237 रन पर आउट किया। महाराज और पीटरसन के बीच साझेदारी दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी हुई जबकि बाकी बल्लेबाज चल नहीं सके। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी चार विकेट के लिए 135 रन जोड़े। यह पिछले आठ टैस्ट में दक्षिण अफ्रीका की सातवीं हार थी। वह एकमात्र टैस्ट इंग्लैंड के खिलाफ जीता था जब टीम प्रबंधन ने टीम में काफी बदलाव किए थे। सेंचुरियन में पहला टैस्ट हारने के बाद इंग्लैंड ने केपटाउन टैस्ट 189 रन से जीता और यहां पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। ओली पोप के शतक के बाद आफ स्पिनर डोम बेस ने पहली पारी में पांच विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड का टैस्ट श्रृंखला में अपराजेय अभियान बरकरार रहा जो 1999-2000 से चला आ रहा है।


**Bank of Baroda** (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

ई-नीलामी सूचना

**अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **11.02.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होंगी।

| क्र. सं. | शाखा | कर्जदार और गारंटर्स का नाम | स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण | धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि | आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि | ई-नीलामी तिथि एवं समय | खाता नं. और IFSC कोड | प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली | श्रीमती नासिरा बेगम पत्नी मोह. कामिल, मोहम्मद कामिल पुत्र श्री ग्यासुद्दीन और श्री मोह. मोहसिन पुत्र मोह. कामिल (सभी कर्जदार) | फ्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 17, ब्लॉक 205ए, जिसे अब 98 कहते है, बाबर रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती नसरा बेगम के नाम पर है। (जिसे नसीरा बेगम भी कहते है) क्षेत्रफल 972.84 वर्ग गज | 12-03-2019 / रु. 46.76 करोड़ दिनांक 01-03-2019 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि | ₹ 52.00 करोड़ / ₹ 5.20 करोड़ / ₹ 5.00 लाख | 11-02-2020 को अपरांह 01.00 बजे से अपरांह 03.00 बजे तक | 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero') | श्री यश पाल चावला मो. 9584317482 |
| 2 | जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली | श्रीमती नासिरा बेगम पत्नी मोह. कामिल, मोहम्मद कामिल पुत्र श्री ग्यासुद्दीन और श्री मोह. मोहसिन पुत्र मोह. कामिल (सभी कर्जदार) | फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट नं. 136-136ए, ब्लॉक 205-सी, जिसे अब 9 कहते है, बाबर रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती नसीरा बेगम, मोह. मोहसिन और मोह. कामिल के नाम पर है। भूमि क्षेत्रफल 575 वर्ग गज | 12-03-2019 / रु. 28.39 करोड़ दिनांक 01-03-2019 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि | ₹ 26.50 करोड़ / ₹ 2.65 करोड़ / ₹ 5.00 लाख | 11-02-2020 को अपरांह 01.00 बजे से अपरांह 03.00 बजे तक | 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero') | श्री यश पाल चावला मो. 9584317482 |
| 3 | जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली | मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. (सीआईएन U25209DL1987PTC029976) कर्जदार / गारंटर: 1. श्री मो. कामिल, 2. श्रीमती नासिरा बेगम, 3. श्री मोहम्मद मोशिन, 4. श्री मोहम्मद ज़ाकी 5. श्री मोहम्मद साबिर, 6. श्री शकील अहमद | फ्री होल्ड सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति प्लॉट नं. 5, ब्लॉक-205ए, फॉयर ब्रिगेड लेन, जिसे 20, फॉयर ब्रिगेड लेन कहते है, नई दिल्ली-110001 में स्थित, क्षेत्रफल 929 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मो. कामिल (गारंटर) के नाम पर है। | 08.10.2018 / रु. 239.40 करोड़ दिनांक 30-09-2018 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि | ₹ 82.00 करोड़ / ₹ 8.20 करोड़ / ₹ 5.00 लाख | 11-02-2020 को अपरांह 01.00 बजे से अपरांह 03.00 बजे तक | 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero') | श्री यश पाल चावला मो. 9584317482 |

विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 10.02.2020, **नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**

**सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 06.02.2020 से 07.02.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक**

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई-नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाऐ।
2. नीलामी - सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 10.02.2020) को अपरा. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 10.02.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा - 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झां, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548, हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

**कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना**

कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक : 20-01-2020, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा


रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 65, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।
कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com